राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, २८ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक प्रातः ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर क्षेत्र में किसानों पर आबियाना आन्दोलन करने पर जुर्माना

४४६. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या सिंचाई व गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले साल जिला गंगानगर क्षेत्र में बढ़ाये गये आबियाना के विरुद्ध जो आन्दोलन यहां के किसानों द्वारा किया गया था उसमें भाग लेने वाले किसानों पर कुल कितना जुर्माना किया गया था ?

(ख) क्या सरकार यह जुर्माना किसानों को वापिस लौटाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ५२,५०० रुपया जुर्माना किया गया, जिसमें से ४३, २५० रु० वसूल हुए ।

(ख) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ४४७

श्रीमती डॉ० चन्द्रकला ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४८

श्री भैरोंसिंह (१४).

(अनुपस्थित प्रश्न आगे लिया गया)

श्री तनसिंह

बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम में चमड़ा साफ करने के जटियों के बाड़े

४४९. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बाडमेर नगर के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर जटियों के चमड़ा साफ करने के बाड़े बने हुए हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उन बाड़ों की बदबू के कारण वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है ?

(ग) क्या सरकार इन बाड़ों को यहां से हटा कर नगर के पूर्वी किनारे पर ले जाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.2

राजस्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से(श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । क्योंकि अभी तक जितना शहर बसा हुआ है इसको इस बाड़े पर से आने वाली दक्षिणी-पश्चिमी हवाएं पार नहीं करतीं । दूसरे, इन बाड़ों में काम करने वाले जटियों की आबादी भी इन बाड़ों की ओर पड़ती है । पूर्व-उत्तर में इन बाड़ों को ले जाने से इस आबादी को भारी तकलीफ होगी । तीसरे इन बाड़ों में चमड़े की रंगत का काम होता है जिसमें पानी की आवश्यकता होती है । वह पानी अभी यह लोग बाड़ों के पश्चिम में स्थित कुओं से लाते हैं । नगर के पूर्व व उत्तर की ओर पानी की ऐसी कोई सुगम व्यवस्था नहीं है । बाड़ों की तरफ वाली साइड शहर की डेड साइड है और शहर अब धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं जहां कि यह बाड़े फिर शहर के बीच में आ जावेंगे ।

श्री तनसिंह : आपने बताया कि वहां उन बाड़ों के कारण गन्दगी है, गन्दगी होते हुए भी उधर आबादी को बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने नहीं कहा कि गन्दगी है । आपने प्रश्न पूछा कि क्या बाड़मेर नगर के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर जटियों के चमड़ा साफ करने के बाड़े बने हुए है ; I said, 'yes.'

श्री तनसिंह : क्या चमड़ा बनाने के बाड़े हैं, वहां से खुशबू आती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां बदबू आती है लेकिन वहां सफाई रखी जाय तो गन्दगी कम हो जाती है ।

श्री तनसिंह : अगर वहां पर सफाई की जाती है, जहां पर चमड़ा साफ किया जाता है, उससे क्या बदबू नहीं आती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि नये तरीके से चमड़ा साफ किया जाता है तो गन्दगी नहीं होती है । बहरहाल मैंने आपको कारण पढ़ कर सुना दिये हैं ।

श्री तनसिंह : क्या इस नये तरीके से चमड़ा साफ करने का इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जो बाड़े बने हुए हैं, वे इस तरह के बने हुए हैं कि जिनकी हवा आबादी की तरफ नहीं आती है ।

श्री तनसिंह : हवा आबादी की तरफ क्यों नहीं आती है ? क्या मिनिस्टर महोदय को मालूम है कि ऐसे बाड़ों के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण; चारों तरफ आबादी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सब कारण आपको अर्ज कर दिये । जो म्युनिसिपेलिटी है उसकी भी शिकायत नहीं है कि वहां गन्दगी है, अगर गन्दगी है तो म्युनिसिपेलिटी को एक्शन लेना चाहिए ।

श्री तनसिंह : आपने कहा कि म्युनिसिपेलिटी के पास कोई शिकायत नहीं है । क्या म्युनिसिपेलिटी के पास से सरकार के पास में कोई रिपोर्ट आई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सवाल से ऊपर जो सूचनायें मंगवाई, उनका जवाब आया, वह मैंने अर्ज कर दिया । आपने इन्फोर्मेशन मांगी है कि गन्दगी को दूर करने की कार्यवाही की जायगी या नहीं ? यदि वहां पर गन्दगी होगी तो साफ करने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री तनसिंह : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या म्युनिसिपेलिटी ने लिख कर भेजा है, या आपने यह अन्दाज से कह दिया कि म्युनिसिपेलिटी के पास कोई शिकायत नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह म्युनिसिपेलिटी के फरायज़ है कि वह गन्दगी को साफ करें, म्युनिसिपेलिटी के लिखने या न लिखने का प्रश्न नहीं है।

श्री तनसिंह : म्युनिसिपेलिटी के फरायज़ के ऊपर यह सवाल उठ सकता है कि यदि म्युनिसिपेलिटी अपने फरायज़ पूरे नहीं करेगी म्युनिसिपेलटी सफाई करने की कार्यवाही नहीं करेगी तो क्या सरकार भी नहीं करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो सवाल पूछा है, उसका मैंने जो जवाब दिया है उसमे कुछ और पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने पूछा है कि क्या सरकार इन बाड़ों को यहां से हटाकर नगर के पूर्वी किनारे पर ले जाने का विचार कर रही है ? मैंने जवाब दिया, जी नहीं और उसके पांच कारण बताये, उनको पढ़कर सुना दिया। मैंने जब उन कारणों को पढ़ा तो आपने सुना नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित् यह प्रश्न आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ४५१

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित-प्रश्न आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ४५२

श्री रामेश्वरदयाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

धौलपुर में श्रमिकों के कल्याणार्थ सन् १९५४ में किये गये कार्य

४५३. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

धौलपुर में श्रमिकों के कल्याण के लिए १९५४ से अबतक क्या क्या कार्य किये गये है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : धौलपुर में श्रमिकों के कल्याण के लिये अब तक कोई कार्य नहीं किया गया क्योंकि वहां ग्लास फैक्ट्री के अतिरिक्त और कोई फैक्ट्री नहीं थी, और श्रमिकों की संख्या १००० से कम थी। क्योंकि अब धौलपुर में फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या १००० से अधिक है इसलिये वहां श्रम कल्याण केन्द्र खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं, और शीघ्र ही एक श्रम कल्याण केन्द्र वहां खोला जा रहा है।

श्री बहादुरसिंह : ये आदेश कब दिये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मुझे इस वक्त उपलब्ध नहीं। जब केन्द्र खोले जा रहे हैं तो आदेश इस साल दिये होंगे।

किशनगढ़ से बाघोड़ा (जिला जालोर) की सड़क का सर्वेक्षण

४५४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.4

(श्री तनसिंह)

(१) क्या जिला जालोर में किशनगढ़ से बाघोड़ा तक की सड़क के सर्वेक्षण की आज्ञा जारी हुए एक वर्ष हो गया है ?

(२) यदि हां, तो वहां अभी तक एक भी ओवरसियर नहीं पहुँचने के क्या कारण हैं ?

(३) अब सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं। इस सड़क के सर्वेक्षण की कोई आज्ञा जारी नहीं हुई।

(२) सही है, क्योंकि यह सड़क योजना में सम्मिलित नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५५

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित प्रश्न आगे लिया गया)

श्री रामकरण सिंह।

जयपुर जिला बोर्ड की गत तीन वर्षों में श्रमदान में व्यय हुई धनराशि

४५६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिला बोर्ड की ओर से १६५४–५५, १६५५–५६, १६५६–५७ में कुल रकम श्रमदान की कितनी दी गई है ?

(ख) किनके नाम से दी गई है, नामों की लिस्ट मय रकम के सदन की मेज पर रखें।

(ग) रकम का हिसाब दिया जा चुका है या नहीं ?

(घ) यदि नहीं, तो किन किन ने नहीं दिया ?

स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जिला बोर्डों द्वारा सन् १६५४–५५ १६५५–५६ व १६५६–५७ में १,८६,२६६, रु० १५ आ० ६ पाई की रकम श्रमदान में दी गई है।

(ख) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) कुछ ने हिसाब दे दिया है एवं शेष को देना बाकी है।

(घ) जिन जिन सदस्यों ने उपरोक्त रुपयों का हिसाब नहीं दिया है उनके आगे सूचियों में × चिन्ह लगा हुआ है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकरणसिंह : जिन्होंने हिसाब दे दिया है, जिस काम के लिये रुपया दिया गया था, वह काम पूरा हुआ है या नहीं, वह काम का तखमीना आपने देख लिया है या दिखवा लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम का तखमीना ?

श्री रामकरणसिंह : काम पूरा हुआ या नहीं, क्या इसकी जांच कराई गई है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं कह

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकता कि हर एक काम की जांच कराई या नहीं ? यह इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकरण सिंह : क्या जिस काम के लिये रुपया लिया गया है वह उसी काम में लगाया गया है , इसकी जानकारी की गई है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां श्रमदान के लिये रुपया दिया गया है, उन स्थानों का का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने निरीक्षण किया है, जांच भी की है और ऐसा ख्याल किया जाता है कि रुपया जिस काम के लिये दिया गया उस काम में लगाया गया ।

श्री रामकरण सिंह : जिस संस्था को एक दफा रुपया दिया जाता है और उसके पास से हिसाब नहीं आता है, तो क्या उसे दुबारा रुपया दिया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हिसाब आने पर ही आगे रुपया एडवांस किया जाना चाहिये ।

श्री रामकरण सिंह : १७-१२-५५ को पनियाला के लिये रुपया दिया गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस नम्बर पर साहब ?

श्री रामकरण सिंह : आप २० नम्बर पर देखिये, दूसरे पेज पर । वहां से हिसाब नहीं आया है, और दुबारा रुपया दिया गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्रोस का मतलब यह होता है कि इसका मुकम्मिल हिसाब नहीं आया । इसका मतलब यह नहीं कि पहले वाले का हिसाब आया या नहीं । इसका मतलब यह है कि मुकम्मिल हिसाब नहीं आया ।

श्री रामकरण सिंह : मैं मुकम्मिल हिसाब की बात समझ नहीं पाया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मान लें कि १५—१५ हजार दो किश्तों में दिये । पहली किश्त का हिसाब नहीं आया तो यह कहा जा सकता है कि मुकम्मिल हिसाब नहीं आया क्योंकि पहली किश्त का नहीं आया तो दूसरी का नहीं आया ।

श्री रामकरण सिंह : जब पहली किश्त का हिसाब आ जाता है तभी तो आगे रुपये दिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् राजाओं में बिजली पानी के मदों में बकाया

४५७. श्री भीमसेन : (लूणकरसर) क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान बनने के बाद से अब तक बिजली एवं पानी की मदों में किन किन राजाओं एवं अन्य व्यक्तियों के जिम्मे कितनी सरकारी बकाया निकलती है एवं इस संबन्ध में जनलेखा समिति सन १९५५-५६ की सिफारिश के अनुसार क्या कदम उठाये गये हैं ।

विद्युत एवं गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं एक सप्ताह बाद दूंगा ।

श्री भीमसेन : यह प्रश्न तो मैंने बहुत पहिले दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : लम्बा प्रश्न है। इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

नेक्स्ट।

अल्प आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु दी जानेवाली धनराशि ग्रामीणों को भी

४५८ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालकोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

अल्प आय वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये जो रकम नगर विकास मण्डल की ओर से दी जाती है, क्या वह शहर में रहने वालों के लिये दी जाती है, बाहर वालों के लिये नहीं ? अगर नहीं तो ऐसा क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह डेवलपमेंट विभाग का प्रश्न है। योजनामन्त्री अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आयुर्वेद विभाग के (सी) श्रेणी के कम्पाउन्डर्स एवं वैद्य

४५६. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे : राज्य के आयुर्वेद विभाग के (सी) श्रेणी के ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों और (सी) श्रेणी के वैद्यों की ग्रेड क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राजस्थान में आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत (सी) श्रेणीय ट्रेंड कम्पाउन्डर्स के कोई पद नहीं हैं; अपितु कम्पाउन्डर्स की निम्नांकित की तीन विभिन्न श्रृंखलायें हैं : (अ) सिलेक्शन ग्रेड ८०—४—१०० ई० बी० ५—१५०,

(ब) प्रथम ग्रेड : ५०.—३—८०., ५—६०.

(स) द्वितीय ग्रेड : ४०—२-६० तथा सी श्रेणी यानी बी० जूनियर के वैद्यों की ग्रेड ६०-४-८० ई० बी० ५-१२५-७॥-१४० की है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : इन दोनों का पाठ्यक्रम कितने साल का है ?

श्री अध्यक्ष : कितने साल के कोर्स के बाद कम्पाउन्डर्स वैद्य बनते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बारे में अलग अलग नियम होंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि कम्पाउन्डर्स का कोई केडर है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से कम्पाउन्डरों का केडर तो होगा ही।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि (सी) और (बी) क्लास औषधालयों में कोई कम्पाउन्डर नहीं रखा जाता और वैद्य ही रखे जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (सी) श्रेणी के वैद्यों को रखते हैं।

श्री बहादुरसिंह : उप-वैद्यों को रखते हैं, कम्पाउन्डरों को नही रखते।

श्री दामोदरलाल व्यास : उप-वैद्य (सी) श्रेणी के वैद्य होते हैं।

श्री बहादुरसिंह : वैद्य और उपवैद्य में क्या यह फर्क है कि वह कम्पाउन्डर्स कहलाते हैं ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे एग्ज़ेक्टली तो मालूम नहीं, कुछ डिग्री का फर्क जरूर है; आयुर्वेदाचार्य या.... ....

श्री बहादुरसिंह : आयुर्वेदाचार्य का कोर्स अलग होता है।

श्री जनार्दनराय नागर : (ए), (बी) और सी श्रेणी में कौन कौन सी डिग्री वाले वैद्य लिये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेदाचार्य और भिषगाचार्य में...........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बनास नदी को राजमहल व जहाजपुर के बीच में बांधने की योजना

४६०. श्री लालूराम (टोंक) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला टोंक में बनास नदी को राजमहल और जहाजपुर के बीच में बांधने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितनी धनराशि की है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस योजना की मंजूरी भी दे दी गई थी ?

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त बांध कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) नहीं। (ख), (ग) व (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

रूपनगढ़ अस्पताल में डॉक्टर का प्रबन्ध

४६१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा :** (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) रूपनगढ़ हॉस्पिटल में कितने अर्से से डाक्टर नहीं है और अब कब तक वहां डाक्टर पहुंच जाने की पूर्ण संभावना है ?

(ख) इतने अर्से तक डाक्टर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) रूपनगढ़ में जून १९५५ से डाक्टर नहीं है। डा० सुरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य वहां के लिये नियुक्त किये गये हैं। यह अपना कार्यभार माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह में सम्भालने वाले थे परन्तु अभी तक इनके वहां पहुँचने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) डाक्टरों के अभाव के कारण वहां अब तक कोई नहीं भेजा जा सका है। समय समय पर डाक्टरों की नियुक्तियां भी रूपनगढ़ के लिये की थीं परन्तु उनके वहां नहीं पहुंचने पर उनके नियुक्ति-पत्र रद्द करने पड़े हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या यह सही है कि वहां पर चार साल से कोई डॉक्टर नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो तारीख बताई तब से, उस दिन से नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो तारीख बताई गई है वह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास विभाग से जो तारीख आई है वह मैंने आपको बताई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

इस वर्ष तिलवाड़ा पशु मेला के कर व किराये से शासकीय आय

४६२. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की की कृपा करेंगे :

इस वर्ष के चैत्री (मार्च महीने में) तिलवाड़ा पशु मेला से सरकार को कर और किराये आदि से कितनी आमदनी हुई और जनता की सुविधा हेतु कितना खर्च हुआ ? कृपया मदवार आंकड़े बतलावें।

कृषिमन्त्री (श्रीनाथूराम मिर्धा) : इस वर्ष चैत्री (मार्च महीने में) तिलवाड़ा पशु मेला से सरकार को १७६,१६७ रुपये की आमदनी हुई और पब्लिक की सुविधा के लिये १० हजार २०० रुपयों का खर्चा हुआ। कॉपी आपको मिल गई होगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अनोपसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां की सैनिटरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उस पर आपने ४०० रु० खर्च किये हैं। १७६,१६७ रुपया जो लोग पशु बेचने आते हैं उनसे आता है और उनकी सेनीटेशन के लिये ४००) ही खर्च करना उचित नहीं था। उनकी सेनीटेशन खराब होने के कारण आपको उस पर ४००) से ज्यादा खर्च करके सेनीटेशन को सुधारने का प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य मेला देखने गये और मैं भी आमतौर से मेला देखने रोज जाता हूं। किसी बात की कमी रही हो तो आप बता दें, हम वहां की सफाई करा देंगे।

श्री तनसिंह : सफेद चिट्ठियों से क्या आमदनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चिट्ठियें कट जाती हैं। बच्चों को देते हैं, उसमें से कुछ रुपये वसूल होते हैं।

श्री तनसिंह : पासेज़ से आमदनी का क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह वह आमदनी है, जो गाड़ियें बाहर से वहां पर घास वगैरह की आती हैं और वहां से बाहर जाती है उस पर आमदनी होती है।

श्री तनसिंह : वहां पर मन्दिर को २००) इस लाग में से दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, वहां पर एक मन्दिर है।

श्री तनसिंह : उसकी कोई व्यवस्था है ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; वहां पर पुजारी रहता है।

श्री तनसिंह : इस मंदिर पर सरकार का हाथ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर मलीनाथ जी का मन्दिर है। उसकी सेवा-पूजा के लिये २००) देते हैं।

श्री तनसिंह : यह २००) स्थायी रूप से

(श्री तनसिंह)

दिये जाते हैं या आमदनी पर पर्सेन्टेज दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे बजट में जैसी गुंजायश होती है उसी प्रकार दे देते हैं।

श्री तनसिंह : दस हजार रुपये आपने खर्च किये हैं, आप ज्यादा या कम जैसा चाहें रख सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं है। मलीनाथजी के नाम पर ही वहां होता है........(अश्रव्य)

श्री जनार्दनराय नागर : मलीनाथ जी कौन से डिवीजन नम्बर के थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लाडनू में २ अप्रैल से लगा ऑपरेशन कैम्प

४६३. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि लाडनू में २ अप्रेल से एक ऑपरेशन कैम्प लगा था।

(ख) यदि हां, तो उक्त कैम्प की व्यवस्था किसने की थी ?

(ग) क्या यह सही है कि इस कैम्प में सरकारी डाक्टर गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका नाम बतायेगी ?

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इस कैम्प में पांच मरीजों की मृत्यु हो गई ?

(ङ) क्या सरकार ने इस दुःखद घटना की जांच कराई है ? यदि हां, तो उस जांच से क्या नतीजे निकले ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब जांच करायेगी ?

(च) क्या सरकार मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) इस कैम्प की व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा मोबाइल सर्जिकल युनिट के मारफत कराई थी।

(ग) जी हां, उनकी सूची निम्नलिखित है :

१. डा० बी. एन. शर्मा।
२. डा० हरनेजा।
३. डा० रतनचंद।
४. डा० आर. एन. बोहरा।
५. डा० एम. सी. मेहता।
६. डा० गङ्गाराम।
७. डा० आर. भाटी।

(घ) जी नहीं, सिर्फ दो की मृत्यु हुई थी।

(ङ) जी नहीं, क्योंकि विशेषज्ञ भी वही थे और वे इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि उनकी मृत्यु हृदय की गति बन्द हो जाने के कारण हुई थी। मामला स्पष्ट होने के कारण किसी प्रकार की विशेष जांच कराई जाने की आवश्यकता नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कालख बन्ध (जयपुर डिवीजन) से इस वर्ष सप्लाई कर बन्ध छापडवाडों से पिलाई

४६४ **रावल नरेन्द्रसिंह** : (दूदू) क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कालख बन्ध (जयपुर डिविजन) से जो इस वर्ष सप्लाई कर बन्ध छापडवाडा से पिलाई हुई है यह प्रतिवर्ष होती है ?

(ख) क्या सरकार का इस ओर ध्यान है है कि उक्त सप्लाई में पर्याप्त नालियां व लेबिल ठीक नहीं है ?

(ग) क्या सरकार बन्ध कालख सागर से इस सप्लाई कर द्वारा पिलाई जारी रखने का प्रबन्ध करेगी ।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) ऐसा प्रतिवर्ष नहीं होता है ।

(ख) हां, इस विषय में सर्वे करके तकमीना कराया जा रहा है ।

(ग) यदि बन्ध में पर्याप्त पानी आया अवश्य प्रबन्ध किया जायगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह प्रबन्ध जल्दी हो जाना चाहिये ।

प्रश्न संख्या ४६५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया ।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल ।

कस्बा नौहर के अस्पताल में दवाइयों का प्रबन्ध

४६६. **श्रीधर्मपाल** (नौहर) : (१) कस्बा नौहर के अस्पताल में कौन कौन सी दवाइयां कब से नहीं हैं ?

(२) क्या वहां बीमारों से पट्टियां बाजार से मंगवाई जाती है, ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) पिछले साल इस अस्पताल में कुल कितने इन्डोर पेशेन्ट्स दाखिल हुये ?

(४) क्या वहां नर्स की नियुक्ति की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार वहां पर एक्सरे की मशीन भेजने के विषय में सोच रही है ?

(६) वहां की कमेटी के मेम्बरों के नाम क्या हैं और आज तक कमेटी की कितनी बैठकें हुई हैं और क्या क्या सुझाव कमेटी ने दिये हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) रोजाना प्रयोग में आने वाली औषधियाँ नौहर अस्पताल में सदैव उपलब्ध रहती हैं ।

(२) जी नहीं, किसी भी बीमार को नौहर अस्पताल के डाक्टर ने पट्टियां बाजार से लाने को नहीं कहा ।

(३) पिछले वर्ष इस अस्पताल में ७७ मरीजों ने भरती होकर इलाज करवाया ।

(४) यहां पर सदा एक नर्स रहती रही है और अब भी है ।

(५) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

(६) सभी अस्पतालों की एडवाइजरी कमेटी भंग कर दी गई है इसलिये यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Page No.11

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

पहाड़ी (जि० भरतपुर) ५ इन्डोर बेड्स वार्ड के निर्माण सन्बन्धी योजना

४६७. **श्री नत्थीसिंह** (कामां) : Will the Medical and Health Minister be pleased to state :

Wheather the question of constructing a 5 bedded indoor ward in the dispensary at Pahari, District Bharatpur is engaging the attention of the Government ? If so, when is it expected to be compleated ?

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : पहाड़ी डिस्पेन्सरी में अन्तः रोगियों के लिये कोई वार्ड नहीं बनवाया गया है क्योंकि वह एक बहुत छोटी सी जगह है, जिसकी आबादी १७८५ है। ऐसी छोटी जगह के लिये वार्ड नहीं बनाया जा सकता; विशेषकर जब कि पहाड़ी से करीब १२ मील के फासले पर डीग में अस्पताल मौजूद है । डीग अस्पताल में १५ बेड्स हैं।

श्री नत्थीसिंह : डीग वहां से १८ मील के फासले पर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : १२ मील की सूचना है हमारे पास तो।

श्री नत्थीसिंह : १४ मील डीग से से कामा है और कामा से १४ मील पहाड़ी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : माइलेज को इम्प्रूव करेंगे क्या ?

(हंसी)

श्री नत्थीसिंह : (मन्द स्वर में) वहां ३००० की आबादी है।

प्रश्न संख्या ४६८

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह।

कामां से गुचरी तक की मेटल सड़क का निर्माण-कार्य

४६९. **श्री नत्थीसिंह** (कामां) : Will the P. W. D. Minister be pleased to state :

Is the construction work of a new metalled road from Kaman to Gurchra going on for the last three years ? If so, how long it will take to complete it ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : Yes. Out of 10 miles and 2 furlongs, 7 miles of road has been completed and the remaining is expected to be compleated by the end of this year.

प्रश्न संख्या ४७०

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

लूणकरणसर की नगरपालिका के स्थान पर ग्राम पंचायत की स्थापना

४७१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर

Page No.12

(श्री भीमसेन)

देने की कृपा करेंगे :

(क) लूणकरणसर, जिला बीकानेर में नगरपालिका के स्थान पर ग्राम पंचायत की स्थापना कौन सी आज्ञा द्वारा हुई ?

(ख) क्या उक्त गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना के समय उक्त नगरपालिका की कोई निधि थी ? अगर हां, तो उसकी निश्चित रकम क्या थी ?

(ग) क्या उक्त निधि ग्राम पंचायत की निधि मानी जायगी ? अगर हां, तो क्या उक्त निधि पंचायत को हस्तान्तरित कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों और अब कब तक हस्तान्तरित कर दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) लूणकरणसर में नगरपालिका भंग होकर सरकार के आदेश संख्या एफ. (१) (सी) (४) एल. एल. जी./ए/५२ दिनांक १७:९:५२ से वहां पंचायत स्थापित हुई।

(ख) जी हां, ६३२० रुपया।

(ग) जी हां। उक्त निधि पंचायत को स्थानान्तरित करवाने की कार्यवाही चल रही है। हिसाब विभाग ने इस सम्बन्ध में कुछ आपत्ति की है, उसकी पूर्ति कर शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार आदेश देगी।

श्री भीमसेन : कब तक आदेश जारी किये जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि ए. जी. के यहां से ओब्जेक्शन्स आये थे उनके जवाब दे दिये गये हैं। हिसाब की पूर्ति ज्योंही हो जायगी आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री भीमसेन : यह नगरपालिका की निधि पंचायत को दिलाने की कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से वहां की नगरपालिका भंग होकर पंचायत कायम हुई तभी से शुरू हो गई है।

श्री भीमसेन : कब तक यह कार्यवाही खत्म हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिलकुल साफ अर्ज कर चुका हूं कि ए. जी. के ओब्जेक्शन्स आये थे, उनके जवाब दे दिये गये हैं उनकी पूर्ति होते ही यह कार्यवाही पूरी हो जायगी।

श्री पुरुषोतमलाल : ओब्जेक्शन्स कब आये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है, बाकी यह है कि उन ओब्जेक्शन्स का जवाब दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या ४७२

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७३

श्री भैरोंसिंह :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

राज्य में अनाज की मंहगाई एवं बाहर अनाज भेजने पर रोक

४७४. **श्री लल्लूराम** (टोंक) : क्या खाद्य

(श्री लल्लूराम)

मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य में अनाज की मंहगाई के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या अनाज राजस्थान से बाहर भेजा जा रहा है ? अगर हां, तो सरकार इसकी रोक-थाम क्यों नहीं करती है ?

(ग) सब से ज्यादा अनाज कहां और कौन से जिले में पैदा होता है ?

(घ) क्या सरकार की अनाज सस्ते भाव पर बेचने की योजना है ?

खाद्य मंत्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (क) राजस्थान में अनाज के भाव उसकी उपज तथा मांग एवं पूर्ति पर आधारित रहते हैं ।

(ख) राजस्थान से अनाज के बाहर जाने पर कोई नियन्त्रण नहीं है । इस पर प्रतिबन्ध लगाना भारत सरकार की नीति पर निर्भर है ।

(ग) राजस्थान में गंगानगर जिले में सबसे अधिक अनाज पैदा होता है ।

(घ) सरकार अनाज के भाव सस्ते करने के लिये निरन्तर प्रयत्न करती रही है । अनाज के राज्य से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न भारत सरकार की नीति पर आधारित है ।

राव राजा श्री सरदारसिंह : क्या जिला टोंक में भी दुकानें खोली जायंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कल जिलेवार विवरण बता दिया था कि कहां-कहां खोली जायंगी, वह मैं समझता हूँ माननीय सदस्य को याद होगा ।

श्री लल्लूराम : राजस्थान से अब तक कितना अनाज बाहर भेजा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियन्त्रण नहीं है बाहर भेजने पर, इसलिये नहीं कहा जा सकता कि कितना अनाज बाहर गया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब तक अनाज बाहर ले जाने के कितने परमिट दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर चुका हूं कि अनाज के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है । जब प्रतिबन्ध ही नहीं है तो परमिट देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या राजस्थान से बाहर अनाज भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने अपनी राय भेजी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान सरकार ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि प्रतिबन्ध लगा दें, पर भारत सरकार ने अपनी जो ऑल इन्डिया फूड पोलिसी है उसके अनुसार प्रतिबन्ध लगाने से इन्कार कर दिया ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान से बाहर अनाज जा रहा है, इसके लिये राजस्थान सरकार क्या नीति अख्तियार करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बारे में राजस्थान सरकार भारत सरकार की नीति पर चलती है ।

Page No.14

श्री तन सिंह : क्या राजस्थान अनाज की कमी का इलाका माना गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं; स्केयर्सिटी, फैमिन होता है तो कमी का इलाका हो जाता है ।

एक माननीय सदस्य : केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के अन्दर कमी के इलाके घोषित किये हैं, क्या इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जानकारी है, जोधपुर और उदयपुर डिवीजन में कमी के इलाके घोषित किये गये हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा गया है कि यहां अनाज की बहुत कमी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वस्तुस्थिति से राजस्थान सरकार भारत सरकार को सदा अवगत कराती रही है और कराती रहेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : कमी होने का इलाका होने पर क्या अनाज के बाहर भेजे जाने पर नियन्त्रण करने की नीति अख्त्यार नहीं की जा सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले स्पष्ट अर्ज कर दिया है कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से राजस्थान से बाहर अनाज भेजे जाने पर नियन्त्रण लगाने के लिये लिखा था लेकिन भारत सरकार ने ऑल इण्डिया फूड पोलिसी के बेसिस पर इन्कार कर दिया ।

एक माननीय सदस्य : आपने फरमाया कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान कमी का इलाका है, तो वहां इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान कमी का इलाका है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां कमी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राजस्थान खाद्यान्नों की दृष्टि से सेल्फ सफिसियेन्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या उदयपुर में वर्षा से पहले अनाज भेज दिया जायगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सच है कि प्रोफीटियरिंग और होर्डिंग इस कमी का कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होर्डिंग के लिए अब कोई ऐसा कानून नहीं है, पहले था तब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अनाज की कमी के कारण कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर होगी या भारत सरकार पर रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कमी कहीं नहीं है । अनाज की कहीं कमी नहीं होगी और न कहीं इस कमी के कारण मृत्यु ही होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि तीन दिन पहले किसी माता ने खाना नहीं मिलने के कारण अपनी पुत्री को कुएं में डाल दिया ?

Page No.15

श्री दामोदर लाल व्यास : इस प्रकार के कहानी किस्से बहुत से अखबारों में आते हैं, जो आप भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४४७, श्रीमती चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पंचाचत प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक की सी० पी० ओ० द्वारा लिखी गई भूमिका

४४८ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पंचायत प्रकाशन जयपुर द्वारा 'राजस्थान पंचायत बिभाग की विज्ञप्तियां और आदेश' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें सी. पी. ओ. ने भूमिका लिखी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस पुस्तक का सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या इस पुस्तक के प्रकाशन में सरकार का भी कोई इन्ट्रेस्ट है ? यदि हां, तो क्या ?

(ङ) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले के पंचायत इन्सपेक्टर के पास ये पुस्तकें बिक्री के लिए भेजी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु इसका पंचायत विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस भूमिका को लिखने से पहले चीफ पंचायत ऑफीसर ने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि पंचायत प्रकाशन, जयपुर द्वारा इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित रखे जायंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, प्रकाशक के सामने पहले यह प्रश्न ही नहीं था, यह तो बाद में प्रकाशक ने छाप दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भूमिका लिखते हैं तो सरकारी अधिकारी के लिये इस सम्बन्ध में जानकारी अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने कहा, सर्वाधिकार सुरक्षित रखने का कायदा सरकारी सक्यूलर्स हैं उनके लिये नहीं है और पंचायत अधिकारी ख्याल नहीं कर सकता था कि इसका सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा ख्याल नहीं कर सकता था तो पंचायत विभाग की ओर से सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं रखा जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत विभाग की ओर से यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। निजी हैसियत से पंचायत अधिकारी ने इन्ट्रोडक्शन लिखा है।

Page No.16

श्री भैरोंसिंह : निजी हैसियत से इन्ट्रोडक्शन लिखा है, तो नीचे यह डेज़िग्नेशन कैसे लिखा हुआ है, "चीफ पंचायत ऑफीसर, पंचायत विभाग" ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह निजी रूप से ही समझना चाहिए ? सर्कूलर्स से स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह एक प्राइवेट पब्लिकेशन है, जिसको खरीदना हो वे खरीदें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीकर के इन्सपेक्टर के कार्यालय में इस प्रकार की ३०० के करीब पुस्तकें पड़ी हुई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद

क्षय रोग ग्रसित कर्मचारियों के उपचार हेतु व्यवस्था

४५०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि क्षय रोग से ग्रसित सरकारी कर्मचारियों को उपचार के लिए सरकार सहयोग देती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ये नियम पुलिस विभाग पर भी लागू होते हैं ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि पिछले वर्ष कुछ हेड कांस्टेबिल्स एवं थानेदार क्षय रोग से ग्रसित होकर जयपुर सेनिटोरियम में भर्ती थे ?

(घ) क्या इन लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या सहायता दी गई, यह इस उत्तर में नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले कुछ दवाइयां नहीं मिलती थीं वे दवाइयां दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

ग्राम जानवी (त० सांचोर) में आयुर्वेदिक वैद्य-व्यवस्था

४५१. (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) **श्री अनूपसिंह :** क्या स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

तहसील सांचोर के ग्राम जनवी में आयुर्वेदिक औषधालय में कितने अर्से से वैद्य नहीं है और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की ओर से राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अक्टूबर सन् १९५५ से। चूंकि गांव जानवी से औषधालय का स्थानान्तरण ग्राम सीन्दरी कर दिया गया है इसलिए ग्राम जानवी में वैद्य की उपस्थिति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती आनन्ददेवी जेलिया ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

भूतपूर्व सीकर ठिकाने द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों को आर्थिक सहायता

४६८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भूतपूर्व सीकर ठिकाने द्वारा किन किन आयुर्वेदिक औषधालयों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता वार्षिक दी थी ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) अब उपरोक्त औषधालयों में से किन किन औषधालयों को सहायता नहीं मिल रही है और क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता की ओर से) : (क) भूतपूर्व सीकर ठिकाने द्वारा निम्नलिखित ११ औषधालयों को उनके समक्ष अंकित आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती थी, जो अब भी दी जा रही है :

१. सार्वजनिक औषधालय, धीरजपुरा

२. सार्वजनिक औषधालय, रघुनाथपुरा

३. श्री सार्वजनिक औषधालय, गनेड़ी ६०० रु० ।

४. श्री महावीर औषधालय, घोंघ ८०० रु० ।

५. श्री श्रीगांधी सार्वजनिक औषधालय, पीपरासी ३०० रु०

श्री भैरोंसिंह : यह तालिका तो आपने सदन की मेज पर रख दी होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, उत्तर छोटा सा ही है ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, नहीं; इस प्रश्न में अर्ज किया गया कि इसकी तालिका सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, तालिका छोटी ही है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं :

६. श्री परोपकारी औषधालय, नेछवा ६०० रु०

७. श्री सार्वजनिक औषधालय, लोसल ६०० रु०

८. श्री माधव सेवा समिति औषधालय, सीकर ६०० रु०

९. श्री सार्वजनिक औषधालय, श्री माधोपुर ४०० रु०

१०. श्री सार्वजनिक औषधालय, बलारा ३०० रु०

११. श्री राजस्थान ग्रामोद्योग संघ, फतहपुर ३००रु०

(ख) उपरोक्त औषधालय में से नंबर १ धीरजपुर और नम्बर २ पर रघुनाथपुर के औषधालयों को सहायता नहीं दी जा रही है और इनकी सहायता बन्द होने का कारण यह है कि उनको रोगी संख्या सहायता के नियमों के अनुसार न्यून है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीकर जिले के नवयुग औषधालय की आर्थिक सहायता किस कारण से बन्द हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; किस के विषय में आपने पूछा, पीपरासी या सीकर ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीकर के नवयुग औषधालय के बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सीकर के अन्दर तो श्री माधव सेवा समिति औषधालय को ६०० रुपया सलाना है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नवयुग में भी मिलती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, और न अब मिलती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल ।

सिकराय में डिस्पेन्सरी भवन बनाने सम्बन्धी

४७२. **श्री गज्जा पटेल** (मीनापट्टी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सिकराय में डिस्पेन्सरी भवन बनाये जाने की आज्ञा हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) सिकराय में डिस्पेन्सरी भवन बनाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : (श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान निर्माण के पश्चात् भारतीय कृषि रिसर्च संस्था में भेजे गये व्यक्ति

४७३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि विभाग द्वारा राजस्थान निर्माण के पश्चात् इन्डियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट में रिसर्च की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा गया ?

(ख) इन इन्सटीट्यूट्स में राजस्थान के लिये कितनी सीट्स निर्धारित हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस इन्स्टीट्यूट में बहुत कम व्यक्ति राज्यस्थान से भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) यह विभाग केवल प्रार्थनापत्र इन्डियन एग्रीकलचर रिसर्च इन्सटीट्यूट, देहली को भेजता है । अब तक २६ प्रार्थना-पत्र भेजे गये हैं ।

(ख) कोई निश्चित नहीं है ।

(ग) इन्डियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट राज्यों के कृषि अधिकारियों के द्वारा आवेदन-पत्र निमंत्रित करता है और योग्य प्रार्थियों के निवेदन-पत्र इस विभाग द्वारा वहां भेज दिये जाते हैं और चुनाव का अन्तिम निर्णय इन्डियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट के हाथ में है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस विभाग की ओर से प्रार्थना-पत्र आमत्रित किये जाते हैं, यह नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आमंत्रित

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं किये जाते तो फिर यह २६ प्रार्थनापत्र कहां से भेज दिये गये ।

श्री भैरोंसिंह : प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते हैं या नहीं, साफ-साफ बतायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किये जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : कब कब आवेदनपत्र भेजे गए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आपने अलग से दूसरा पार्ट इस सवाल में जोड़ दिया होता तो मैं जरूर जवाब दे देता ।

श्री भैरोंसिंह : पांच वर्ष में जोआवेदन पत्र भेजे गए तो क्या उनकी संख्या केवल २६ ही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आये तो न जाने कितने होंगे । मगर हमने २६ ही भेजे हैं, सबको फारवर्ड नहीं किया जाता है । हम स्क्रूटनाइज़ करते हैं और जिस आवेदनपत्र को ठीक समझते हैं, उसी को भेजते हैं । मगर पांच वर्षों में कितने आवेदनपत्र भेजे गये, इसकी संख्या मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बतायेगी कि गत पांच वर्षों में कितने कितने आवेदन पत्र भेजे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग सालों का तो डेटा मैं अभी नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो छात्र भेजे जाते हैं उनको कोई छात्रवृत्ति भी मिलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

श्री गोकुलचन्द : इसमें शिड्यूल्ड कास्ट वालों का भी ध्यान रखा जाता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री, प्रश्न संख्या ४५५.

श्री लादूराम : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : उनका तो हमेशा ख्याल रखा जाता है ।

(विराम)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

न्यू कालोनी (जयपुर) में महिला स्नान घर

४५५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या स्वायत्तशासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में न्यू कालोनी के पास एक स्नानघर औरतों के लिए बनाया गया है ?

(ख) यदि हां तो कब व उसको अब तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या यह सत्य है कि नल और बिजली के अभाव में ही वह बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है ? यदि हां तो अब सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से राज्य मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : यह भवन अप्रैल ५६ में पूरा हो गया था और इसमें नल तथा बिजली की व्यवस्था भी कर दी गई थी । इस भवन को एक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

न्यास को हस्तांतरित किया जाना था, पर इसी बीच में चौकीदार के अभाव में वहां से कुछ नल का सामान चोरी चला गया, जिस कारण से यह चालू नहीं किया जा सका। जल विभाग को इसे पुनः पूरा करने को लिखा गया। इसका अनुमानिक (एस्टीमेंट) व्यय प्राप्त हो गया है। मंडल ने इस एस्टीमेट को स्वीकार कर लिया है और ज्यों ही प्रस्तावित न्यास इसे अपने अधिकार में ले लेगा इसे पुनः सर्व प्रकार से पूर्ण करवा दिया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : चौकीदार के अभाव में सन् ५६ से यह कार्य पड़ा रहा तो अब वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आप को अर्ज किया है कि चौकीदार के अभाव में कुछ सामान चोरी चला गया। उसके बाद एस्टीमेट तैयार करके जल विभाग को लिख दिया गया है कि सामान की पूर्ति कर दी जाये। सामान की पूर्ति होते ही काम पूरा हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : टाइम बता दीजिये क्योंकि, यह मामला ५५ से पेंडिंग पड़ा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम तो बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : Within three months. हो जायगा !

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप ही समझ सकते हैं, मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता।

(एक साथ तीन माननीय सदस्यों ने उठ कर प्रश्न पूछे)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन सवालों में से एक भी नहीं समझ सका।

११.४६ म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री नारायण सिंह, डिवीजन नम्बर १०८, ने दिनांक २६–५–५७ से सत्र के अन्त होने तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या मालूम सदन कितना और चलेगा जो उनको आज्ञा दे दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप ही देख लेना।

श्री पी० के० चौधरी द्वारा प्रस्तुत स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस आया है जो इस प्रकार है :

"Sir,

Page No.21

(श्री अध्यक्ष)

"I desire to move the following adjournment motion for the purpose of discussing a definite of matter of urgent public importance :

'That the Assembly do adjourn to discuss the impending threat to maintenance of industrial peace in the city due to the proposed dismissal of twenty eight active Union workers including the President of the Jaipur Spinning & Weaving Mills Mazdoor Union by the Management of the said Mills, which is likely to result in grave danger to the industrial peace of the city by inducing sympathetic striks in most of the industrial concerns in the city.'

Yours faithfully
P. K. Chaudhary."

यह मामला इतना आवश्यक नहीं है जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय, अतः यह नामन्जूर किया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो-चार शब्द निवेदन करना चाहता हूँ .....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई वाद-विवाद करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके इम्पार्टेंस के बारे में दो-चार शब्द आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : No discusson is permissible.

११.५१ म० पू०

श्री अध्यक्ष को श्री तनसिंह द्वारा प्रेषित पत्र सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : एक पत्र मेरे पास श्री तनसिंह जी द्वारा भेजा हुआ आया था वह इस प्रकार है :

"अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय : रामराज्य परिषद् विधान सभा दल को विरोधी दल की मान्यता।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सभी जानकारी आप के कार्यालय को दी जा चुकी है, दो बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला किन्तु सखेद कहना पड़ता है कि लगभग एक माह हो रहा है। अभी तक आप इस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि इस दल को मान्यता प्रदान की जावे।

श्री नगर में विधान सभा अध्यक्षों के सम्मेलन में जो सिद्धान्त विरोधी दल की मान्यता के लिये निश्चित किये गए थे, उसके अनुसार १६ सदस्यों के रामराज्य परिषद दल को ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। किन्तु अब हमें प्रतीत हो रहा है कि इस साधारण मसले पर अत्यधिक समय लगाने का अभिप्राय यह भी हो सकता है सामान्य न्यायपूर्ण निर्णय के अभाव के औचित्य प्रदर्शन के विफल प्रयास के लिए कारण गढ़े या खोजे जा रहे हैं। यदि उपरोक्त अभिप्राय ही वास्तविक है तो यह बड़े खेद का विषय है, फिर भी हम आपके निर्णय की घोषणा की

Page No.22

(श्री अध्यक्ष)

उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भवन्निष्ठ,

तनसिंह १६७.

स. रा. वि. सभा सचिव, रामराज्य परिषद् विधान सभा दल"

यह मामला विशेषाधिकार का है, इस पर काफी कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा इसी तरह का एक और इन्हीं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था जो विशेषाधिकार के बारे में था। इनके खेद प्रगट करने पर उस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह का फिर एक और पत्र आना बहुत खेद जनक है। सदन को इस पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं इसको सदन की विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता, किन्तु इसके साथ ही इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा एक पत्र और आया है वह इस प्रकार है:—

"सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

श्रीमान्,

मैंने हाल ही में एक पत्र आपको राजस्थान विधान सभा के राम राज्य परिषद् दल की मान्यता के सम्बन्ध में दिया है। मुझे महसूस हुआ कि उस पत्र में कुछ शब्द हैं जो असंसदीय व अशिष्ट हैं।

मैं इस विषय में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी मंशा कभी आपसे अशिष्टता व असम्मान बताने की नहीं थी; ऐसी अवस्था में मैं उन शब्दों पर खेद प्रगट करता हूँ।

भवन्निष्ठ

तनसिंह, एम. एल. ए.

२८।४।५७ डि. सं. १६७"

इस पत्र के आने के बाद, मैं नहीं समझता इस मामले को और आगे बढ़ाया जाय। माननीय सदस्यों को विशेषकर इन माननीय सदस्य को मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो बात है, वह बहुत गम्भीर बात है और माननीय सदस्यों को सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुये बहुत सोच-समझ कर कार्यवाही करनी चाहिये। इस समय मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, माननीय सदस्य आयन्दा इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह: विरोधी दल की मान्यता के सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है, इसकी हम जानकारी चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: इस बारे में जो भी माननीय सदस्य मुझसे मिले उनको मैंने सारी स्थिति बता दी है। जो १६ सदस्य इन्होंने बताये हैं, दरअसल उतने सदस्य इसमें नहीं है। जो लिस्ट यहां दी गई है उसमें से दो माननीय सदस्यों ने लिख कर दे दिया है कि हम इस पार्टी के सदस्य नहीं है और भी कई कॉम्पलीकेशन्स हैं, इसलिये अभी एक दम इस बारे में निर्णय नहीं दिया जा सकता।

जनलेखा एवं प्राक्कथन समितियों के सभापति

श्री अध्यक्ष: जनलेखा समिति का चेयरमेन श्री हरिदेव जोशी को नियुक्त किया जाता है एवं प्राक्कलन समिति का चेयरमेन श्री मोतीलाल चौधरी को नियुक्त किया जाता है।

अब मोटर विहिकल्स टैक्सेशन अमेन्डमेन्ट पर बहस जारी रहेगी।

११. ५३ म. पू.

Page No.23

श्री भैरोंसिंह के विशेषाधिकार प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक प्रिविलेज मोशन मूव किया था, इस सम्बन्ध में मुझे कल सूचना प्राप्त हुई है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा उसे मूव करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, मैं इस सम्बन्धमें स्पष्टीकरण चाहूँगा। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने जिस समय मेरे प्रश्न का उत्तर दिया उस समय लोकवाणी का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन लोकवाणी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र है वैसी सूरत में जो सदन में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा बात कही गई थी वह असत्य थी; तो मैं क्या यह समझूं कि जो विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रश्न मैंने उठाया था वह इस बात के लिये अस्वीकार कर दिया गया कि लोकवाणी मान्यता प्राप्त पत्रों की सूची में नहीं है या यह मान कर चलूं कि जो उत्तर स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा सदन में दिया गया था वह असत्य था और वे इस उत्तर की दुरूस्ती करने के लिये तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने इस बारे में कहा है कि उनके विभाग द्वारा गलती हो गई थी; वैसे लोकवाणी मान्यता प्राप्त पत्रों की सूची में है। उन्होंने स्पष्टीकरण भेजने को कहा है। वे इस बारे में स्पष्टीकरण भेज देंगे।

श्री भैरोंसिंह . क्या वे सदन में स्पष्टीकरण देंगे ?

राजस्थान जन-सेवा आयोग (सेवा के प्रतिबन्ध) विनियम १९५१ के विनियम ३ में संशोधन सम्बन्धी विज्ञप्ति

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, "In pursuance of Article 318 of the Constitution of India, I lay a copy of amendment made in Regulation 3 of the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1951."

राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन)

श्रीदामोदरलाल व्यास (राजस्वमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक बिल को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर यदि माननीय मन्त्रीजी द्वारा स्टेटमेंट हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को पढ़कर सुना देता हूँ, जिससे माननीय सदस्यों के समझ में आ जायगा :

"Several urban areas in Rajasthan are in absolutely abandoned and improper conditions. This is due partly to lack of funds and partly to absence of proper supervision and chalking out of suitable improvement schemes on modern lines. It is considered necessary with a view to achieving the improvement of such neglected urban areas, to provide for the establishment of improvement tru-

Page No.24

(श्री दामोदरलाल व्यास):

sts, to empower them to raise funds, to frame improvement schemes, to execute them and to exercise some Municipal powers during such execution. The Bill is designed to achieve that purpose. The powers given to the Trusts to be constituted there under are wide enough but as they have been sufficiently subjected to Government control, they are free from risks of all sorts. Rights of private persons have also been sufficiently protected in as much as all disputes arising between them and the Trusts are to be referred to the District Judge from whose decision an appeal will lie to the High Court."

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय...................

श्री भैरोंसिंह : मुझे इसका विरोध करना है, इस बिल के इन्ट्रोडक्शन पर।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर कर लेना।

श्री भैरोंसिंह : अभी साथ ही साथ हो जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सम्भवतया इस स्टेज पर बहस तो नहीं होती है; यह माननीय सदस्य को मालूम होगा और भी कई मौके आवेंगे बोलने के, बाद में बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : मर्जी आपकी साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२.१ म. प.

राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : अब राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ के क्लॉज २ पर बहस चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...................

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे सदन का आखिरी दिन है और हमारे सामने काफी बिल हैं। अच्छा यह हो कि जो बिल पेन्डिंग में हैं उन सबके लिए कुछ समय निर्धारित कर दें कि किसी बिल पर कितना समय लगाया जावे ताकि सहूलियत से सभी काम समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित करने का जहां प्रश्न आता है वहां यह समझ कर नहीं चलना चाहिए कि आज सात कानून हैं तो एक ही सदन में पास कर देंगे। ऐसा समझ कर चलना चाहिए कि सदन का यह अधिकार है; यहां का हर सदस्य जो अधिकार रखता है कि अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक हर मामले पर सदन के समक्ष रख सके उस पर आघात नहीं हो।

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरा प्रश्न यह है कि जो बिल बिज़नैस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष नहीं आया उसके लिये समय निर्धारण का प्रश्न नहीं आता, उसके सामने यह बिल आता तो इसके समय निर्धारित करने का प्रश्न भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में समय की पाबन्दी लगाना उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष से मेरा निवेदन करना है कि किसी एक बिल के लिए समय निर्धारण करने की मांग स्वीकार न की जाय।

श्री अध्यक्ष : बाकी सबके लिए भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो !

श्री भैरोंसिंह : सदन सारा ही इसका विरोध करता है। अलाउन्स बढ़ाने का प्रश्न आता है और प्रश्न आते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक पर तो काफी बहस कल ही हो चुकी है इसलिए मेरे ख्याल से इसमें एक-आध घंटा और लग सकता है। एक बजे तक पारित कर दिया जावेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके लिए एक घंटे का समय और दे सकता हूं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि ठीक है, ठीक हमको किसी प्रश्न पर बेकार बहस करके समय नहीं लेना है पर यह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी कि किसी बिल की बहस के लिए आप एक निश्चित अवधि रखें, अन्यथा जैसे बजट में गिलोटिन लगता है उसी तरह इसे भी पास कर देंगे। मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्न पर तो हम आपस में ही समझ लें और निश्चित समय में आपके आदेश के बिना ही पास कर दें, पर इस प्रकार का बन्धन लगा कर आगे के लिए कोई कन्वेन्शन न बनावें। जो भी बिल पेश हों उन पर विचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार जो सदस्यों का है उसे अक्षुण रखा जाना चाहिए। अगर बहस को बन्द करना हो तो क्लोजर मोशन मूव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा समय का निर्धारण करना अच्छी परम्परा नहीं होगी, आप जो परम्परा आज डाल रहे हैं वह आपको नहीं डालनी चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी यह आदेश दें कि अगर बहस आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो क्लोजर मोशन मूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हाउस की राय इस पर ली जा सकती है। इस पर कल बहुत बहस हो चुकी है और आज जरूरी काम बहुत पड़ा है, इसलिए यह अध्यक्ष की तरफ से कोई परम्परा की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल दिन भर इस पर बहस हो जाने के बाद आज अगर एक घंटा और दे दिया जावे तो ठीक होगा।

श्री तनसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि यह एक घन्टे से भी पहले पास हो सकता है, पर समय के बन्धन की परम्परा चालू नहीं होनी चाहिए। उनके हाथ में ही है इसका उपाय तो। वे क्लोजर मोशन मूव कर सकते हैं, और भी दूसरे रास्ते हैं। मैं समझता हूं कि किसी नियम में ऐसी बात नहीं है कि इस तरह से समय का बन्धन बिल पर लगाया जावे। अगर आज इस तरह का कन्वेन्शन कायम करते हैं तो सम्भवतः आगे और बिलों पर भी यह बन्धन लगाया जाता सकता है। मैं मानता हूं, इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बन्धन लगाया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगर इस पर वाद-विवाद कल दिन भर नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, पर कल इस पर काफी विवाद हो चुका है और आज ऐसा कुछ नहीं रह गया है। इसलिए यह समय की पाबन्दी सब लोगों की राय से ही निर्धारित की जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कोशिश यही करेंगे साहब कि जल्दी खत्म हो जावे। पर समय निर्धारित न किया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक संशोधन क्लॉज़ २ में रखते हुए यह मांग की थी कि इसके उपखंड (१) को विलोपित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की ओर से जो कल उत्तर प्राप्त हुआ उसकी यदि मैं विशद्‌रूप से विवेचना करूं तो यह सदन को जानकारी मिलेगी कि उस उत्तर के अन्दर कोई भी तथ्य नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय मन्त्रीजी ने मेरे संशोधन की भावना को स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करने में उनके समक्ष एक अड़चन उपस्थित हुई थी और वह इस विषय की थी कि जिन १३०६ मोटर साइकिलों पर यह टैक्स लगाया जा रहा है उसकी आमदनी ४ हजार रुपयों की होगी और उसकी पूर्ति किसी और प्रकार से हो सकती है। मैंने इसका भी एक इलाज प्रस्तुत किया था।

मैंने मांग की थी कि राजस्थान के अन्दर जिन व्यक्तियों के पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा या इससे भी अधिक मोटरें हैं, कारें हैं तो स्लैब सिस्टम के आधार पर उनसे जो टैक्स वसूल किया जा रहा है उसमें वृद्धि करें। मुझे इस बात की तो खुशी है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया, पर साथ साथ यह भी कहा कि यदि इस प्रकार का कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता तो अच्छी बात होती। मैं मान सकता हूं कि समय पर ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मैं ऐसा मानकर चल सकता हूँ कि मैं कितना ही वाजिब संशोधन पेश करूं वे मन्त्री महोदय इतनी उदारता दिखाने वाले नहीं। यह एक पहला मौका है कि उन्होंने थोड़ी, मेरे इस संशोधन के प्रति उदारता दिखाई पर मैं यह समझूंगा कि यदि इस उदारता को पूरे ढंग से कर्त्तव्य में उतारता है, तो वे या तो सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई संशोधन प्रस्तुत कर दें और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे इस बात की आज्ञा प्रदान करें कि मैं इसे सदन में प्रस्तुत कर दूं। अध्यक्ष महोदय, केवल चार हजार की पूर्ति का प्रश्न है। मैंने इस पर मुद्दा उठाया था कि यह मिडिल क्लास वालों पर बोझा होगा। आज यह मिडल क्लास कई प्रकार के अन्य करों के बोझों से लदा हुआ है, तो उसे अगर इससे मुक्त करना है तो उनको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिये और यदि उस प्रयास के फलस्वरूप इस कानून में कुछ गुंजाइश कर सकें तो उनके लिये भी शोभा की चीज होगी और उनको भी रिलीफ मिलेगा।

जहां हमारी सर :र हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था समाजवादी ढांचे पर उठाने की कोशिश कर रही है तो फिर हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिनकी आमदनी ज्यादा है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिए जावें ताकि उनको भी बोझा मालूम न हो और रुपया भी एक जगह होर्ड न हो। इस

(श्री भैरोंसिंह)

रुपये का भी विकेन्द्रीकरण होता जावे ।

लेकिन हमारी सरकार के सामने इस चीज का कोई महत्व नहीं था, यह चीज उनके सामने नहीं थी; न तो केन्द्रीयकरण की बात उनके सामने आई, न विकेन्द्रीकरण की, केवल मोटर साइकिल उनके सामने आई और उस पर सोचा गया कि इस पर टैक्स लगाना है और लगा दिया। चार हजार के घाटे की पूर्ति उनको करनी थी। वह इस प्रकार कर ली। मैं तो अब भी चाहूँगा कि वे इस संशोधन को मंजूर कर लें। यह राजस्थान में एक उदाहरण की चीज होगी।

हम टैक्सेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर टैक्स इम्पोज़ करना चाहते हैं। इसमें टैक्सों की इक्वल स्टेटस बनाने की व्यवस्था की है। इस पर टैक्सेशन की व्यवस्था का आधार बनावें तो यह आधार उचित नहीं है। यह आधार कमीशन ने ५०-५१ में बनाया था, जब कि उसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ५० में प्रस्तुत की थी। सरकार ने अपना लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना का इसके बाद घोषित किया था। अब ५० में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आज की परिस्थितियों में, आज की बदली हुई परिस्थितियों में उनकी ओर ध्यान न देते हुए टैक्स बढ़ाते हैं तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। हमें उन पर टैक्स बढ़ाना होगा जिनके पास पूंजी है, जो पूंजीपति हैं, जिनके पास मोटरें काफी संख्या में हैं, पांच-पांच सात-सात कारें हैं, स्लैब सिस्टम से उन पर यह टैक्स लगाना चाहिये। वे इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, काफी पैसा उनके पास है। तो उनसे अच्छा पैसा वसूल हो सकेगा और इस मोटर साइकल पर न लगाएं। इस पैसे से उस घाटे की पूर्ति हो जावेगी। वे मोटर साइकल वाले मध्यम वर्ग के लोग इस से मुक्त होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन सदन में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय। मोटर साइकलों के मालिकों को इस अतिरिक्त कर के भार से मुक्त किया जाय। मैं वितमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि यह जो वास्तविक संशोधन है, वह एक वास्तविकता पर आधारित है, वे ऐसा महसूस करें और यदि राज्य के खजाने में कमी हो रही है तो पूंजीपतियों की जेब से निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा, उनके लिए भी यह एक शोभा की चीज होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ३, श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ के पार्ट १ को विलोप करने को मेरा प्रस्ताव है। मैं इसको सदन में प्रस्तुत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है :

"As the tax in the case of Stage Carriages is being raised, the rate of tax on motor Tricycles, motor rickshwa combinations etc., and motor cabs plying for hire should also be increased from Rs. 30/- per seat to Rs. 35/-per seat per-annum. This is in conformity with the rates proposed by the motor vehicles Taxation Enquiry Committee."

अध्यक्ष महोदय, वैसे यह कहा जाय कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की बेकारी आज बढ़ रही है और सरकार की ओर से इस बेकारी के प्रति जो एक उपेक्षा पूर्ण वृत्ति बरती जा रही है उसके कारण मैं ऐसा समझता हूं कि कई मनुष्यों को इस प्रकार के भी धन्धे करने पड़ते हैं जो धन्धे वास्तव में मनुष्यों के लिए धन्धे के रूप में नहीं हैं। लेकिन कई मजबूरियां ऐसी आती हैं, कई आर्थिक समस्यायें इस प्रकार की आती हैं कि जिनके कारण कई व्यक्तियों को इस प्रकार के धन्धे करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोटर रिक्शों का प्रश्न आता है हमारे राजस्थान में अब तक मोटर रिक्शों की संख्या बहुत ही कम होगी। आज राजस्थान के अन्दर, खास तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में, अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक भ्रमण करे तो हाथ के रिक्शे मोटर रिक्शे हैं, उनकी असंख्य संख्या को देखता है और ऐसा महसूस करेगा कि राजस्थान के बेकारों को भूख का सामना करने के लिए इस प्रकार के धन्धे करने पड़ते हैं और जिनका उनके शरीर पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कई प्रान्तों में इन रिक्शाओं को बन्द करने की व्यवस्था की जा रही है, इन रिक्शाओं को बन्द करने के बारे में कई प्रान्तों में विचार किया जा रहा है और इन लोगों को दूसरे धन्धे प्रोवाइड करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। यहां पर दूसरे धन्धे का सवाल नहीं है। रिक्शा किस प्रकार चले इसका प्रश्न है; किस प्रकार इन बेकारों को धन्धा मिले, इस प्रश्न पर विचार नहीं है, इससे आगे जो सीढ़ी आती है, जो कनवेएन्स हो सकती है, जिसके द्वारा कम कीमत में यात्रा तय की जा सकती है, कम कीमत के आधार पर शहर में भ्रमण कर सकते हैं; यदि इस प्रकार की कोई कनवेएन्स जनता के सामने आती है तो मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा नहीं होगी कि इस प्रकार की सवारी या यातायात की व्यवस्था शहरों में चालू हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इस बात को मान कर भी चलें कि रिक्शा की कमी है और आवश्यकता इस बात की है कि ये और बढ़ें और इनको बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के नगरों में रिक्शा बढाने में सरकार किस प्रकार सहयोग बढा सकती है; वह अपना सहयोग दे, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि इनको सहयोग देने के नाम पर टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं। इस टैक्स में वृद्धि करने के कारण राजस्थान के

(श्री भैरोंसिंह)

खजाने में जो घाटा है वह घाटा पूरा हो जायगा, ऐसा मानकर मैं नहीं चल सकता। मैं बताऊंगा और मन्त्रीजी भी अपने उत्तर में बतायेंगे कि इस प्रकार का टैक्स बढ़ाने से राजस्थान सरकार को इससे कितनी आमदनी होगी, जहां मोटर साइकलों पर टैक्स में वृद्धि करने से राजस्थान सरकार को चार हजार रुपयों की आमदनी होगी वहां यह मानकर चलना होगा कि राजस्थान में ५० मोटर रिक्शे होंगे ज्यादा से ज्यादा और जब ३) रु० टैक्स में वृद्धि करते हैं तो सरकार को केवल १५०) रु० की आमदनी होगी। जिस चीज़ को डेवलप करना चाहिए, जिस चीज को डेवलप करने से हाथ के रिक्शाओं को छोड़ कर मोटर रिक्शा चलायेंगे, इस प्रकार के अमानवीय कार्य से लोगों को दूर हटा कर दूसरा धन्धा प्रोवाइड करने की आवश्यकता थी; केवल १५०) रु० के लालच में आकर इसको बन्द करने की व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर १५०) रु० के आने का ही प्रश्न हो तो मैं ये १५०) रुपया अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जो मुझे इस महीने की तनख्वाह मिलेगी आप उसमें से १५०) कटवा लें और इसको बन्द करदें। हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का टैक्स लगा कर आमदनी करते हैं, चाहे १५०) हो, चाहे ५००) चाहे, १५००हो, खजानेके घाटे की पूर्ति के लिए करते हैं, इसके लिए कोई एक सिद्धान्त नहीं रखा गया है। कल की ही बात है, यह कहा गया कि हम इस यातायात की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इस इन्डस्ट्री में तरक्की लाना चाहते हैं, और इसमें जो बाधायें हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ टैक्स ऐसी बाधा है जिसका उल्लंघन करते हुए कोई आदमी रिक्शा नहीं चला सकता है। इसका नतीजा निश्चित रूप से यह होगा कि वे ही रिक्शा लेंगे जो केपिटलिस्ट्स हैं, जो रिक्शा कर्ज देते हैं, टैक्स देते हैं, जो आमदनी होती है अपने कब्जे में करते हैं। राजस्थान के बजट पर जब वाद-विवाद चल रहा था तो किसी माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा था कि जितने रिक्शा हैं सरकार उनको नेशनलाइज़ कर ले, उनको सरकार अपने कब्जे में कर ले, सरकार अपने कब्जे में करने के पश्चात मामूली कीमत में रिक्शा चालकों को दे, मालिकों के द्वारा जो उनका एक्स्प्लोइटेशन होता है उनसे बचा कर उनका संरक्षण करे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जहां हम इस इन्डस्ट्री की तरक्की करना चाहते हैं, हाथ के रिक्शा हम छुड़ाना चाहते हैं, मोटर रिक्शा अधिक चलाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स लगेगा। हमारी सरकार कहती है कि बढ़ा हुआ टैक्स लेंगे, राजस्थान के खजाने में घाटा है, विकास के कार्य करने हैं, हर आदमी को त्याग करना चाहिए। त्याग कराने का जहां तक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, वह दूसरों जो जेब से कराना चाहते हैं, दूसरे की जेब में धन कितना है, वह माप-दंड रखते हैं। लेकिन न्याय यह कहता है कि धन कितना ही हो, धन समाज के काम में आता है। यदि कोई संचय करता है, तो टैक्स लें, पूंजी कोई अवरुद्ध करता है तो टैक्स ले सकते हैं, यहां पूंजी अवरुद्ध करने का प्रश्न नहीं है, किन्तु पेट भरने का प्रश्न है। मोटर रिक्शा के संचालक हैं उन पर टैक्स लगेगा, मजदूरों पर, मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उन पर, टैक्स लगेगा बदकिस्मती है राजस्थान की कि इस प्रकार की इन्डस्ट्री को डेवलप करना चाहिये था जो डेवलप

(श्री भैरोसिंह)

नहीं हो सकेगी। जहां हम इन हाथ से चलाने वाले रिक्शाओं के व्यक्तियों को इस प्रकार के अमानवीय कार्य से छुड़ाना चाहते थे, इस प्रकार के अमानवीय जघन्य कार्य से जहां हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे उनको वे ही रिक्शा शहरों में चलाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, टैक्स के नाम पर, मामूली चीजों पर टैक्स बढ़ा कर घाटे की पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। पहले भी मैंने सुझाव रखा था और आज भी यह रखता हूं कि मोटर साइकिलों और मोटर रिक्शाओं पर आप टैक्स हटा दें और जैसी कि मैंने आपको तजवीज बतायी है कि जिनके पास ज्यादा मोटरें हों, १ से अधिक मोटरें हों, उन पर आप टैक्स लगाइये और घाटे की पूर्ति कीजिये, यह न्याय की भी चीज होगी, वरना उनके साथ ज्यादती होगी। बहुमत के आधार पर जैसी व्यवस्था करेंगे वैसी व्यवस्था का राजस्थान की जनता को भार वहन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से यह निवेदन करता हुआ और मन्त्री जी से यह निवेदन करता हुआ कि रिक्शाओं पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाय, अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री **नाथूराम मिर्धा** (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन क्लॉज़ ३ के पार्ट (१) को हटाने के सिलसिले में रखा है मैं उसे मानने में असमर्थ हूँ। मुझे जरा दुःख होता है कि वस्तुस्थिति को बिना जाने बहस की जाय और लोगों के बहस की दुहाई दी जाय, मेरे थोड़ा कम समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे असली परिस्थिति से वाकिफ नहीं हैं। हमारे राजस्थान में आज करीब २०२ मोटर टैक्सीज़ रजिस्टर्ड हैं और यदि वे जानकारी करें तो उनको पता लगेगा कि ज्यादातर टैक्सीज़, जिनकी ४ सीट की औसत है, वे किसी न किसी पूंजीपति की तरफ से, कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से रजिस्टर्ड कराई जाती हैं। वे लोग रिक्शा चलाने वालों से रोज १०-१० रुपये चार्ज करते हैं और गरीब मजदूर ड्राइवर उन्हें चलाने के लिये लेते हैं। इनका दैनिक किराया देने के बाद में जो कुछ बचत होती है वह चलाने वालों की होती है। पूंजीपति कुछ रकम का इन्वेस्टमेन्ट करके किराये के रूप में घर बैठे रोज १०), १५) रु० की आमदनी करते हैं। उनको हम कहते हैं कि एक साल में ५) रु० हमको टैक्स के रूप में ज्यादा दो तो उन पर कोई ज्यादा इन्सीडेन्स नहीं पड़ता। इसके बारे में आप कहते हैं कि यह गलत कदम है, मजदूरों को राहत देनी चाहिये, उनका डेवलपमेन्ट करना चाहिये। उनका डेवलपमेन्ट तो अपने आप हो रहा है। जो लोग घर बैठे कमाते हैं वे ही रजिस्टर कराते हैं। पिछले ६ महीनों पहले इनकी संख्या कम थी, कुछ ही महीनों में इनकी संख्या बढ़ी है। यह संख्या गरीबों ने नहीं बढ़ाई है बल्कि जिनके पास पैसा है और जो इसको कमाई समझ कर इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने बढ़ाई है। वे कभी किसी के नाम से रजिस्टर कराते हैं और कभी किसी के नाम से। गरीब मजदूरों को तो किराये पर देते हैं, मजदूर से टैक्स नहीं लिया जाता है। जो लोग इनसे कमाई करते हैं, जो लोग इनसे घर बैठे कमाई करते हैं उनसे हमें ५ रु० लेने पड़ते हैं। तो गरीबों की दुहाई देना वस्तु स्थिति के परे की बात है। इस पर गंभीरता से विचार करके वस्तु स्थिति देखें तो ठीक होगा। मेरी मान्यता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है कि जो कमाई करने के लिये रिक्शे खरीदते हैं उनसे यदि साल में ५) रु० पर सीट लेते हैं तो इसका विरोध नहीं होना चाहिये। यह भी एक आमदनी का जरिया है। बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है। हमको पैसे की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में इसे डिलीट करने में कोई लाभ नहीं होगा। आपके अमेन्डमेन्ट का सुझाव बिल्कुल तथ्यों से परे है, उनकी जानकारी सही नहीं है। इसलिये ऐसा अमेन्डमेंट पास नहीं होना चाहिये। ऐसी सूरत में मैं इसे नामंजूर करता हूँ और सदन से अपील करता हूं कि इसे नामंजूर किया जाय और माननीय सदस्य से भी कहता हूँ कि मैंने जो वस्तु-स्थिति बताई है उससे राजी होकर वे स्वयं अपने संशोधन को विद्ड्रॉ कर लें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हमारे यातायात मंत्री महोदय के पास मैं जब सुबह से आया तब से मुद्दा उठा रहा हूं उसका उत्तर नहीं है; जिन लोगों के पास ज्यादा कार्स हैं उन पर ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता ? इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, न अभी दिया और न पहले दिया और न आगे देने की उम्मीद है। यदि उसका उत्तर देते तो स्पष्ट होता कि छोटे-छोटे इस प्रकार का धंधा करने वाले जो व्यक्ति हैं और जो यातायात के लिये मोटर साइकल्स रखते हैं उन पर टैक्स लगाना ज्यादा अच्छा है या जिनके पास ज्यादा मोटर गाड़ियां हैं उन पर टैक्स इम्पोज़ करना ज्यादा अच्छा है। इसका उत्तर आपने नहीं दिया। उत्तर यही आया कि यह टैक्स मजदूरों पर नहीं है, वरन् उनके मालिकों पर इम्पोज़ किया गया है। कानून की इबारत ऐसी है कि उसमें चालक का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो रिक्शा खरीदते हैं उन व्यक्तियों को देना पड़ेगा। जहां तक इबारत का प्रश्न आता है मैं यातायात मंत्री जी की बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसमें प्रश्न दूसरा है जो यह है कि राजस्थान में रिक्शा-किराया क्या होगा ? जो मजदूर किराये पर रिक्शा ले जाते हैं उनको कितना किराया देना पड़ेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ यह कहना कि मालिकों को देना पड़ेगा, काफी नहीं है। मालिक इतने बेवकूफ नहीं होते कि वे मजदूरों से इसे वसूल नहीं करेंगे। यदि मजदूरों को सेफगार्ड मंत्रीजी करते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा। मजदूरों से कितना लिया जाय, रिक्शों का किराया कितना होगा, सप्ताह में कितना होगा और महीने में कितना होगा, उसके लिये सीमा निश्चित नहीं है, कानून नहीं है। इसके लिये कोई कानून नहीं है और आप मालिकों पर कर लगायेंगे तो मालिक मजदूरों पर ट्रान्सफर कर देंगे। इसलिये मजदूरों को प्रोटेक्शन देने का प्रश्न है। यदि मजदूरों को प्रोटेक्शन देने का प्रश्न है तो उनको यहां सेफगार्ड किया जाय। वह इस किस्म का होना चाहिये कि मजदूरों से मालिक वसूल नहीं कर सकते और यदि इस टैक्स के कारण कोई किराया इन्क्रीज़ करता है तो वह इन्वेलिड होगा और मजदूरों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा। यदि वे इसको स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं करते हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

[विराम]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

[स्वीकृत]

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल आदि विधेयक में अंग से रूप से जोड़े गये।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोटर वेहिकल्स टेक्सेशन (अमेन्डमेंट) बिल, १६५७ को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन माननीय मन्त्री जी की तरफ जिस बात के लिए कल से अपेक्षा लगाये बैठा हूं उसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है........

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर आप नहीं बोलें तो २ मिनट में कह दूं। पहले कहने के बाद बोलते जावें तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

आपने कल सुझाव दिया था क्लॉज़ को डिलीट करने के सिलसिले में कि प्राइ-वेट-ओनर्स-कार के ऊपर ३ रु० पर सीट (per seat) बढ़ाये हैं उसके बजाय ज्यादा बढ़ावें तो आपको आपत्ति नहीं होगी। मैं इसके लिए थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं; कार्स जिन लोगों के पास हैं, हमने जब जब टैक्स बढ़ाया है उन पर बढ़ाया है। मुझे निवेदन करना है कि टैक्सेशन बढ़ाते समय एक ही पर बार बार बढ़ाते जावें और दूसरों पर नहीं बढ़ावें तो यह मामला कांस्टिट्यूशन के विपरीत चला जाता है। इस बारे में कांस्टि-ट्यूशन के पोइन्ट पर देखना है। यदि प्राइ-वेट ओनर्स ऑफ कार्स का प्रापोर्शन ज्यादा बढ़ाते हैं तो वह भी कांस्टिट्यूशन के पोइन्ट से वाजिब और उचित नहीं होगा। ऐसी सूरत में अभी जो क्लॉज़ गवर्नमेंट की तरफ से मूव किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए और विधान के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जो वाजिब था, हमें करना था वह कर पाये हैं और आगे कोई ऐसी व्यवस्था होगी, उस समय माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहां संविधान की बात कही गई, उसके कारण मेरी इच्छा होती है, मैं इस बात का स्पष्टीकरण करूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वायदा किया था।

श्री भैरोंसिंह : वायदा जरूर किया था, लेकिन आप संविधान की बात लाये।

(श्री भैरोंसिंह)

आप यह कह देते कि यह टैक्सेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मैं मंजूर कर लेता।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी रहने दें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न यह है कि हम जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, या जो टैक्स बढ़ाने के लिए हमने क्लॉजेज़ पास किये हैं, उनके द्वारा हमारी यातायात इन्डस्ट्री के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा और दूसरा प्रश्न आता है कि यह टैक्स जिसे हम इस कानून के द्वारा जनता से वसूल करेंगे, उस टैक्स का प्रभाव साधारण जनता पर किस हद तक पड़ेगा ? ये दोनों प्रश्न हैं, यदि इन पर गम्भीरता से विचार करें, तो ज्ञात होगा कि साधारण जनता से यह बिल इतना ज्यादा सम्बन्धित है कि उसके ऊपर इस सदन में इस समय कोई विशेष निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस होती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा था, एक संशोधन प्रस्ताव, और जिसके विषय में मैंने संशोधन में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था कि जिन लोगों के पास ज्यादा कार्स हैं, उन लोगों पर कर बढ़ाया जाय, उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ उसके द्वारा माननीय यातायात मन्त्री को स्वयं संतोष महसूस नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, सदन को भी निश्चितरूप से संतोष नहीं हुआ है। केवल यह कह देना कि संविधान में ऐसी चीज़ दी गई, जिसके द्वारा हम जो प्राइवेट—कार—ओनर्स हैं, उनके ऊपर एक साथ टैक्स नहीं बढ़ा सकते। मैं समझता हूँ कि यदि संविधान का प्रश्न लिया जाय, तो एक प्रश्न पैदा होता है कि टैक्सेशन बढ़ाने की हमारी जो नीति है, उसके अन्दर डिस्क्रीमिनेशन तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहां संविधान का प्रश्न है, वहां किसी प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो यह बिल बनाया है, वह स्वयं संविधान के प्रतिकूल है, उसमें डिस्क्रीमिनेशन है, वह संविधान के प्रतिकूल है। जो मोटर साइकिल के मालिक हैं, उन पर तीन रुपया बढ़ाया है और जो बसें आदि हैं उन पर पांच रुपया बढ़ाया है। एक जगह आप तीन रुपया बढ़ाते हैं और दूसरी जगह पांच रुपये टैक्स में बढ़ाते हैं, टैक्स की मात्रा में डिस्क्रीमिनेशन हुआ है, उसमें डिस्क्रीमिनेशन हुआ है। केवल यह कह देना कि २५ सीट की गाड़ी है, उस गाडी के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, उन पर २५ सीट का पोइन्ट फिक्स कर टैक्स लिया गया है, एक पोइन्ट फिक्स करके आप टैक्स में डिस्क्रीमिनेशन कर सकते हैं और उसको आप जायज मान सकते हैं, कॉन्सटीट्युशन के अनुसार मानते हैं, यह डिस्क्रीमिनेशन है, एक कानूनी डिस्क्रीमिनेशन है जिसे हमारे संविधान के प्रतिकूल आप नहीं मानते ! मैंने सुझाव रखा था कि आप इस प्रकार टैक्स फिक्स कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के पास १ गाड़ी होगी, उसको एक गाड़ी के ऊपर ५) देने पड़ेंगे, और जिसके पास दो गाड़ियां हों, उसको दूसरी गाड़ी पर सात रुपये देने पड़ेंगे, तथा जिसके पास तीन गाड़ियां हो, उसको तीसरी गाड़ी पर १० रुपये देने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि दुनियां में कोई कानून जानने वाला व्यक्ति, कानून का सलाहकार, संविधान को पढ़ने वाला इससे इन्कार नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार से स्लैब सिस्टम के आधार पर टैक्स इम्पोज़ किया जाय, तो यह अनकॉन्स्टीट्युशनल चीज नहीं होगी। माननीय मन्त्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि कुछ कॉन्स्टीट्युशनल डिफीकल्टीज़ हैं। मुझे वे एश्यो-

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

रेन्स दें कि यदि इनकांन्सटिट्यूशनल डिफीकल्टीज़ को रिमूव कर दिया जाय, क्या उस रिमूवल के कारण जो गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया है, जो मोटर रिक्शाज़ पर टैक्स बढ़ाया है, वह कम होगा, जिस टैक्स में बढ़ोत्तरी की जा रही हैं उसमें कमी की जायगी। कोई चिन्ता नहीं कि अगले सदन में यह बिल लायें, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करके वे मोटर साइकल, मोटर रिक्शाज़ के ऊपर टैक्स कम करेंगे और कार आदि पर टैक्स बढ़ेगा। मैं इस सूरत में इस बिल को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन आज मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं। उन्होंने बताया कि आगे आवश्यकता पड़ेगी, तो इन पर टैक्स बढ़ाया जायगा। वे यह नहीं कह सकते कि रिक्शों पर टैक्स कम किया जायगा, मोटर साइकल पर टैक्स कम किया जायगा। मैं समझता हूँ कि वे व्हिकल्स पर टैक्स घटाने के लिए तैयार नहीं है ? वे महसूस करते हैं जो मैंने टैक्स बढ़ाने की बातें कहीं, उसके अनुसार बाकी कार आदि पर आगे टैक्स बढ़ा लेंगे, लेकिन टैक्स कम करने की बात स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न यह आता है और जिसके बारे में कल सदन के अन्दर चर्चा की थी कि इस इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट के लिये सरकार को मानलो घाटा भी रहता है, तो उस घाटे की पूर्ति करनी चाहिये। मैंने, जिस रिपोर्ट का हवाला हमारे माननीय यातायात मन्त्री महोदय ने कल दिया था, उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखा है, उसमें अध्यक्ष महोदय, एक कन्सेशन का जिक्र है, खास तौर से इस बात का जिक्र है कि जो व्यक्ति उजाड़ जंगल में, ऐसी आबादी के अन्दर रहे जहां साधारण मार्ग न हो, उस मार्ग के ऊपर कोई गाड़ी चलाना चाहता हो, यातायात की सुविधा जनता को प्रदान करना चाहता हो, तो सरकार उसे रियायत प्रदान करे। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और इस सुझाव की पूर्ति नहीं हुई। मैंने कल एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उदयपुर की कुम्भलगढ़ तहसील का उदाहरण रखा था। वहां पर मोटर नहीं चलती, मोटर रिक्शा नहीं चलते, यातायात के साधन नहीं हैं, उस स्थान पर यातायात की सुविधा रखने की बात की थी। अगर वहां कोई व्यक्ति मोटर चलायेगा तो वह सरकार से अपेक्षा करेगा कि उस पर कम टैक्स लगाया जाय और हमारी सरकार को इस तरह की रियायत देने का अधिकार है और यह अधिकार है कि ऐसी जगह में टैक्स से एक्जेम्प्ट किया जाय। ऐसी सूरत में भी यदि इस इन्डस्ट्री का किसी हालत में डेवलपमेंट न हो सके तो दूसरा प्रश्न यह आता है और जिसको कल भी मैंने प्रस्तुत किया था कि परमिट सिस्टम हटा दिया जाय। मैं समझता हूँ माननीय यातायात मंत्री ने एक बात केवल दलील के रूप में कही कि आज कोई व्यक्ति मोटर खरीदता है और जिस रूट पर वह मोटर चलाना चाहता है उसी रूट के ऊपर १०—१५ गाड़ी दूसरे व्यक्ति लगा देते हैं तो उस मोटर मालिक को जबर्दस्त परेशानी आयेगी और मोटर को निलाम करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज आप नहीं कह सकते कि राजस्थान के अन्दर यातायात की सुविधायें पर्याप्त रूप में मिल रही हैं। आप आज जयपुर से दिल्ली का रूट पास कर देते हैं तो उस रूट पर बड़ा हेवी कम्पटीशन हो जाता है, जिसके सामने वह स्टेन्ड नहीं कर सकता। आज उसके सामने यह प्रश्न छोड़ा जाय कि दिल्ली से जयपुर गाड़ी चलायेगा या जयपुर से सांगानेर चलाना चाहता है तो वह निश्चित तौर पर जयपुर से सांगानेर चला लेगा, जहां बस गाड़ी नहीं जाती है और दूसरे दूसरे गांवों में गाड़ी ले

(श्री भैरोंसिंह)

जायगा। आज राजस्थान की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम कह दें कि यातायात के साधन ठीक हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में गाड़ियां बहुत हैं और रूट्स कम हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में रूट्स ज्यादा हैं और इतनी यातायात की सुविधा नहीं है, मोटर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव का सम्बन्ध नहीं है, इतना पिछड़ा हुआ प्रान्त है। इस प्रान्त में कुटीर उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के कार्यों के लिए, प्रान्त में यातायात के साधन होने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा एक गांव का दूसरे गांव से परिचय होना अनिवार्य है। ऐसी सूरत में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो कानून प्रस्तुत किया गया वह केवल इस प्रकार का कानून है जिससे सरकारी खजाने को भरने की चेष्टा की गई है, जिसके द्वारा इस इन्डस्ट्री को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाने की चेष्टा की गई है, इस बढ़ती हुई इन्डस्ट्री को सरकार के हाथ में अनिश्चित समय तक इस प्रकार रखने का उपाय किया जा रहा है कि इसे छुटकारा न मिल सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून को इस समय वापिस ले लें और वापिस लेने के बाद जो सुझाव मैंने पेश किये हैं, उनके अनुसार कानून पेश करें, परमिट सिस्टम हटा दें, स्लैब सिस्टम को समझ कर टैक्स लगा कर घाटे की पूर्ति कर लें, जो घाटे की पूर्ति करना है। इस तरह का कानून प्रस्तुत करें तो हम स्वागत करेंगे, साधारण जनता इसका स्वागत करेगी, मोटर ऑपरेटर्स स्वागत करेंगे, मोटर मजदूर स्वागत करेंगे, मोटर रिक्शा वाले इसका स्वागत करेंगे। आपने यदि इस प्रकार का कानून रखा तो इसका सब स्वागत करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा और यातायात मन्त्री महोदय से विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि वे इस कानून को वापिस ले लें, तो अच्छा होगा। अगर वे वापिस नहीं लेते हैं तो फिर सदन की मर्जी है कि वह इसे रद्द कर दे, या पास कर दे। यदि इसे वह वापिस ले लें, तो बहुत अच्छी चीज होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, इस बिल के सम्बन्ध में जो बहस हुई और जो बहस माननीय सदस्य ने की, उसे मैंने बड़े गौर से सुना वह अपनी बहस में, जो कल से शुरू हुई है, उस समय से अपनी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह परमिट सिस्टम ठीक नहीं है और इसे खुला कर देना चाहिये। मैं आपके जरिये उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मोटर विहिकल्स एक्ट एक केन्द्रीय कानून है, जो कि हमारे देश की पार्लियामेंट बनाती है, हमारे देश की यातायात नीति का निर्धारण हमारे देश की पार्लियामेंट करती है। उन्हीं रूल्स के माफिक, उसी नीति के माफिक काम करना हमारी स्टेट का कर्त्तव्य है। इसके स्थान पर माननीय सदस्य हमें यह नीति मानने के लिये कहते हैं कि परमिट सिस्टम डिफेक्टिव है। आर. टी. एज़. और एस. टी. एज़. की कोई आवश्यकता नहीं है और वे तो यहां तक पहुँच गये कि इस विभाग की ही आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें माननीय अध्यक्ष, इस नीति का निर्धारण जो इस तरह भाषण देकर माननीय सदस्य करवाना चाहते हैं, वहां हमारी लोक सभा में इतने विद्वान् बैठे हैं जो देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं। उनकी बातें, उनकी सलाह, उनकी नीति देश

(श्री भैरोंसिंह)

को मान्य है और ऐसे जो लोग कानून बनाते हैं उन कानून की तहत हम लोग स्टेट्स में काम करते हैं और मेरे ख्याल से यह बिलकुल सही काम करते हैं। परमिट सिस्टम के बहुत बड़े एडवान्टेजेज़ हैं। इसमें कई लोगों को धंधा मिलता है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसमें काम करती हैं, पहले जो मोनोपोलीज़ स्टेट्स में थीं उनको खत्म किया गया, कई लोग इसमें लग रहे हैं और यह धंधा आगे बढ़ रहा है। यह नहीं हो सकता कि देश के सारे के सारे लोग एक ही धंधे में लग जायं। अगर हम इसे फ्री ट्रेड घोषित करते हैं तो इसके जरिये जो कई लोगों का भरण-पोषण होता है, इस पर अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो यह धंधा, धंधा नहीं रह जायगा, आपस में कम्पीटिशन होकर लोग बर्बाद हो जायंगे और जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं और जो नये लोग इस धंधे में लगेंगे वे बर्बाद होकर इस धंधे को छोड़ देंगे और उनके घर-बार सब नीलाम हो जायंगे।........

श्री भैरोंसिंह : इस सिस्टम में भी कई कोम्प्लीकेशन्स हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोम्प्लीकेशन्स तो सब में हैं। हर सिस्टम की अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। दुनियां की आज तक कोई भी चीज आप नहीं बता सकते जो फुलप्रूफ हो, जिसमें कोई खराबी नहीं हो और न हम इसका दावा करते हैं कि इसमें कोई बुराई या खराबी है ही नहीं, कोई कोम्प्लीकेशन्स ही नहीं हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठे हैं वे भी इनको पूरी तरह दूर नहीं कर सके। अगर माननीय सदस्य अपने आपको इतना होशियार समझते हैं तो पार्लियामेंट के सदस्यों से जाकर बातचीत करें, या खुद पार्लियामेण्ट में जायं ...

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो राजस्थान की खराबियां दूर करनी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की खराबियां तो आप ५ साल से दूर कर रहे हैं, अब पार्लियामेण्ट में जाकर करिये।

तो अगर इस धंधे को धंधा बनाये रखना है और कई लोगों को काम देना है, इस धंधे को सुधारना है तो यह महकमा रखना पड़ेगा, यह सिस्टम रखना पड़ेगा, देश के कानून कायदों को मानना पड़ेगा और काम चलाना पड़ेगा।

तो माननीय अध्यक्ष, उन माननीय सदस्य के क्रिटिसिज्म से जैसा कि उन्होंने कहा कि या तो मैं उनकी बात को मान लूं या इस बिल को वापिस ले लूं, ऐसा करने मे मैं आपने आपको उचित रूप से समर्थ नहीं पाता। इस प्रकार के टैक्स के जरिये जो पैसा लिया जायगा उससे स्टेट को काफी फायदा होगा। अब इस बिल को पारित करने की स्टेज है और उन्होंने जो दलीलें दी हैं उनमें मुझे तथ्य नजर नहीं आता, ऐसी सूरत में अब इस बिल को पारित करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

१२.४७ म. प.

राजस्थान लॉज़ एक्सटेन्शन विधेयक, १६५७
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लॉज़

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक्सटेन्शन बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय गृह मन्त्री जी ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

अभी अभी जो सदन में चर्चा हो रही थी और ४०००रुपये के घाटे की बात को मोटर रिक्शा चालकों से और मोटर साइकिल्स से पूरा किये जाने की बात हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, इसके ठीक बाद जो यह प्रस्ताव एक विधेयक के रूप में सदन में आया है कि हमारे माननीय मन्त्रीगण हैं उनको १०० रुपया बिजली और पानी के खर्च के लिए दिया जाय·······

श्री अध्यक्ष : यह तो राजस्थान लॉज़ एक्स्टेन्शन बिल है।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : घर पर रट कर आये थे क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आपके मुंह में पानी था इसलिये मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री तनसिंह जी के कुछ संशोधन हैं, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं इसलिये मूव नहीं किये जायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

१२.४६ म० प०

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज संशोधन विधेयक, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात एवं कृषि मन्त्री, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (अमेंडमेंट) बिल १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, या तो यह बिल जिस विभाग से सम्बन्धित है, उस विभाग के मन्त्री को पेश करना चाहिये। वे अनुपस्थित हैं तो जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनकी ओर से पेश होना चाहिये। बीच में ही कोई मिनिस्टर पेश करता है तो परम्परा गलत हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष, आपका निर्णय चाहूंगा कि या तो जिस विभाग से कि वह बिल सम्बन्धित हो उस विभाग के मन्त्री उस बिल को पेश करें या जो सीनियर मिनिस्टर हों वे उस बिल को पेश करें। जैसे अभी श्री नाथूराम जी ने पेश किया, यह बिल उनका नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : The member-in-charge means any Minister.

श्री भैरोंसिंह : मैं इसको चैलेंज नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

करता, पर परम्परा गलत हो रही है। कोई मिनिस्टर खड़ा होता है और बिल को पेश कर देता है, इससे विरोधी दल के सदस्यों की भावनाओं का न तो उत्तर मिलता है और न इसके कॉम्पलीकेसन्स और क्या क्या इसके फाइनेन्सियल आसपेक्टस है उसको वे मन्त्री न तो समझ सकते है, और न सदस्यों को एक्स्प्लेन कर सकते हैं इसलिए माननीय अध्यक्ष, इस रूल के अन्तर्गत निर्णय चाहूँगा कि इन मन्त्रियों को भविष्य के लिये पाबन्द कर दें कि किसी भी बिल को वही मन्त्री पेश करें जिनके विभाग से वह सम्बन्ध रखता हो, उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मिनिस्टर पेश करें। जैसे यह बिल जो अभी श्री नाथूरामजी ने पेश किया यह चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा प्रस्तुत करने को था; वे अनुपस्थित हैं तो सीनियर मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद है, वे इस प्रकार का कानून पेश करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को कॉम्प्लीकेशन्स की कौन सी बात नजर आती है ? कानून में कहां लिखा है सीनियर और जूनियर............

श्री भैरोंसिंह : कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन आपके पास में ही तो बैठे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पास में तो बैठे हैं, मगर मुझे चीफ मिनिस्टर ने जाते वक्त कहा था कि अगर मैं मौजूद न हूँ और न आ सकूं तो आप इसको देख लेना। इसके जो भी कॉम्प्लीकेशन्स और फाइनेन्शियल इफेक्ट्स हैं, जो भी सदन जानना चाहेगा मैं उसकी बराबर जानकारी दूंगा और जो भी डिफीकल्टीज़ होंगी उनको बराबर समझाने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे पूछना नहीं चाहता। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि यह परम्परा बनती जा रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप रूल्स को मुलाहिजा फरमाइये : "Member-in charge of the Bill' means in the case of Government Bill any Minister and in any other case the member who has introduced the Bill.

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस की गैर मौजूदगी में यह बिल डिप्टी लीडर ऑफ दी हाउस को पेश करना चाहिये। अगर उसके कोई फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हों तो फाइनेन्स मिनिस्टर इसका जवाब दे सकता है, न कि ट्रान्सपोर्ट या पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर। इससे उसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री भैरोंसिंह : ये उनके राइट्स पर भी एन्क्रोचमेन्ट है। वे स्वयं नहीं बोलते तो हमें तो बोलना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ लिया जाए ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मंत्री ने जो कानून सदन में प्रस्तुत किया है उसकी मंशा यह है कि राजस्थान के मंत्री महोदयों के मकान पर बिजली–पानी का जो खर्चा होता है वह खर्चा गरीब राजस्थान की पब्लिक के खजाने से दिलाया जावे।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे इस बात की खुशी हैं कि अभी ५ मिनिट पहले ही टैक्सों में वृद्धि करने का कानून हमने पास किया है। उस समय जो दलीलें हमारे सामने दी जा रही थीं उनमें से एक दलील यह भी थी कि हमें विकास कार्यों के लिये नये नये टैक्स लगा कर कमी की पूर्ति करनी है। उसके लिए नये नये प्रस्ताव लाकर धन की पूर्ति करते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद यह कानून प्रस्तुत हुआ है जिसके द्वारा कोई विकास का काम नहीं, कोई सड़क का काम नही, कोई नहर का काम नहीं, कोई कूओं का काम नहीं, बल्कि यह रकम मंत्रियों की जेब के काम आती है; इसलिये यह प्रस्ताव पेश किया गया है। जिस समय टैक्सों का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि पब्लिक को खुद को तत्पर रहना चाहिये कि विकास के कार्यों में हाथ बढ़ाये और त्याग करे। इसके लिए गौरव से कहते हैं और यहां तक कहते हैं कि आवश्यकता पड़े तो सरकार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे कि हम इतना त्याग करना चाहते हैं कि उसके कारण वह काम पूरा हो सके। मगर जिस समय स्वयं के लिये त्याग की बात आती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दर्जी ने जेब के टांका लगा दिया हो। उनको चाहिये था कि वे खुद त्याग करके जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह प्रश्न आता है कि वे लोग ७५ रु० की बिजली और २५ रु० का पानी खर्च करते हैं या नहीं? इसके लिये कोई जांच करने की व्यवस्था नहीं। चाहे वे खर्च करें या नहीं करें, उनके बंगले बन्द रहें, वे चुनावों के समय दौरे में जाएँ, और उस समय बिजली पानी का कोई खर्चा न हो, मगर फिर भी इस बिल के द्वारा उनको एक फिक्स्ड एमाउन्ट १०० रु. का सरकार से लेने का उनको अधिकार होगा। यदि हम राजस्थान में त्याग का महत्व बतला कर लोगों से पैसा लेना चाहते हैं और लेने की व्यवस्था करते हैं तो हमें स्वयं को पहले त्याग करना होगा। इसके सम्बन्ध में कई कर्तव्य हैं उनको हमें निभाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, सभी प्रान्तों में इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि राजस्थान और दूसरे प्रांतों में मंत्रियों का वेतन क्या हो? अभी जब आय-व्यय पर सदन में चर्चा हो रही थी तो माननीय चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हालांकि करांची कांग्रेस कमेटी में यह निर्णय लिया गया था कि मिनिस्टरों का वेतन ५०० रु. से ज्यादा नहीं होगा लेकिन उस समय के ५००) की कीमत और इस समय के रुपयों की कीमत में अन्तर है। इसलिये उसकी पूर्ति के लिए १०००) रु० रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करें या नहीं, मगर इससे पहले हमको यह देखना होगा कि एक हजार रुपये वे सारे के सारे खर्च कर देते हैं या नहीं? जब वे इसका उत्तर देंगे तो वे कहेंगे कि हजार रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं उनसे पूर्ति नहीं होती, इसलिये हमने बिजली और पानी के खर्चे को इस प्रकार से पूरा करने के लिये कानून बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर की 'सी' स्कीम में आपको कई बंगले नजर आवेंगे और जब आप उनका पता लगावेंगे कि यह बंगला किसका है तो पता लगेगा कि यह बंगला वर्तमान फलां मन्त्री महोदय का है। दूसरी गली में जावेंगे तो आपको पता लगता है कि यह

(श्री भैरोंसिंह)

बंगला भूतपूर्व मन्त्री का है, फिर आगे जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह बंगला उन मन्त्री जी का है जो चुनाव नहीं हुये थे उससे पहले मन्त्री थे। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे किसी प्रकार की बचत नहीं होती और दूसरी तरफ आप पचास-पचास हजार रुपयों का बंगला जयपुर में खड़ा करते जाते हैं। यह आमदनी कहां की है? हजार रुपये से एक साल में १२ हजार रुपये की बचत होती है, फिर भी आप बंगला नहीं बना सकते। फिर यह बंगले कैसे बन जाते हैं? आपके पास कोई अलाद्दीन का चिराग होगा। अलाद्दीन के चिराग को कह देते होंगे कि मकान बनाओ, कपड़े बनाओ, मोटर गाड़ी आये, मोटर साइकिल आए, नौकर चाकर आयें। वे सब अलाद्दीन के चिराग से आ जाते होंगे। मन्त्री पद मिला कि अलाद्दीन के चिराग ने अपना काम शुरू किया। माननीय मन्त्री कहते है कि एक हजार रुपये कम हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे मकान कैसे बना सकते है जब रुपये कम है। कोई मन्त्री कहते हैं कि उनका कोई जयपुर में कोई नहीं है। मगर जयपुर में नहीं दूसरी जगह उनके मकान हैं, इसका कई माननीय सदस्यों को पता भी नहीं होगा लेकिन उनका मुझे पता है कि किस किस जगह किसका मकान है? किस किस फैक्ट्री में शेअर्स हैं, किस किस बिजनेस में किस किस का हाथ है? मगर यह एक व्यक्तिगत बात होगी और मैं उसको सदन में नहीं कहूँगा और यदि कोई बिल्कुल दूध के धोये बनना चाहते हैं तो वे सदन में खड़े होकर कहें, तो मैं उनकी पूरी जन्मपत्री सदन में प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वयं उसको नहीं कहना चाहता। मैं यह उचित नहीं समझता कि इस प्रकार की बातें मैं सदन में कहूं। मैं समझता हूं कि वे ७५)रु० महीने की बिजली खर्च नहीं करते हैं। अगर राजस्थान में बिजली पर ही ७६ हजार खर्च करने लगे तो मैं समझता हूँ कि यह कोई शोभा की चीज नहीं होगी। यह गरीब जनता का पैसा है इसको इस तरह से खर्च करना उचित नहीं होगा। मगर मैं यह कहूगा कि गरीब जनता क्या करे? गरीब जनता के प्रतिनिधि वहां पर विधान सभा में आये हैं और वे इस कानून में मोहर लगाते हैं और जब मोहर लग जाती है तो यह रुपया खजाने से वसूल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पांच वर्ष पहले जिन मन्त्रियों ने ऐसा खर्चा कर दिया है; ७५) रु० माहवार बिजली और २५) माहवार पानी और जिनको नहीं मिला है उनको भी यह मिलेगा। यह रकम भी राजस्थान के मंत्रीगण राजस्थान के खजाने से वसूल करेंगे। इसके लिये प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने के लिये हमारी सरकार तैयार नहीं होती क्योंकि स्वयं के पीछे बहुमत का बल है। उसके बल पर यह कानून बनायेगी और खजाने से पैसा निकालने का हुक्म देगी।

एक प्रश्न यह आता है और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार का कौन सा नियम है जिससे आप यह निर्णय कर सकते हैं कि इस बंगले में ७५) रु. की बिजली खर्च हुई है या नहीं? मैं समझता हूँ कि इसके लिये कोई कानून नहीं है। माननीय मन्त्री इसको स्पष्ट करेंगे। जहां तक मुझे मालूम है, कोई कानून इस सम्बन्ध में नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कितनी बिजली खर्च हुई?

एक बात यह कही गई कि वोलेन्टरीली जो खर्चा होगा वह बतावेंगे और अगर ७०) की बिजली खर्च हुई है तो वह बतावेंगे। मगर मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा कि वे स्वयं इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ से आज १६५७ तक इस १० वर्ष के अर्से में कितने माननीय मन्त्री महोदयों ने इस बात को बताया। मैं समझता हूँ कि आपको इस प्रकार के कम मिनिस्टर मिलेंगे। इसलिये यह भी प्रश्न आता है कि जहां वोलन्टरीली हम नहीं कह सकते वहां पर नियम की आवश्यकता होती है।

नियमों के द्वारा हमें पाबन्दी लगाने की आवश्यकता होती है लेकिन होता क्या है कि नियमों द्वारा भी हम पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि ७५ रुपये की बिजली और २५ रुपये का पानी बंगला बन्द रहने के बावजूद भी मिलता रहे। बन्द कमरे में अब पंखा चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिक्स्ड अमाउन्ट होने के कारण ७५ रुपये बिजली के व २५ रुपये पानी के वसूल करते रहेंगे। जैसी कानून में मन्शा है शायद मन्त्री महोदय कहेंगे कि मैं विषयान्तर होकर सारी बातें सदन में रख रहा हूं। जो सरकारी बंगले हैं और उनमें जो बिजली आदि खर्च होती है उसके लिये ७५ रुपये हैं। परन्तु जो मन्त्री महोदय अपने प्राइवेट बंगलों में रहते हैं उनको भी अब, ७५ रुपये बिजली के लिये थे और उनकी जो सौ रुपये की कटौती होती थी, वह नहीं होनी चाहिये; इस कारण यह बिल लाया गया है। अब आशय यह है कि उनमें जो बिजली खर्च होती है वह भी सरकार को देनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है और वह आपत्ति इस प्रकार है कि राजस्थान में प्रत्येक मंत्री अलग अलग बंगले में रहता है। जिनके पास सरकारी बंगले हैं वे उन सरकारी बंगलों में रहते हैं और कई प्राइवेट बंगलों पर किराये पर या जिनका घर का है वह घर के बंगलों में रहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि जो सरकारी बंगलों में रहते हैं उनको तो सरकारी सुविधायें प्राप्त हैं, नौकरों की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, उनके यहां टेलीफोनिक व्यवस्था है और सरकार और भी फैसिलीटीज़ प्रोवाइड करती है, बशर्ते कि वह सरकारी बंगलों में रहें और यदि वह दूसरे बंगलों में जाते हैं तो मन्त्री महोदय जो कि प्राईवेट बंगले में या अपने घर के बंगले में रहते हैं वे उसका किराया सरकार से वसूल करते हैं और वह है २५० रुपये। आप ही सोचिये क्या किसी बंगले का किराया २५० रुपये होता है? तो जो मन्त्री महोदय किराये के रूप में सरकार से पैसा वसूल करते हैं इसके लिए मैं कहूंगा कि वह राजस्थान की गरीब जनता के पैसे से उन बंगलों में रहते हैं और जनता के पैसे से किराया देते हैं। तो जो जनता के पैसे से किराया देता है उस मन्त्री को हक नहीं होना चाहिये कि वह अपनी सौ रुपये की आमदनी इस प्रकार के बिल लाकर बढ़ाये। एक तो आपकी आमदनी हो गई तनख्वाह की, दूसरी आमदनी हुई बंगले के किराये की और तीसरी आमदनी हुई बिजली और पानी के सौ रुपये लेने से। तो इस प्रकार हम हिसाब लगायें तो पायेंगे कि हमारी गरीब जनता का काफी पैसा इनके पास चला जाता है। प्रश्न इनके किराये की कटौती का नहीं है, बिजली और पानी के पैसे का नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि जो कुछ पैसा अब तक मिल रहा है वह काफी होता है, फिर इसके आगे और पैसा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अब सदन के माननीय सदस्यों के सामने एक विचारणीय प्रश्न आता है कि क्या आज राजस्थान की जनता इस स्थिति के अन्दर है कि वह राज-

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान के मन्त्रियों को बिजली और पानी के नाम पर सौ रुपया और दे दे........

श्री अध्यक्ष : I do'nt think any money in cash will be payable to the ministers under this Bill.

श्री भैरोंसिंह : जो ले लिया है उसी का जिक्र कर रहा हूं। खास मुद्दे पर तो मैं अब आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कहा कि सेंक्शन बिना कैसे बिजली के और पानी के पैसे ले लिए और उसको जमा कराओ और जो पैसा उन्होंने ले लिया है उसको रेगुलराइज़ करने के लिए यह कानून लाया गया है। यह पोइन्ट तो मैं अब लेने वाला हूं, आ रहा हूं इस पाइन्ट पर ।

श्री नाथूराम मिर्धा : असल बहस तो आपने की ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : असल बहस पर अब आ रहा हूं ।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब एक प्रश्न आता है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति कानून की गलती करता है तो उसको कानूनी गलती करने का खमियाजा उठाना पड़ता है और अगर कहीं कोई मामूली आदमी गलत ढंग से सरकार के खजाने से या सरकार के किसी विभाग से पैसा ले ले, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर ले, अनधिकृत रूप से खर्च कर दे तो उसको दण्ड दिया जाता है और उसके लिए ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि जिनमें ऐसे आदमी को दण्डित करने की व्यवस्था रूल्स में है। लेकिन हमारे मंत्री महोदय यदि कोई गलती कर लें तो राजस्थान में एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें इन्हें दण्ड देने की व्यवस्था हो। इन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिल सकता। अब सब से पहले प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने कौन सी कानूनी गलती की, तो इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट मकानों में रहने वाले मंत्रियों को सरकार से १००) रुपये लेने का कोई अधिकार नहीं था जब कि इस सौ रुपये के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। तो किसी प्रकार का कोई कानून न होने पर भी इन्होंने वे सौ रुपये सरकार से ले लिए, यह पैसा बिना किसी कानून के उन्होंने रख लिया। तो जो काम गैरकानूनी हो गया उसके लिए अब कानून बनाया जा रहा है। माननीय मंत्रियों ने बराबर पांच साल तक गलती की और उस पांच साल तक की गई गलती को अब एक मिनट में एक कानून इस सदन में लाकर उसके द्वारा उसे दुरुस्त किया जा रहा है। हमने जो पिछली गलतियां की हैं उनको इस ढंग से दुरुस्त नहीं कर सकते। इससे मैं आपको बताऊं कि बहुमत का दुरुपयोग होता है, बहुमत द्वारा अल्पमत की हत्या होती है। लेकिन पांच वर्ष तो बराबर गलती की और एक मिनट में कानून सदन में रखा और दूसरे मिनट में पास करवा लिया और जनता के १० हजार रुपये पर पानी फेर दिया। यह सचमुच अत्यन्त ही अशोभनीय है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि जिन मंत्री महोदय ने इस सदन के बिना कानून बनाकर अनाधिकृत रूप से बिजली और पानी के नाम से सौ रुपया माहवार ले लिये हैं वह उनकी तनख्वाहों से वसूल किये जायें और जो आज मंत्री नहीं है उन पर तहसील द्वारा कुड़की कराई जाये और पैसा वसूल किया जाये और जो आज मंत्री हैं

(श्री भैरोंसिंह)

और वे कानून की तामील नहीं करते हैं तो उनको दण्ड मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, गलती कर लो और अगर गलती करने से सरकार किसी भी तरह खुश हो गई तो उसको रेक्टीफाई करने की भी कोशिश सरकार कर देगी। मैं कहता हूं कि यह बहुत ही अप्रजातांत्रिक पद्धति है और जो यह कानून सदन में पेश किया जा रहा है मैं उसका घोर विरोध करता हुआ यह कहूंगा कि हमारे मंत्रियों से त्याग कराने का मौका है। उनसे त्याग कराने के लिए आप अपनी ओर से प्रेरणा दें। मैं समझता हूँ कि आज उनसे त्याग नहीं कराया तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं आयेगा। जनता के पैसे के द्वारा यदि उन्होंने बिजली और पानी का गलत खर्चा कर दिया है और उसकी पूर्ति के लिए आज एक कानून ले आये हैं तो भविष्य में भी गल्तियों को रेक्टीफाइ कराने के लिए कानून प्रस्तुत करते रहेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस बिल का विरोध करना चाहिए और इसको सदन के द्वारा पास न होने दें। इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (अमेण्डमेण्ट) बिल, १९५७ प्रस्तुत है। इस बिल के आधार पर गत पांच वर्षों में मंत्रीगणों ने जो कुछ बिजली और पानी के नाम से सौ रुपया माहवार ले लिये हैं उसको न्यायसंगत बनाने की दृष्टि से आज पांच वर्ष बाद हमसे, जिनके सामने न कभी खर्चा हुआ है, न जिनके सामने कभी इस प्रकार का प्रश्न आया और आज हम नये लोगों के सामने इस प्रकार का विधेयक रखा जा रहा है। गये पांच वर्षों में जो कुछ गलतियां की जा चुकी हैं और इसके बारे में ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने गलती निकाली होगी और उसको सही करने के लिए हमसे एक कागज के ऊपर दस्तखत कराये जा रहे हैं। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ने को मिला कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने वेतन में एक हजार रुपये माहवार की कटौती कर दी है और जैसा आपको ज्ञात होगा कि वह १०,००० रुपये के स्थान पर पहले ही ६,००० लेते थे और अब यह १००० रुपये की कटौती करने के पश्चात् वे अब केवल ५,००० रुपये ही लेंगे। यह सब उन्होंने किया राष्ट्र के उत्थान के लिए और देश की जो योजनायें चल रही हैं उसके अन्दर हमारे राष्ट्रपति महोदय, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने एक हजार रुपये की कटौती की है। ऐसा ही एक प्रस्ताव जो हमारे केन्द्र के मंत्रीगण हैं उनके लिए आया है और कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री ढेबर ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया है। मंत्रीगण अपने वेतनों में कटौती करें और हो सकता है कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल भी इस प्रकार का एक उदाहरण सम्पूर्ण देश के सामने रखे। लेकिन जब हमारे सामने यह विचार आता है और हमारा राजस्थान, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जिसको अभी ऊंचा उठने की आवश्यकता है ऐसे अवसर पर हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय जनता के सामने और देश के सामने त्याग का संदेश उपस्थित नहीं करना चाहते हैं। इस भामाशाह की भूमि पर रहने वाले लोग इस प्रकार का एक बिल लायें, यह एक शर्म की बात है।

१. १० म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री दयाकृष्ण विजय)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बिल का, जो प्रस्तुत किया गया है, घोर विरोध करता हूँ और यह बता देना चाहता हूं कि यह बिल पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ बिल है। मन्त्रीगण के अन्दर जो स्वार्थ वृत्ति जनता के पैसे हड़पने की है वह इस बिल में प्रदर्शित की गई है। एक तरफ तो आप लोग जनता पर भारी भारी टैक्स लादकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं, दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए इस बिल द्वारा जेबें भरने की बू आती है। हम तो यह अपेक्षा कर रहे थे कि सदन के सामने ऐसा बिल आयेगा जिसमें मन्त्रीगण अपने वेतन में कटौती करने का प्रस्ताव करेंगे और यदि इस प्रकार का कोई बिल सदन के सामने आता तो सभी माननीय सदस्यगण उसका स्वागत करते। लेकिन अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मन्त्रीगण १०० रुपये बिजली-पानी के खर्चे के लिये मांगते हैं ! पानी के खर्चे के लिए जो रकम पहले मिलती थी वह बढ़ा कर सौ रुपये तक कर दी जाय, इस तरह का बिल यहां लाया गया है। एक तरफ तो राजस्थान पर आर्थिक संकट आ रहा है दूसरी ओर जनता करों के भार से पहले से ही त्रस्त है, उस पर हमारे मन्त्रीगण इस प्रकार का बिल ला रहे हैं। जब हम राजस्थान की जनता पर भारी टैक्स लगा रहे हैं वैसी हालत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि गरीब आदमी की कमर तोड़ने के लिए भारी कर लगा रहे हैं, चाहे वे कर उचित हों या न हों, बहुमत के आधार पर कर लाद दिये गये हैं तो वैसी हालत में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या हम इस बिल पर अपनी राय दें या न दें ? मन्त्रीगणों को चाहिए तो यह था कि वे वेतन में कुछ कटौती करते और राजस्थान के विकास में कुछ आर्थिक सहायता देने की चेष्टा करते। ऐसी बात नहीं, उल्टे हमारे मन्त्रीगण लेने की बातें करते हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। मैं इसका विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि गये पांच वर्षों के अन्दर जिन मन्त्रीगणों ने बिना सदन की इच्छा के, बिना सदन की राय जाने हुए, जो रुपया बिजली पानी के लिए खर्च करते थे और जिसका पेमेन्ट हो चुका, उसको रेगुलेराइज़ करवाने के लिए जो बिल सदन में लाया गया है उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि जो सौ रुपये माहवार दिलवाना चाहते हैं पुराने पांच वर्षों का, उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि यह उन मन्त्रीगणों की जायदाद से वसूल किया जाय, उनके खिलाफ कुर्की की जाय और यह पैसा इकठ्ठा किया जाय। मैं समझता हूँ और मेरा जहां तक ख्याल है कि कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव से हमारी जनता पर भारी बोझा आने वाला है। आप एक तरफ तो जनता पर कर लगा कर राजस्थान की आय में वृद्धि करना चाहते हैं, दूसरी ओर इस प्रकार रुपया दिया जाता है जो सिर्फ मन्त्रियों के स्वार्थ के लिए बहुमत के आधार पर दिया जाता है। जहां स्वार्थ के लिये यह पैसा लिया जाता है वहां मैं समझता हूँ ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। प्रश्न तो यह उपस्थित होता कि मन्त्रीगण अपनी तनख्वाओं में कटौती करने के लिये तैयार हैं; तो मैं समझता हूं हम सब उसका स्वागत करते। टैक्स गरीब जनता पर न लगाया जाय, हम अपने वेतन में कटौती कर वह पूरा करें। अगर इस प्रकार का समाधान आता है तो उसका स्वागत भी किया जाता, लेकिन पानी और बिजली के नाम पर सौ रुपया महीना दिया जाय, चाहे मन्त्रीगण उस बंगले का उपयोग करते हों या नहीं,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लेकिन सौ रुपया तो हर माह पानी और बिजली के नाम उनकी जेब में जाने ही चाहिए ! यहां यह भी देखा गया है कि मन्त्रीगण महीनों बंगले से बाहर रहते हैं, बंगले बन्द पड़े रहते हैं लेकिन चाहते इस बिल द्वारा यह हैं कि बंगले चाहे बन्द पड़े रहें उनको तो बंधा हुआ पैसा माहवारी मिल जाय पानी और बिजली के खर्च के नाम से । पहले के मन्त्रीगण जो बंगलों का भी उपभोग नहीं करते थे किन्तु २५० रुपये माहवार लेते रहते थे, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है । एक तरफ तो आप लोग यह दिखाने की चेष्टा करते रहते हैं कि हम तो लोक-सेवा करने के लिये यहां आते हैं, जनता के सच्चे हितैषी हैं, जैसे जनता की सेवा करने का ठेका आप ही ने ले रखा हो लेकिन जब अपना स्वार्थ आता है तो उसके लिये इस प्रकार के बिल सदन में लाते हैं । मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member on my extreme right

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी जिन माननीय सदस्य ने भाषण दिया उन्होंने यहां से जो कानून स्वीकृत हुए उनके लिये कहा कि बहुमत के आधार पर लाद दिये गये, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हाउस में जो कानून पास हो गये उनके बारे में इस प्रकार से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं माननीय सदस्य ?

श्री उपाध्यक्ष : What are your observations ?

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो कानून सदन द्वारा स्वीकृत हुए उनके लिये कहा कि बहुमत के आधार पर ये कानून लाद दिये गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का रिफ्लेक्शन माननीय सदस्य कर सकते हैं, इस प्रकार रिफ्लेक्शन देना उचित था क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : I could not be very attentive to the experssions given by the Hon'ble member and as such the point of order is not well taken. Yes, you will please resume your seat.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बिल आज प्रस्तुत हुआ है उस सिलसिले में मुझसे पहिले बोलने वाले दो मित्रों ने कुछ विचार व्यक्त किये । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ उन दो मित्रों को सुनकर । अभी मुझसे तत्काल बोलने वाले मित्र ने कहा कि मन्त्रियों के बंगले महीनों तक बन्द रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता, फिर भी पैसा वसूल कर लेते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता माननीय सदस्य अगर इस बिल के बारे में सोचते कि इसका क्या मकसद है तो इसको वे जान लेते । मगर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कि शायद जानते हुए भी जान-बूझकर उन्होंने सदन में भ्रान्ति फैलाने के लिये गलत राय यहां प्रगट करने की चेष्टा की है । अगर वे ऐसा कहते हैं तो मैं मानता हूँ कि या तो वे इस चीज को समझे नहीं कि इस बिल की मन्शा क्या है या इसका अध्ययन नहीं किया ।

Page No.46

(श्री हरिदेव जोशी)

जिस चीज से उनको शर्म हुई, अफसोस हुआ है, जो स्थिति उनके लिए शर्मनाक थी उसकी विगत में मैं जाना नहीं चाहता। उनकी शर्म उन तक ही महदूद रहे, लेकिन कुछ परस्थितियों को मैं स्पष्ट करना उचित समझता हूँ। हालत यह है कि राजस्थान सरकार के जो मन्त्री अथवा मन्त्रियों की श्रेणी के अधिकारी; जैसे राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, मन्त्री अथवा उपमन्त्री होते हैं उनके लिए उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मकान मिलता है, उनको बिजली और पानी सरकारी खर्च पर मिलता रहा है। कालान्तर में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि जो लोग सरकारी कार नहीं लेते हैं उन्हें २५० रुपये कार के अलाउन्स के रूप में मिलते रहें। जो लोग सरकारी बंगलों में रहते हैं उनके लिये पहले यह व्यवस्था थी कि जितना भी खर्च हो सरकार की तरफ से हो। बाद में यह स्थिति रही कि बिजली के लिये ७५ रुपया माहवार तक और पानी के लिये २५ रुपया माहवार तक खर्चा करने का अधिकार हर मन्त्री को है, उसके ऊपर यदि खर्च होता है तो ये अधिकारी अपनी जेब से देते हैं। यह स्थिति उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के बारे में रही है, जो या तो निजी मकान में रहते थे अथवा सरकार द्वारा जिनको मकान नहीं मिल पाता था, उन लोगों के लिये २५० रुपया माहवार मकान के लिये और २५० रुपया कार के अलाउन्स के रूप में मिलता था और इसी तरह ७५ रुपया बिजली और २५ रुपया माहवार पानी के लिये नियमित रूप से मिलता रहे, यह व्यवस्था थी। सन् ४९ से लेकर आज तक जो नियम बने हुए हैं उनमें परिवर्तन करने का मौका नहीं आया। परिवर्तन केवल सरकार ने किया, वह इतना किया कि जो असीमित खर्चा होता था उसको सीमित किया; पेट्रोल पर जो खर्चा होता था एक जमाने में उसकी कोई सीमा नहीं थी। राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि वॉलन्टियरली ६० गैलन प्रति माह से ज्यादा खर्च के लिये नहीं मिलेगा; इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि ७५ रुपया बिजली के लिये और २५ रुपया पानी के लिये; इससे अधिक नहीं मिलेगा चाहे वे निजी मकान में रहें या किराये के मकान में या चाहे सरकारी मकान में रहें; यह नियम एक सा लागू होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि बंगले बन्द पड़े रहते हैं फिर भी बिजली और पानी का पैसा वसूल किया जाता है। यह उन्होंने नियतन भ्रम पैदा करने की बात की थी जिसका निवारण होना चाहिये था। ७५ रुपये तक जो बिजली खर्च होती है उतना खर्चा सरकार बर्दाश्त करती है, उसके बाद यदि ७६ वां रुपया खर्च हो जाता है तो एक रुपया मिनिस्टर महोदय को देना पड़ता है। ठीक यही स्थिति जो अधिकारी अपने मकान में रहते हैं उनके लिये भी है, दूसरे के किराये के मकान में रहते हैं तो भी यही स्थिति रहती है। मेरा यह निवेदन था कि यह हालत सन् १९४९ से लेकर अब तक चली आ रही है और इसी के अनुसार कार्य होता रहा है। आज यह जो हालत है, जो अपने मकानों में रहते हैं उन पर भी इतना तक का खर्च किया जायगा, इस सम्बन्ध में एक ऑडिट ओब्जेक्शन आया था उसमें कहा गया था कि इस प्रकार के पेमेन्ट्स को रेगुलराइज़ किया जाय। इसके बाद यह हुआ कि कई मिनिस्टर्स नहीं रहे,

(श्री हरिदेव जोशी)

कुछ लोग विधान सभा के अध्यक्ष–उपाध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन उनके लिये पेमेंट हो गया; सारी चीज हो गई जिसके लिये ऑब्जेक्शन आया उसके लिये मेरे मित्र कहते हैं कि कुर्की करके वसूल करना चाहिये। यह तो उनकी बुद्धिमत्ता की ही बात मैं कहता हूं। सरकार ने एक चीज कही है, उसी के अनुसार पेमेन्ट हुए हैं, उसका इन्टरप्रिटेशन हुआ है और उसको सही करने के लिए अब सरकार कहती है कि इसको इस रूप से सही किया जावे। आज कई बड़े बड़े अतिरिक्त अकाउन्ट के मामले आते हैं, पेमेन्ट होते हैं। अगर ठीक मंशा के अनुसार पेमेन्ट करते हैं तो सही माने जाते हैं, पर अगर पेमेन्ट की मंशा सही नहीं है तो उसको वसूल करने की स्थिति आ सकती है। तो इस तरह से इन्टरप्रिटेशन के मामले में केवल रेगुलराइज़ करने का प्रश्न जब जहां आता है तो उसे हमें ठीक समझना चाहिये। इस बिल के द्वारा यही बात लाई जा रही है। इन्टरप्रिटेशन के मुताबिक मामले को रेगुलेराइज करने का प्रश्न इससे आता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस भाषा में और जिस भाव में मन्त्री महोदय ने इस चीज को यहां रक्खा है वह उचित ही है। तो यह दुरुस्ती कर दी जानी चाहिये। इसमें बहुत बहस का मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं था। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस रूप में यह बिल रक्खा गया है उसे उसी रूप में लिया जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वे आज कल की जो वक्र स्थिति है उसमें मिनिस्टरों की तरफ से आवें यह शोभा नहीं देता। पर जब ये सवाल मिनिस्टरों से सम्बन्धित आ जाते हैं और उस पर बहस होती है तो हमें भी शर्म आती है। उधर बैठने वाले मेरे एक साथी वक्ता ने बराबर इस बात के लिए कहा कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिये, हम लोगों को शर्म आनी चाहिये; तो यह शर्म आने की बात तो उनके साथी ही कर रहे हैं। मैं खुद भी २० वर्ष तक मिनिस्टर रहा हूं।

श्री जनार्दनराय नागर व एक अन्य माननीय सदस्य : ३५ साल कहा था पहले आपने। अब ३५ से २० पर आ गये क्या ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपस में इस प्रकार की बातें कहना, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाना मैं तो ठीक नहीं समझता हूं। मैंने यह निवेदन किया था कि ३५ वर्ष का आफीशियल सेवा का कार्य्य रहा जिसमें बीस वर्ष का मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर का कार्य्य रहा था। मैं निवेदन करूंगा कि आज देश में और राजस्थान में जब ऐसी ऐसी विभीषिकायें आ रही हों, बजट के घाटे की पूर्ति के लिये अजीब-अजीब नये-नये भारी-भारी कर लगाये जा रहे हों, जिससे कि प्रजा अत्यन्त क्षुब्ध है आज और सारे प्रान्त का समाज का वातावरण दूषित हो रहा हो, आर्थिक संकट में से देश के लोग गुजर रहे हों, तब मन्त्री-मण्डल की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आवें यह मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हमारे एक उधर के महानुभाव ने यह भी कहा था कि यह जो सवाल आते हैं, कई मामलों में इस प्रकार की बातें आती हैं, तो यह सवाल तो हमको कहने की उनको जरूरत नहीं है। यह बात तो आप लोगों से भी छिपी नहीं है, अध्यक्ष से भी छिपी नहीं है, उस पार्टी और इस पार्टी के लोगों से भी छिपी नहीं है, राजस्थान की प्रजा से भी छिपी नहीं है, जयपुर की प्रजा से भी छिपी नहीं है और महा–विराट् से भी छिपी नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : महा–विराट् कौन है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : महा-विराट का अर्थ भगवान से है।

श्री उपाध्यक्ष : महा–विराट् से भगवान का सम्बोधन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : महा–विराट्, महा काल, महा नट तीनों अर्थों में तीनों बातें कहता हूँ। तो मेरा निवेदन सिर्फ इसलिये है कि मैं बीस वर्ष इस सर्विस में रह चुका हूं। इसलिये जानता हूँ कि ऐसी बातें किनकी ओर से आती हैं। हमारी ओर से नहीं, उनकी ही ओर से ऐसी बातें आती हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : ३५ कहते थे पहले आप तो ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! It is a question of his past experience and we are not much concerned about it.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरी सर्विस का कैरियर ३५ वर्ष रहा है और इस ही में २० वर्ष का मिनिस्टर का काम है। इसलिये मेरी तरफ से निवेदन है कि जिस समय हमारे सामने प्रजा के पैसे का प्रश्न आता था तो हम लोग आज की तरह ऐशो–आराम के साधन अपने दफ्तरों में नहीं रखते थे। आज तो सात-सात और आठ-आठ घण्टे पंखे चलते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो चलाते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू रखिये। No intrruption please !

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो आज ये छः–छः सात–सात घंटे पंखा चलाते हैं। हम अपने समय में एक छोटा सा मामूली सा बिना बिजली का पंखा हाथ का रखते थे जिसे एक मामूली सा लेबरर चलाता था। जिसके लिये भी बड़े–बड़े सवाल और बड़ी–बड़ी बातें बनाई जाती थीं। आज जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको उदाहरण पेश करना चाहिये। जब बजट में कटौती के प्रस्ताव आते हैं, जब कि नये-नये टैक्सों की भरमार की जाती है तो इन मन्त्रियों को कहना चाहिये कि हमारी तनख्वाओं में कमियां कर दो, पर जनता पर टैक्स मत लगाओ, जिस प्रकार कि आज केरल में लोग कर रहे हैं, वहां की सरकार के मन्त्रीगणों ने उदाहरण पेश किया है, हमारे प्रधान मन्त्री नेहरूजी ने अपना एग्ज़ाम्पल पेश किया है। पर आज इन मिनिस्टरों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं जब सेक्रेटेरियट की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां ऐश-आराम के साधन इतने बढ़ाये गये हैं कि मेरे जैसा बुड्ढा आदमी तो वहां जाए तो यह डर रहता है कि कहीं बाहर से भीतर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और भीतर से बाहर आने में निमोनिया न हो जाय। तो आज तो जनता का पैसा इस तरह से बेरहमी से खर्च किया जा रहा है। कहीं लू न लग जावे, इसका भी डर रहता है। वहां इस प्रकार के साधन हैं, चारों ओर खश की टट्टियां लगी हैं, और बारहों घण्टों तक बराबर छिड़की हुई रहती हैं। प्रकाश तक भी कमरों में नहीं पहुँच सकता। सिर्फ बिजली का प्रकाश वहां पहुंचता है और मेरा खयाल तो यह है कि पानी का एक बहुत बड़ा भाग शायद वहीं खतम हो जाता है। क्या वे जनता के लिए इतना नहीं कर सकते कि पहले के मन्त्रियों की तरह वे केवल मामूली से पंखे रक्खें और हाथ से चलवाया करें ?

श्री जनार्दनराय नागर : इसके लिये थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : Not quite sweet. I feel that the decorum... (बाधा)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : और मैं तो यह भी कहूं कि जिस प्रकार पुराण, महाभारत और रामायण आदि पुराने ग्रन्थों में या दूसरे धार्मिक ग्रन्थों में मैंने वर्णन सुने हैं अमरापुर अमरावती या इन्द्र की इन्द्र-सभा का ...

श्री जनार्दनराय नागर : आप इन्द्र सभा में गये हुये हैं क्या ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : गया हुआ तो नही हूं, पर अब जाऊंगा और जब जाऊंगा तो आपको भी साथ लेकर चलूंगा।

(हंसी)

तो मेरा तो समय आ रहा है वहां जाने का, पर आप अभी तो वहां जाने लायक नहीं हो। तो मेरा तो निवेदन यह है कि इस तरह से उस इन्द्र सभा में अमरावती और अमरपुरी में जो ऐशो आराम के वर्णन सुनता हूँ वे भी इनके मुकाबले में तुच्छ और मामूली से लगते हैं। तो एक तरफ तो काश्तकारों पर और गरीब लोगों पर भारी-भारी टैक्स लगाये जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के ऐशो आराम के साधनों में गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटाया जाता है। तो वे जो यह कहते हैं कि इस तरफ कम नम्बर होने से ये सवाल हम उठाते हैं तो इसके जवाब में ये बातें कही जाती हैं, हमें भी ये सवाल उठाने पड़ते हैं। यह नहीं सोचा जाता कि दुनिया बुरा कहेगी। अगर हिस्ट्री नहीं कहेगी तो पोस्टेरिटी कहेगी। मैंने भी ऑफिशियल केपेसिटी में काम किया है। मैं इसको हेय समझता हूं कि मंत्री मण्डल के लिए ऐसा सवाल उठाया जाय। जब मैं यह देखता हूं कि इस प्रकार की चीजें पराकाष्ठा पर पहुँचती है, जब लोग कल और परसों बोले हैं, संकल्प और प्रस्तावों पर लोग बोले हैं, वे मंजूर हुए हैं, अभी उनकी स्याही भी नहीं सूखी उसके पहले ही इस प्रकार का सवाल यहां आता है और वहां भी पांच पांच वर्ष का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहा उपस्थित होता है, यह एक शर्म की बात है। इस बात का वे ही ठेका न ले लें कि वे ही जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारे पीछे भी जनता का भार है, जनता ने हमको भी यहां चुनकर भेजा है। कोई संख्या में थोड़े हों, तो कोई संख्या में ज्यादा हों, किन्तु ज्यादा होने से गुमान नहीं होना चाहिये। मैं अत्यन्त हर्ष अनुभव करता यदि मंत्री मन्डल इस प्रश्न को उठाने के बजाय इसको स्थगित करता, इन एवेएन्स रखता और उस समय रखता जब भारत में और राजस्थान में पुष्कलता का समय आता

(रावत श्री नरेन्द्रसिंह)

१० सेर, १५, सेर, २० सेर का भाव उस समय हो जाता। उस समय यदि यह सवाल आता, उनके चरणों में हमारी नेत्रों की पलकें बिछी हुई होती लेकिन इस समय ऐसा जो असामायिक प्रश्न आता है तो इसके लिये मुझे थोड़ा सा क्षोभ होता है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत हुआ है इस विषय में संकोच सा होता है कि इसका विरोध करने का अवसर प्राप्त हुआ है संकोच इसलिए कि जब उस ओर के मुख्य सचेतक महोदय अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते है, जो समझे ही नहीं हैं और उन्होंने कुछ बुद्धिमत्ता पर भी बात कही। इसलिए मुझे संकोच है। मैं बुद्धिमत्ता रखता नहीं हूं जितनी कि वे रखते हैं, जितनी योग्यता से उन्होंने इसको पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनके समझाने पर समझ गया कि वास्तव में यह बिल क्या है और उनके समझाने पर ही समझ कर उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनका भी विरोध करता हूँ। अभी बतलाया गया है कि ७५) और २५) का खर्चा आज से पहले मंत्रियों को दिया जाने वाला था वह दिया नहीं गया इस कारण कि कानून में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था और निर्देश किया नहीं था, कानून बनाने वालों ने सोचा नहीं था कि नया मकान लेना पड़ेगा जयपुर में, या तो मकानों के अभाव के कारण या स्वयम् की सुविधा के कारण। माननीय उपाध्यक्ष, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्हीं मंत्रियों के बनाये हुए नियम हैं। वैसे मैं समझता हूं जो यह कानून बनाया है और संशोधन के लिये विचाराधीन हैं यह कानून भी इन्हीं मन्त्रियों द्वारा बनाया हुआ था और विधान सभा में पास नहीं हुआ था और यह कहना है कि बहुमत के आधार पर लाद दिया गया, सब बिल आज बहुमत के आधार पर हम पर लाद दिये जाते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : I object to these words–'हम पर लाद दिये जाते हैं।'

उपाध्यक्ष महोदय मेरी मान्यता यह है कि सदन में बिल आते हैं वे सब विधिवत् स्वीकार होते हैं, लेकिन लादे नहीं जाते। कोई माननीय सदस्य यहां जो स्वीकृत कार्यवाही होती है उसके लिये यह कहे कि उन पर ये लाद दिये गये हैं, they are not proper and I seriously object to the use of this phrase, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to stress that the Hon'ble member will be a little more careful in the choice of the words in future.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा शब्द कहूँ कि जो संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध हो। मैं यह कह रहा हूँ कि यहां कानून पास किया जा रहा है, बिल पास किये जाते हैं, उनका विरोध करने पर भी उनको पास किया जाता है, मैं कोई बाजारू शब्द इसके लिये प्रयोग नहीं करना चाहता था और इसके लिए उपयुक्त शब्द ही प्रयोग किया है और इसीलिए कहा था कि लाद दिये गये। मैं नहीं चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : You will proceed with the debate, Hon'ble Member.

श्री तनसिंह : Thank you Sir, हमारे ऊपर जो कानून लादे जा रहे है उनके विषय में निवेदन है..............

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Deputo Speaker, Sir, I again object to the use of this word.

श्री तनसिंह : Mr. Deputy Speaker, this sort of........

श्री उपाध्यक्ष : Well it can be construed on both sides. You (Shri (Nager) should not be serious about the word itself.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कानून हमारे सामने कभी आया नहीं है और अभी भी मंत्रियों में इस प्रकार का साहस हो और अपोजिशन को फेस करने का साहस हो तो सारा कानून लायें और दलीलें दे। उनका यहां इस समय जिक्र करना विषयान्तर होना होगा इसलिये मैं जो संशोधन बिल आया है उसी पर कहूंगा। हमारे यहां के जयपुर के एम. एल. एज. हैं उनके लिये कायदे बनाये गये हैं। एक कायदा यह है कि यदि कोई सदस्य जयपुर में रहता है तो जिस दिन असेम्बली होगी उसी दिन का उसको भता मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेन्ट होस्टल के कानून कायदे है जिनमें रहने की एम. एल. एज. के लिए व्यवस्था है उनमें भी एक पकार का नियम है कि यदि कोई सदस्य जयपुर का निवासी है तो उसको वे सुविधायें नहीं दी जावेगीं जो कि बाहर के सदस्य को दी जाती हैं। मुझे अफसोस है, शर्म तो नहीं आती, मेरे पूर्व वक्ता से पूर्व वक्ता ने बताया था, शर्म तो नहीं है, लेकिन जो सदस्यों के लिये ऐसे नियम बनाने का साहस कर लेते हैं उनमें इतनी भी उदारता नहीं है कि जयपुर के मन्त्रियों को कह सकें कि मिनिस्टर बनाने के लिये तो मकान उन्होंने बनाये नहीं, हमेंशा खर्चा आ रहा था जैसी व्यवस्था पहले कर रहे थे वैसी करें, मिनिस्टर बनने के कारण खर्चा बढ़ा भी है कुछ विशेष खर्चा है तो कोई बात नहीं। यदि यह नियम सदस्यों पर लागू हो सकता था तो माननीय सदस्यों पर भी लागू होना चाहिये था।

लेकिन मैं जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं कि मन्त्री महोदय स्वयं चुप रहते हैं, जब त्याग करने की बात आती है तो हमेशा अनुदार हुआ करते है, टैक्स लगाने की बात आती है, गरीब लोगों पर अधिक से अधिक करों का बोझा डालने के कारण बात आती है तो अनुदारता बताते हैं तथा और भी अधिक टैक्स लगाते हैं।

अभी यह भी बात बताई गई कि यदि ७५ रु० से ज्यादा खर्च आ गया तो १ रु० उनको देना होगा और ७५ रु० सरकार की ओर से दिये जायेंगे और यदि ७०) रु० का खर्च हुआ तो ७० रु. सरकार की ओर से दिये जायेंगे। मैं तो समझ नहीं सका कि जिन लोगों को १००० रु० तनख्वाह मिलती है, मैं यहां तक कहूँगा कि मन्त्री चाहे जयपुर के बाहर के ही क्यों न हों और चाहे उन्होंने सरकारी बंगले ही क्यों नहीं लिये हों उनके लिये भी उपयुक्त नहीं है कि वे ७५ रु० बिजली के और २५ रु० पानी के लें। यदि इस सम्बन्ध में व्यवस्था करते है तो यह उनके लिये भी उपयुक्त नहीं है। थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि यह उपयुक्त है, क्योंकि वे बाहर से आये हैं इसलिये व्यवस्था

(श्री तनसिंह)

जमाने के लिये और घर का काम–काज संभालने के लिये व्यवस्था करनी पड़ती है इस प्रकार की दलील को मानकर चलें तो उनके लिये जायज हो सकता है। लेकिन जो जयपुर में अपना मकान लेकर रहते हैं वे निस्सन्देह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि २५० रु० उन्हें मिलते हैं और निजी मकान में रहते हैं तो उन्हें २५० रु० बतौर अलाउन्स के मिलते हैं। मैं नहीं समझ सका कि ये २५० रु० किस बात के हैं ? वे यदि अपनी कोठी में रहते हैं, चाहे वह कितनी ही अनुपयुक्त है तो उसका मतलब यह है कि उनको बचत होती है और सस्ती पड़ती है। यदि सस्ती पड़ती है तो बिजली और पानी का खर्चा वैसे ही बच जाता है। तो फिर ७५ रु० और २५ रु० और लेने की जो बात कही गई है वह न्याय संगत नहीं है। यदि पिछले कानून को देखा जाय, जैसा कि इसके स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है, लीगल इन्टरप्रिटेशन से यह बात पाई गई कि जयपुर में रहने वालों को सुविधा नहीं होती है। मैं यह कहता हूँ कि जिन लोगों ने कानून बनाया उन्होंने सोच–समझ कर बनाया। उसमें उन्होंने जयपुर में रहने वालों को और निजी मकान में रहने वालों को सुविधा देना उचित नहीं माना था इसलिये उनके लिये ७५ रु० और २५ रु. की व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके लिये २५० रु० का प्रोविजन इसलिये था कि वे अपने मकान में रह रहे हैं उनको इससे अधिक नहीं मिलना चाहिये।

मुझे यह कहना है कि जो त्याग सिखाने की बातें कहते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और कहते हैं कि गरीबों का भला तुम नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं उनको चाहिये कि वे अपने घर को संभालें, अपने पैरों की तरफ देखें, दूर की आग को नहीं देखें, पैर की आग को देखें; तो मालूम होगा कि त्याग करना और गरीबों की सेवा करने के बारे में कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। कम से कम यदि गरीबों की सेवा करनी है तो पहले वे अपनी आवश्ककताओं को कम करें। मैं नहीं समझता, ७५ रु. की बिजली और २५ रु. के पानी की आवश्यकता किसलिये पड़ती है ? राजस्थान के गरीब लोगों के समान ही आपका स्तर होना चाहिये। आप अपनी आवश्यकतायें बढाते जाते हैं और दूसरे लोगों की आवश्यकताओं का आपको पता नहीं। उन पर आप अधिक से अधिक टैक्स लगाते हैं और कहते हैं कि विकास योजना चलती है उसके लिये गरीबों से टैक्स लेते हैं तो क्यों नहीं माननीय मन्त्री अपनी तनख्वाह और अलाउन्स में कमी कर दें। आज जो अमेन्डमेंट रखा गया है उसमें ७५ रु. बिजली के और २५ रु० पानी के देने की मांग की गई है। मैं नहीं समझता, इसकी क्यों आवश्यकता है ? कानून का इन्टरप्रिटेशन तो पहले ही हो चुका है, तो अब क्यों यह बात उठाई गई ? मैं समझता हूँ कि यह जानबूझ कर उठायी गयी है। लॉ पहले पास हो जाता है और उसका इन्टरप्रिटेशन गवर्नमेंट बाद मे अपने ही ढंग से करती है तो उसका क्या मतलब होता है। आप मानें या न मानें, बात स्पष्ट है।

श्री बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member in front of me.

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज बिल, १९५७ जो सदन के समक्ष उप-

(श्री बहादुरसिंह)

स्थित है मैं उसका समर्थन करता हूं।

इस बिल को सदन के सम्मुख, मैं समझता हूं पांचवी बार उपस्थित किया गया है। यह सन् ४६ में बना था, फिर ५१ में, फिर ५२ में और फिर ५५ में हमारे सामने आया था। उस समय इस बिल में हमने मन्त्रियों के अनलिमिटेड अधिकार रखे थे। वे विद्युत और पानी में चाहे जितना खर्चा कर सकते थे। लेकिन सन् ५१ में नियम बनाये गये कि उनको २५० रुपया हाउस अलाउन्स दिया जायगा या जिनको सरकारी मकान दिया जायगा उनको ७५ रुपया विद्युत खर्च के और २५ रुपया पानी के दिये जायेंगे। लेकिन उसकी मंशा यह नहीं थी कि वे ७५ और २५ रु० कुल १०० रु० ले लें। उनके लिए उचित यह था कि वे जितना व्यय करते उतना लेते। इसको दुबारा सन् ५२ में इस हाउस के सामने लाया गया और सन् ५५ में फिर स्वीकृत किया गया। इस प्रकार यह दो तीन दफा आया और दो तीन दफा ही सदन ने इसका समर्थन किया। लेकिन जो बातें बताई गई उनसे लगता है कि उन्होंने ७५ और २५ रु० कुल १०० ड्रॉ कर लिये, यह उचित नहीं था। उनको चाहिये यह था कि जितना व्यय करें चाहे विद्युत में या पानी में, उतना लेते और जो सीमा निर्धारित थी उसके अन्दर रहते लेकिन जो होचुका उसे सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

अब एक बात रहती है वह यह है कि जो लोग जयपुर के निवासी हैं उनके लिए तो शर्त होनी चाहिये कि वे ड्रॉ न करें। हमारे महामान्य राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी सेलेरी में से १००० रु. कम कर दिये हैं। बराबर हम इस सम्बन्ध में कटौती की तरफ जा रहे हैं, फिर यह बढ़ोतरी उचित नहीं जंचती। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदयों से, जो जयपुर के निवासी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपनी सेलेरी बिल को जो उनके लिये बड़ी बात नहीं है पास जरूर करा लें लेकिन (पैसा) ड्रॉ नहीं करें। इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ७५ रुपया बिजली के लिये और २५ रुपया पानी के लिये मन्त्रियों को मिलें या इससे कम जितना भी उनका बिल है और जिस प्रकार से है उसी तरीके से उनको मिले इस बारे में जो बिल सदन के सामने आज रखा गया है उसके ऊपर कुछ सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि लगातार १ महीने की लम्बी बहस, जिसमें समाजवाद के लिये दोनों पक्षों की ओर बड़ा मन्थन किया गया है। और सम्माननीय सदस्यों ने लगातार एक महीने के मंथन के बादमें समाजवाद का रूप, जैसा उन्होंने समझा पानी और बिजली के रूप में, यहां पर सदन के सामने प्रस्तुत किया। कई सम्माननीय सदस्यों ने जब कभी कुछ मजदूरों या चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की बात आई और यह जो बागमें काम करने वाले आदमी, जो कि लगातार पानी से सींच कर पौधों को हरा भरा करते हैं उनको कुछ तरक्की देने की बात आई तो यह कहा गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिलकुल समाजवाद के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। एक ओर जब इस बात को कहा गया, एक बाग में काम करने वाले आदमी को २५ रु. माहवार मिलते हैं उसके वेतन में, उसकी तनख्वाह में कुछ तरक्की की जाय, एक सड़क कूटने वाला जिसको करीब २५) रु. माहवार मिलते हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

और सुबह से शाम तक परेशान रहता है उसकी कुछ तरक्की की जाय इस बारे में कहा गया तो यहां पर उसका विरोध किया गया। यह कह दिया कि हम जो कुछ करते हैं समाजवादी दृष्टि से करते हैं, और हमारा दृष्टिकोण साफ है, जब कि एक तरफ तो एक आदमी को २५ रु० मिलते नहीं हैं तनख्वाह के और दूसरी ओर उन व्यक्तियों के लिये जो हजारों रुपये की तनख्वाह पाते हैं, जिनके खर्चे के लिए बजट में, जो मन्त्रियों का बजट है, उसमें एक मन्त्री के पीछे लाखों का बजट हमारे सामने आता है, उनके खर्चे का और उसके साथ ही साथ २५ रु. पानी का और ७५ रुपया बिजली का आता है और लगातार हर विषय में समाजवाद का प्रश्न सामने आता है। हमें दुख होता है कि आखिर आप समाजवाद को कहाँ ले जाकर डालना चाहते हैं। २५ रु. पानी के लिये और ७५ रु. बिजली के लिये रखने की बात हो यहां पर कुछ मंत्रियों के लिए तो उससे कोई बजट पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी लम्बी चौड़ी बात कह दी, ऐसा कौन सा फर्क पड़ता है जिस कारण से आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सवाल यहां पर फर्क का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस आदर्श को अपने सामने रखते हैं और जिस आदर्श को सामने रखते हुए, हमेशा जिसकी सराहना करते हैं जब जब कटौती के प्रस्ताव आये हैं, तो आप उस बात का घोर विरोध करते हैं और विरोध करते हुए अपने ढंग की बात भी करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बात पर गहराई के साथ सोचिए, गहराई के साथ इस आदर्श पर सोचा जाय, कि जिस आदमी को हजारों रुपया माहवार मिलता हो, डेढ़ हजार माहवार मिलता है, और इसके साथ साथ इतने अधिक सुविधा और साधन दिये जायें, इन साधन और सुविधा के बाद भी और खर्चा लेना चाहते हैं। जब एक एक आदमी के पीछे १ एक लाख रुपया बजट में रखा गया है, सात लाख रुपया छः सात मन्त्रियों के लिये बजट में रखा गया है, छः सात मंत्रियों के लिये इतना खर्चा रखने के बाद जब २५ रु. और ७५ रुपये पानी और बिजली के लिये रखने का सवाल आता है, मैं समझता हूं, इसे रखना बिल्कुल समाजवाद के विपरीत है, आदर्श के विपरीत है और इसे रख कर आप आदर्श के नाम पर कलंक लगाना चाहते हैं। आज यह सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है और इस बात को लेकर न जाने कितनी प्रकार की बातें कही जा सकती है। देश की स्थिति के बारे में जब सवाल रखा जाता है, देश के कई लोग खाने-पीने से मोहताज होकर मरे जाते हैं, उनके उदाहरण रखते हैं तो उन तथ्यों को किस्से और कहानियां कहा जाता है, जो लोग इस प्रकार मर जाते हैं, उनको "कहानियां और किस्से" बताया जाता है। मैं कहना चाहता हूं और सही कहना चाहता हूँ कि ये किस्से कहानियां नहीं हैं, आज आप इसकी गहराई में नहीं गये हैं, आप गहराई से सोचें, इसको देखने की कोशिश करें कि न जाने कितने परिवार हमारे देश के अन्दर खाने-पीने के अभाव में, अन्य आवश्यक साधनों के न मिलने के कारण मौत के शिकार होते हैं। यह हालत देखी जा सकती है जब आप ऐसे जत्थे में जायं, जहां गरीबों की मौत होती है, लेकिन उनका पता नहीं चलता कि कितने लोग किस प्रकार मर जाते हैं, उनका हिसाब रखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं रखा जाता? इसलिये नहीं रखा जाता कि उनको "किस्से और कहानी" बता दिया जाता है। चूंकि ऐसे समा-

(श्री मुरलीधर व्यास)

चार जो पत्रों में छपते हैं, उनको आप किस्से कहानी कहते हैं, जो समाचार निकलते हैं, उनके लिए कहते हैं कि यह झूठे हैं, इस प्रकार की मौत होती नहीं। जब इस प्रकार की बात रखी जाती है और कहा जाय कि वाकई देश के अन्दर ऐसी स्थिति है तो इसका विरोध किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि रेगुलराइज करना है क्योंकि २५ रुपया और ७५ रुपया सालों से देते चले जा रहे हैं। कानून बन चुका है, उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, इसलिए उनको ठीक करना है, इसलिये यह बिल आपके सामने रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक गलती हो चुकी है, गलती होने के बाद आप उसको ठीक करने के लिये, रेगुलराइज करने के लिये बिल लाते हैं, मैं कहता हूं कि आप दूसरी गलती करते हैं। मेरे एक सम्माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि एक आदमी जरा सी गलती कर देता है, उस गलती करने के ऊपर उस गरीब के ऊपर कुड़की लाई जा जकती है और उसके मकान के ऊपर जाकर उसके पीपे कुड़क कर सकते हैं। आज गंगानगर में राजनैतिक आन्दोलन की बात की जाती है, वहां पर कुर्कियां हुई, उन लोगों के पीपे और बर्तन बिकवाये गये। कोई खास बात नहीं हुई थी, वे सिर्फ यह कहते थे कि उनके पास पैसा देने के लिये नहीं है। वहां पर ऐसा किया गया और दूसरी ओर बड़े बड़े विद्वान्, मन्त्री लोग कानून बनाने वाले, कानून के द्वारा काम करने वाले कोई गलती करते हैं और उनके लिये यह कहा जाय कि उनके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिये तो कहा जाता है, "नही" इस प्रकार की बात को लेकर बुरी बात कही जाती है। मैं सही शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि सब को समान रूप से न्याय देना है, यदि समान न्याय प्राप्त करना है और करना है तो आपको यह चाहिये कि कोई भी आदमी गलती करे, किसी के द्वारा गलती हुई हो. गलती से खजाने से पैसा लेकर अपने पास रख लिया है, बराबर उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जब कार्यवाही हो जाय, फिर उसके बाद रिअलाइज करने की बात लानी चाहिए। एक आदमी गलत तरीके से खजाने का पैसा ले ले, उसको अपने पास रख लिया, उस गलती को सुधारने के लिए बात आई, तो उस गलती को सुधारने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया कि २५ रु० पानी के लिए और ७५ रु० बिजली का मिलना चाहिए, इस गलती को रेगुलराइज करना है, ठीक ढंग से रुपया लेना है, इसलिए इस प्रस्ताव को आप रख रहे हैं। मैं समझता हूं, यह दूसरी गलती है जो आप एक गलती के ऊपर करना चाहते हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गलती के नाम पर जो अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वह यह रखना चाहता हूँ कि २५ रु. और ७५ रु. का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विचार करें। तो मैं समझता हूँ कि यह रुपया नहीं मिलना चाहिये आपके पास बहुमत है, उसके आधार पर आप इसे मंजूर भी करा सकते हैं। मेरे सम्माननीय सदस्य ने विरोध की बात कही, मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध भी किया गया है। आज इस सदन में किसी को इस बात को कहने का हक है कि इस प्रकार की चीज नहीं बनाई जा सकती है। उनको कहने का हक है। जो हम महसूस करते हैं, उसे सदन में कहने का हक है, उसे कोई छीन नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकता। मैं इस बात को इस लिए कहना चाहता हूँ कि आप दुबारा इस तरीके का बिल सदन में पेश करें और उसके साथ साथ २५ रु. और ७५ रु. की सैद्धांतिक समस्या को लेकर इस बिल को सम्मान के साथ लावें। मैं जो कहता हूँ वह किसी बुरी भावना से नहीं कहता। मैं उन सम्माननीय सदस्यों से, विपक्षी सदस्यों से, जो इस तरीके से सोचते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जिस आदर्श को आप सामने रखते हैं, उस आदर्श को सामने रखना चाहते हैं तो सम्मानीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल है, २५ रु० का और ७५ रु० का, उसको वापिस ले लें और जो रुपया सरकारी खजाने से इस प्रकार लिया गया है, जितना रुपया पानी और बिजली का मंत्री महोदयों को दिया गया है, जिन मंत्रियों को एक हजार रुपया मिलता है, उनको और धन की जरूरत क्या है? जब उनको इतने साधन मिलते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है कि पानी और बिजली का रुपया अलग से दिया जाय। मैं पूछता हूँ, इसकी जरूरत क्या है? आज आप देश की माली हालत को जानते हैं, हम माली हालत के लिए कह सकते हैं कि देश की माली हालत गिर चुकी है, उस गिरी हुई हालत के अन्दर आपको सोचना चाहिए कि जो वेतन आप लेते हैं उसके अन्दर से कटौती करें, उस वेतन को कम करें। जो ज्यादा खर्च किया है, उसको वापिस लेने की बात तो कर नहीं सकते, बल्कि और लेने की बात को कहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जो पैसा आप ले रहे हैं, वह उन लोगों से ले रहे हैं जो खाने-पीने को मोहताज हैं। आप उन लोगों से ले रहे हैं जो खाने पीने से मोहताज होकर मौत के शिकार हो रहे हैं।

आप उन लोगों से बिजली और पानी ले रहे हैं, जिनको पानी की बूंद नहीं मिलती, जिनके झोंपड़ों में प्रकाश नहीं, जो हजारों लाखों की तादाद में झोंपड़ों में रहते हैं और मांग करते हैं कि हमारे झोंपड़ों में बत्ती लगा दो, हमारी ताकत नहीं है कि उनके झोंपड़ों में बत्ती लगा दें पर हमारे बंगलों में, हमारे मकानों में ७५ रुपये की बिजली जलायें। वे हम से मांग करते हैं कि हमारे यहां पानी का इन्तजाम कर दो, पर हमारी ताकत नहीं कि उनके वहां पानी का प्रबन्ध कर दें। वे लोग बूंद-बूंद पानी को तरसते हैं, पर हम अपने घरों के लिये अपने बंगलों के लिये २५ रुपये का पानी चाहते हैं, यह आपकी सही मानवता की नीति नहीं बल्कि इस प्रकार की भावना है जो सारी मानव विचार-धाराओं को दहला देने वाली है, शर्म की बात है। देश की जो स्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए बहुत गहराई से हमें देखना चाहिये। इस दृष्टि से नहीं देखेंगे और मान्य करा लेंगे तो इसका नतीजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत बुरा होगा और इस प्रकार आप एक आदर्श जो जनता के सामने रखना चाहते हैं उस समाजवाद के आदर्श को भूलते हैं। जैसा कि कल मेरे एक माननीय सदस्य ने, जब कि मोटर साइकिल पर टैक्स लगाने के बारे में विचार चल रहा था तो कह दिया कि समाजवाद को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं आज उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आज यह कौन सा आदर्श देश के सामने खड़ा करना चाहते हैं? हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि समाजवाद को आप समझते नहीं, हमारे हाथ में रहने दीजिये। यह बात सदन में कह कर ७५ रुपया बिजली का और २५ रुपया पानी का मिनिस्टरों को देने की व्यवस्था कर रहे हैं; क्या यही मुख्य मंत्री का समाजवाद

(श्री मुरलीधर व्यास)

है ? अगर यही मुख्य मंत्री का समाजवाद है तो वह निस्सदेह जनता को धोखा देने का समाजवाद है और अन्धेरी गुफा में रखने का समाजवाद है। समाजवाद की बात आप बार बार सदन में करते हैं, जनता के सामने करते हैं; मैं कहता हूं कि आज आप हमारे सामने आदर्श रख दें, इन १०० रुपयों का त्याग कर दें। पंच वर्षीय योजना के नाम पर, देश के उत्थान के नाम पर टैक्स की बात करते हैं और दूसरी ओर ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के लेना चाहते हैं। तो क्या आपकी बात में भी कभी बल आ सकता है? त्याग की बात करते हैं तो अपने आप में भी ताकत हो त्याग करने की! ऐसी ताकत होने पर ही आप दूसरों को त्याग करने के लिये कह सकते हैं, पर खुद के अन्दर तो करने की ताकत नहीं, दूसरों को कहते हैं त्याग करो। जब महात्मा गांधी का उदाहरण दिया जाता है तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी तो महात्मा थे। समाजवाद में त्याग की बात कहते हैं और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि महात्मा गांधी तो महात्मा थे। महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे, लंगोटी इसलिये नहीं लगाते थे कि वे महात्मा (साधु) थे, वे इसलिये लंगोटी लगाते थे कि मेरे देश के लोग लंगोटीधारी हैं, वे सोचते थे कि देश-वासियों के पास कपड़े पहनने को नहीं हैं, ऐसी सूरत में मैं कैसे पूरे कपड़े पहन सकता हूं। जब महात्मा गांधी का नाम लेकर कहा जाता है कि महात्मा गांधी सादगी का जीवन बिताते थे तो कह दिया जाता है कि महात्मा गांधी तो साधु थे, पर हम साधु नहीं हैं। यदि आप अपने सिद्धान्त के आधार पर उनको साधु कह देंगे तो उनकी विचारधारा जो सारी दुनियां में नया प्रकाश देने जा रही है, जो सारी दुनियां को जगाने जा रही है और उसी विचारधारा का सहारा लेकर मन्त्री महोदय इस कुर्सी पर, इस मेज पर बैठने लायक बने हैं, तो, उनको साधु ठहरा देने से और उनकी बातों पर सक्रिय अमल न करने से सारे विश्व को नुकसान होगा। पार्थिव शरीर विनाशशील है, महात्मा गांधी आज नहीं हैं, वे आज नहीं तो कल जाते, पर उनकी विचार-धारा आज भी मौजूद है और भविष्य में भी मौजूद रहेगी, वे अमर हैं। गोडसे ने महात्मा गांधी को इसलिये गोली से मारा कि उसकी विचार-धारा महात्मा गांधी से नहीं मिलती थी, इसलिये उसे फांसी की सजा दी गई। पर जो महात्मा गांधी से अपनी विचार-धारा मिलाते हैं और कहते हैं कि हमारी विचार-धारा महात्मा गांधी की विचार-धारा से मिलती है, पर जो महात्मा गांधी की विचार-धारा को साधु की विचार-धारा कह देते हैं तो वे महात्मा गांधी की विचार-धारा की हत्या करते हैं! गोडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी इसलिये उसे फांसी की सजा दी गई, पर जो महात्मा गांधी की विचार-धारा की हत्या करते हैं इसके लिये उनको गोडसे से भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिये।

महात्मा गांधी की विचार–धारा और समाजवाद को मानते हैं तो मैं सदन के मान–नीय सदस्यों से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस सदन में इस विषय पर अपने आपके लिये यह कहने का मौका दें, आम जनता के समक्ष यह कहने का मौका दें कि मिनिस्टर लोग ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के नाम पर लेना चाहते थे, उनको हमने नहीं लेने दिया। मैं समझता हूं इस प्रकार का कार्य करके आप जनता के और नजदीक जायंगे और अपने आपको समाज–वादी भी सही माने में कह सकेंगे, अगर ऐसा

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं करेंगे तो इसका नतीजा और होगा। इसलिये मैं सदन के सम्माननीय सदस्यों से और मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि एक दफा मौका देंगे और इसे वापिस लेंगे, नहीं तो इसका बड़ा विरोध होगा। विरोध तो हो रहा है, मैं विरोध कर रहा हूँ, पर विरोध की भावना से विरोध नहीं करता सद्भावना के आदर्श पर ये सब बातें रख रहा हूं। मेरी बातों को भी आप सद्भावना के आदर्श पर लेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

२.६ म. प.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे माननीय मित्र ने गांधी जी की विचार धारा को लेकर एक बड़ी पुरानी बात की ओर वापिस याददहानी की है, जाहिर है उनका संकेत, मैंने जो सदन में कुछ दिन पहले बात कही थी उसकी ओर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनसे यह सुन कर कि जो महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं वे उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं और उन्हे गोडसे से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिये। यदि मैं उनकी बात का सही मतलब समझ चुका हूँ तो यह है कि माननीय मित्र कहना चाहते है कि महात्मा गांधी के प्रत्येक विचार से हमें सहमत होना चाहिये। इसे मैं जरूरी नहीं समझता और महात्मा गांधी के कुछ विचारों से असहमत होना इस देश में मैं अपराध नहीं मानता। इसलिये गोडसे ने गांधी को गोली से मारकर निस्संदेह जघन्यतम अपराध किया है उससे महात्मा गान्धी की विचारधारा से असहमत होने की तुलना करके उसे जघन्यतम अपराध के रूप में मानना, मैं समझता हूँ, स्वयं महात्मा गांधी के प्रति, महात्मापन के प्रति अन्याय करना है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से, माननीय उपाध्यक्ष, जो सबसे बड़ी विचारधारा और देन हमें मिली है वह हमें यह मिली है कि विरोधियों की भावना की कद्र करना। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सम्राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई की पर अंग्रेजों के व्यक्तित्व और उनकी जाति के विरुद्ध उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के नाम पर जो आडम्बर कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि विचार स्वातन्त्र्य....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member! are we not going a little astray from the question itself? I think we are traversing the whole subject.

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे विरोधी दल के मित्र ने जब कहा था उस समय उन्हें नहीं रोका गया, पर हम बोलते हैं तो बराबर दबाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is not a check upon your speech. That is only a suggestion. If yon can confine yourself to the subject it will be just saving the time of the House.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इशारा करके चेयर पर अभियोग लगाने की चेष्टा की है, जिस समय एक दूसरे माननीय सदस्य

(श्री भैरोंसिंह)

विषय के बाहर बोल रहे थे उस समय उनको चेयर की तरफ से नहीं रोका गया और इनको रोका गया है । इस प्रकार के शब्द हमारे माननीय उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के सूचक हैं । उनके निर्णय के विरुद्ध कुछ कहना चेयर की कार्यपरायणता और कर्तव्य-निष्ठा जो होती है उसका विरोध करना है । इस प्रकार के शब्द और वाक्यों के लिए आज ही कुछ समय पहले अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय ने श्री तनसिंह के कुछ इसी प्रकार के शब्दों को लेकर आपत्ति की थी और श्री तनसिंह जी को खेद प्रकट करना पड़ा था और शब्द वापिस लेने पड़े थे । इसलिये मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात कह कर चेयर की तरफ इशारा करके उन्होंने उसकी कर्तव्य-परायणता की तरफ शंका प्रकट की है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please I I could follow the sense.

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसके लिये खेद प्रकट करें और अपने उन शब्दों को वापिस लें ।

श्री उपाध्यक्ष : I could not find anything extraordinary in talk as well as the expressions of the Hon'ble member. The Hon'ble member will please resume his debate.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं फिर भी इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ । मैं समझता हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है और अगर कोई ऐसी बात की हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात करने में कोई प्रतिष्ठा का सवाल तो है नहीं । यहाँ तो हमारे चेयर की प्रतिष्ठा का सवाल है । यदि मैंने अनजान में कोई अपवाद किया हो तो उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूँ ।

मैं यह कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के विचार होंगे । मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जो महात्मा गांधी के निकटतम उत्तराधिकारी माने जाते हैं, खुद उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं । इसलिये यदि कोई महात्मा गांधी और समाजवाद की बातें करके हमें डराना चाहें तो हम डरने वाले नहीं और दबने वाले नहीं हैं । आज कल हर किसी के लिये यह कहना बहुत सरल हो गया है कि महात्मा गांधी के विचार ये नहीं थे । हर बात में महात्मा गांधी का नाम लेकर (अश्रव्य) खेल हो गया है । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इस देश में कई बातों पर महात्मा की दृष्टि से विचार करते थे । आज पंडित नेहरू जो महात्मा गांधी के निकटतम उत्तराधिकारी हैं उनके स्वय के विचार........

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर महात्मा गांधी पर डिस्कशन हो रहा है या बिल पर ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please when he does not give way, the Hon'ble member will resume his seat.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा

(श्री जनार्दनराय नागर)

गांधी के निकटतम उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने भी हमारे देश में पुराने राजतन्त्र के आधार पर बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण रखे हैं जिन्हें यहां पर अपनाया है और संविधान में प्रविष्ट किये हैं जिनको महात्मा गांधी अगर जिन्दा होते तो स्वयं मंजूर नहीं करते।

आज हमें नम्रता के साथ कहना पड़ेगा कि हम लोग जो २००) माहवार और १२।।) रोजाना भत्ते के रूप में लेते हैं वह भी महात्मा गांधी के उसूलों के विपरीत ही है। यह निश्चित है कि यदि इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी से राय ली जाती तो वे यही कहते कि एम.एल.ए. को रोज के १२।।)रु० नहीं लेने चाहिए क्योंकि वह १२।।) रु० रोजाना खर्च नहीं करता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, order please! he is not giving way.

श्री जनार्दनराय नागर : मन्त्रियों पर रुपया .. ....

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आप जब हाउस में बोलें तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : That is not the position. I will give my own observations. When the Hon'ble member is going on with his debate, unless he does not give way, the explanation cannot be recieved. It is not a point of order. Had it been a point of order even then I was not to give any ruling about it. A point of explanation can only be taken after the completion of the debate, my predecessor has given a rulling cn this and as such I will request the Hon'ble member to go on with his debate.

श्री जनार्दनराय नागर : इसलिये यदि हम महात्मा गांधी का नाम लेकर उनके सिद्धांतों की आड़ में, मन्त्रियों पर इस प्रकार का दोषारोपण करना कि जो रुपया उनको मिलता है खर्च नहीं होता और वे लोग रुपया कमाने की साजिश में लगे हुए हैं; तो क्या हमें भी जो १२।।) रु० रोजाना मिलते हैं उनको हम ईमानदारी से खर्च करते हैं ? क्या हम उसमें से बचत नहीं करते हैं ? दो सौ रुपये जो हमको मिलते हैं क्या हमारी उसमें से कुछ बचत होती है ? अवश्य होती है, मगर यहां पर इस तरह की दलीलें देकर उन बातों का इस तरह बुलबुला तैयार करते हैं कि जिससे लोगों को यह मालूम हो कि माननीय मन्त्री किसी प्रकार का षडयन्त्र करते हैं और पैसा कमाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए ही यह बिल हमारे सामने लाया जा रहा है। मैं समझता हूं, इस प्रकार सोचना या कहना उचित नहीं है। वह जो डण्डा आप मन्त्रियों के सिर पर मारने की कार्यवाही कर रहे हैं अगर हमारे सिर पर उल्टा पड़ने लगे तो ठीक वही हालत हमारी होने वाली है....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, we are expected to be a little moderate in the expressions.

श्री तनसिंह : Mr. Dy. Speaker. Sir, when you were addressing the House he (Shri Nagar) did not resume his seat. I submit, is

(श्री तनसिंह)

it not against the Parliamentary decorum ?

श्री उपाध्यक्ष : He was just on the point of resuming his seat when I Started my observations Hence tre objection does not arise

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं मेरे माननीय मित्र से यह कहना चाहता हूं कि हमको १२॥) रु. रोजाना भत्ते के रूप में मिलते हैं उनको तो हम किसी सूरत में कम करने के लिये तैयार नहीं होंगे । इस बात को हमें बराबर मानना होगा कि जो दो सौ रुपये हमको मिलते हैं वे ही दो सौ रुपये आप मन्त्रियों को देना चाहते हैं, यह किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । आपको मन्त्रियों को एम. एल. ए. मान कर नहीं चलना होगा, आपको उन्हें मन्त्री मान कर चलना होगा । हमारे अन्दर सब से बड़ी कमजोरी और गलती यही है कि हम मन्त्रियों को मामूली नागरिक के तौर से ही मान कर चलते हैं और देखते हैं । हमें उनको एक सत्ताधारी ऑफिसर के नाते मान कर चलना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह : आपको भी बना दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : No direct interchange of discussions, Please.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, जब कभी मन्त्रियों के एलाउन्स या तनख्वाह के बारे में कोई बात सदन में आती है तो हम यह मान कर चलते हैं कि उनको बहुत कम तनख्वाह मिलनी चाहिये । हम यह क्यों नहीं कहते कि उनको फकीर और साधु हो जाना चाहिए ? मगर ऐसा हो नहीं सकता । उनको अपने पद की प्रतिष्ठा के अनुसार साधन मिलने चाहिये और आप यह चाहते हैं कि उनको नहीं मिलने चाहिये, यह वाजिब नहीं है । इसके लिये हम महात्मा गांधी के उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि राज्य के मन्त्रियों को हमें मन्त्री मानना पड़ेगा, अधिकारियों को अधिकारी, जिस तरह से मानते आये हैं ? हमको स्पीकर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को डिप्टी स्पीकर मानना होगा और उनके पदों के अनुसार ही उनकी प्रतिष्ठा और उनके वेतन होने चाहिये । इसलिये मैं यह कहूँगा कि हमें उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखना है ।

अभी हमारे सामने ७५ और २५ रुपये के झगड़े का प्रश्न आया । यह चीज तो तयशुदा है कि केवल उन्हीं मन्त्रियों का झगड़ा है जिनके घरू मकान हैं या जो किराये के मकान में रहते हैं । जो राज्य के बंगलों में रहते हैं उनके लिए तो कोई झगड़ा नहीं । कानून में कई तरह के इन्टरप्रेटेशन्स होते हैं और उस वजह से उनको खर्चा देने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बिल के द्वारा यह सुविधा देने का प्रबन्ध किया गया है ।

अब यह बात कही जाती है कि व्यक्तिगत रूप से कोई कटौती कराने के लिये तैयार नहीं होगा । मैं यह कहूंगा कि ऐसे मन्त्रियों के उदाहरण हैं जिन्होंने व्यक्तिगत कटौती के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है । शायद आपको और हमको यह बात मालूम नहीं होगी ? आपको यह मालूम होना चाहिये कि आपको और हमको जो कुछ मिलता है वह

(श्री जनार्दनराय नागर)

कहां और किस जगह खर्च करना पड़ता है ? मैं समझता हूँ कि आपको भी यह मालूम ही होगा । हम जहां से आये हैं उसके लिये, उसके हर काम में काफी खर्च करना पड़ता है । मन्त्रियों को भी मैं समझता हूं काफी खर्चा करना पड़ता है और उनकी अपनी मान और मर्यादा को देखते हुए उनके जीवन के खर्चे बहुत हैं । आप यदि उनके नये खर्चों को देखें तो आपको स्वयं को पता चल सकता है कि कितने खर्चे होते हैं । मैं यहां यह तो नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत रूप से किस मिनिस्टर ने वोलन्टरीली कटौती के लिए कहा, मगर हमारे राष्ट्रपति ने तो अपने खर्चे में कटौती की है और वह एक व्यक्तिगत त्याग की बात हमारे सामने है । यदि आप व्यक्तिगत त्याग का आदेश उन मन्त्रियों के सामने रखें तो मैं इस कार्य में आपका साथ दूंगा । मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम इसका यहां पर इस तरह से निरोध करें । हमें चाहिये कि हम मन्त्रियों से चल कर कहें कि आप भी कुछ त्याग करें और कटौती करें । यह बात तो हो सकती है, यह नहीं कि इस तरह से हम सदन में उनका विरोध करें । हम मन्त्रियों से यह कहें कि विकास के कार्य के लिये आप भी कटौती करें और मैं समझता हूँ कि वे इस पर ध्यान भी दे सकते हैं । लेकिन जहां विधिवत् की बात आती है तो आप मन्त्रियों पर दोषारोपण करते हैं । मैं समझता हूं कि यह एक व्यक्तिगत बात है और इसका मन्त्रीपद से कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं इसको अप्रासंगिक समझता हूं । मैं इस बात में आपके साथ हूं कि आप मन्त्रियों से चल कर कहें कि वे व्यक्तिगत कटौती करें; तो वे इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे, मगर यह कोई तरीका नहीं कि आपको एलाउन्स मिल रहा है और दूसरी सहूलियतें मिल रही है वे नहीं मिलनी चाहिये, ऐसा कहें ।

अब समाजवाद की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजवाद के शुरूआत का जो जीवन है वह उन्हीं के मस्तिष्क से होता है, लेकिन इसके महत्व को महसूस करने वाला कोई नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवाद शायद आपकी कन्या होगी लेकिन विवाह तो हमने उसके साथ किया है और गृहस्थी भी हम ही चलायेंगे । वह आप से चलने वाली नहीं है और इसका फैसला तो....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will not point out to the other members.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय जब हमको यह कहा जाता है कि हम गांधी जी के विचारों को नहीं समझते, तो मैं यह कहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष : Will not point out to the other Hon'ble Members.

श्री जनार्दनराय नागर : चूंकि कोई यह कहता है कि मैं समाजवादी हूँ और इसलिए समाजवाद मेरा है और जो कुछ मैं कहता हूं वह समाजवाद है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि समाजवाद की गृहस्थी न वह चला सकते हैं और न उनमें चलाने का माद्दा है और न कूवत है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : There are so many Hon'ble Members on their legs.

Page No.63

श्री सोहनलाल भटनागर : I do not want to speak. I move that this matter be now put. Many persons have alercady spoken and I move that the question be put.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय...........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The closure is here on the table.

श्री सोहनलाल भटनागर: I move the closure.

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई देर से उठ-बैठ निकाल रहा हूँ; मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Because the closure is here, I will put it to the House and will know the sense of the House first.

श्री मोहरसिंह : क्या बोलने का टाइम नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं, साहब। यह बन्दिश आ गई है। मैं पहले इससे मुक्ति पा जाऊं।

श्री भैरोंसिंह : यह मुक्ति पाने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ परम्परायें ऐसी हैं कि जिनके आधार पर यदि कई सदस्य खड़े हो जाते हैं, बोलने के लिये और उसके बाद में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पुट किया जाता है तो हाउस को उस पर कन्सीडरेशन नहीं करना चाहिये। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्लोज़र मोशन के ऊपर हाउस का सेन्स नहीं दिया जाय और जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात एवं कृषि मन्त्री) : Mr. Sohanlal caught the eyes of the Chair first. He was noticed before anybody stood and he has already moved the closure.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Let me make my own observations. Unfortunately I was looking at Mr. Nagar. He was a little intolerant during the course of his speech. I withdraw the word ? Intolerant if he feels expression, but that was unfortunately the position of mine and during that course others could not catch the eye of the chair. The other objections that the Hon'ble Members have raised are out of order. So I put the closure motion first.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल २३० के मुताबिक मैं तो यह समझता हूँ कि आपने जो क्लोज़र मोशन मूव किया है....

श्री उपाध्यक्ष : Which rule ?

श्री तनसिंह : रूल २३०। आपने जो क्लोज़र मोशन मूव किया है, that is an abuse the right of reasonable debate, and hence I request you not to allow this closure motion.

श्री उपाध्यक्ष : This just depends on the discretion of the Chair.

श्री तनसिंह : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर रीजनेबल डिबेट नहीं हुई है। अभी तक बहुत कम लोगों ने विचार प्रकट किये हैं और इस प्रकार

(श्री तनसिंह)

की जब गरमागरम बहसों का आदान-प्रदान किया जा रहा है तो उनकी तरफ से तो भाषण दे दिये गये, तो जो कुछ उन्होंने कहा है उसका उत्तर हमें भी तो देना है और इसके अलावा अभी भी इसके ऊपर इतने लोग बोलने वाले हैं। अतः मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय,/ निवेदन करूंगा कि इस बिल पर कोई अमेन्डमेन्ट भी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी इसमें अमेन्डमेन्ट होने को थे वह हो गए। ऐसी अवस्था में जो क्लोज़र मोशन रखा हुआ है उस पर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रोपर नहीं है और आशा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय डिस्क्रिशन हमारे हक में देकर इस क्लोज़र मोशन को "नोट इन ऑर्डर" कह कर हटा देंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर : पहले, जहां तक माननीय तनसिंह जी ने रूल बताया है, और उनका जहां तक यह कहना है कि 'abuse on the right of reasonable-debate' है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आज सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने वाली थी उसके पूर्व माननीय सदस्य ने कहा था कि टाइम लिमिट रख दी जाय। चूंकि आज सदन समाप्त होने वाला है और चूंकि सदन की कार्यवाही समाप्त करनी है। यह मामूली सा बिल है और इसके ऊपर दोनों तरफ के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी राय प्रकट कर दी है और जो कुछ अब फिर कहा जायगा वह भी केवल एक रिपीटीशन होगा और मेन पाइन्ट से भी अलग जा रहे हैं, इसलिए मैंने जो क्लोज़र मोशन मूव किया है उसको लिया जाय।

श्री तनसिंह : मैंने यह कभी नहीं कहा कि आज ही सदन खत्म कर रहे हैं, इसलिए टाइम लिमिट रख दी जाय। जो मैंने टाइम लिमिट के लिए कहा था वह तो जिस समय मोटर टैक्सेशन का बिल आया था उसके लिए कहा था। अब यदि सभी बिल्स के लिए ही यह रेस्ट्रिक्शन टाइम का माना जाय तो कोई ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री तनसिंह की ओर संकेत) माननीय सदस्य वह प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रश्न तो बहुत सीधा सा है। आपने डिस्क्रिशन invoke करने के लिए कहा है, मैं आपको बताऊं कि अभी यह बिल क्लॉज़ बाई क्लॉज़ आयेगा उस समय इस विषय पर हम अधिक विचार करेंगे। इसलिए मैं क्लोज़र मोशन पहले लेता हूं।

The question is that the question be now put. Those who are in favour will say 'yes'.

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it.

श्री भैरोंसिंह : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : You want division ?

श्री भैरोंसिंह : श्रीमान, इनकी तनख्वाहों का सवाल है और जनता के पैसे का दुरुपयोग का सवाल है इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम डिवीजन क्लेम कराया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्वेश्चन पुट करने के बाद में मंत्री महोदय जवाब भी दे सकेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Which question ?

श्री भैरोंसिंह : अभी इस वाद-विवाद को बन्द किया जा रहा है, एक क्लोज़र मोशन के मूव होने के कारण से और उस पर मत

(श्री भैरोंसिंह)

लिया जा रहा है तो क्या मत लेने के बाद में मंत्री महोदय को डिबेट का उत्तर देने का अधिकार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : It should not be anticipated at this stage. I will give my observation as soon as the question comes up. Are we so serious about demanding division ?

श्री तनसिंह : Why not, Sir ?

श्री भैरोंसिंह : पैसे के पैसे लेते हैं और फिर बोलने भी नहीं देते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Can I appeal to good sense of the Hon'ble members, if we can relax the issue, only because we have got the bill to be discussed clause by clause. All these observations or the heat that is to be introduced in the debate can be introduced at that stage. So in order, just to save time if at all......

(बाधा)

श्री भैरोंसिंह : यहां पर दो प्रश्न हैं, एक तो समय बचाने का और दूसरा पैसे बचाने का और हम पैसे बचाने के सवाल को ज्यादा महत्व देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is not concerned with that aspect. I am only cautious so far as the question of saving the time is concerned. Still if the Opposition Benches are so serious about demanding a division, I, as the last servant of the House, would not curtail their right.

श्री तनसिंह : अब तो राइट्स का सवाल ही नहीं रहा उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं और जिन्होंने यह क्लोज़र मूव किया है वे यह समझते हैं कि बहुमत के आधार पर वे चाहे जैसा करवा सकते हैं, लोगों के मुंह बन्द कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम भी डिवीज़न क्लेम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके विषय में कुछ बात नहीं। माननीय सदस्य जिन्होंने यह क्लोज़र मूव किया है उनको यह तो सोचना चाहिये था कि रीजनेबल टाइम तो इस पर बोलने के लिये देते, ताकि कुछ लोग और अपने विचार प्रकट करते। कुछ बोलने के लिये खड़े हुए ही थे कि आपकी तरफ से मुंह बन्द करने के लिये क्लोज़र मूव कर दिया गया। आप बहुमत के आधार पर हम लोगों का गला बन्द कर सकते हैं, मुंह बन्द कर सकते हैं, किन्तु हमारे जो अधिकार हैं वे आप छीन नहीं सकते।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मुंह बन्द करने के लिये क्लोज़र मूव नहीं किया गया है। डिबेट का यह तरीका नहीं है कि हर एक आदमी को उस पर बोलना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

The question is that the question be now put.

(मतदान के पश्चात्)

Ayes have it.

विपक्ष के माननीय सदस्य : Noes have it.

Page No.66

श्री तनसिंह : The voice is physically louder.

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to the Ayes lobbies, and Noes to the Noes lobbies.

श्री भैरोंसिंह : हां करने की हिम्मत नहीं है साहब।

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : I announce the result now; Ayes 59 and Noes 30. The motion is carried.

[विभाजन सूची]

'ना' पक्ष (३०)

श्री अनूपसिंह

श्री बालमुकुन्द

श्री भैरोंसिंह (खचारियावास)

श्री चन्दरसिंह

श्री दयाकृष्ण

श्री गज्जा

श्री हीरा

श्री हुकमसिंह

श्री कालू

श्री केसरीसिंह

श्री किशनाराम

श्री लच्छूराम

श्री मनरूप

श्री मोघजी

श्री मोहरसिंह

श्री मोती

श्री मुरलीधर

श्री नरेन्द्रसिंह

श्री प्रभुलाल

श्री पृथ्वीराज

श्री रघुवीरसिंह

श्री रामकरण सिंह

श्री रामनारायण

श्रीमती शान्तादेवी

श्री शिवपतसिंह

श्री शिवचरनदास

श्री सूरजमल

श्री तनसिंह

श्री वीरका

श्री वीनो

'हां' पक्ष (५९)

श्री अब्दुल गफ्फार खां

श्री अमरा

श्री अमृतलाल पायक

श्री बहादुर सिंह

श्री बरकतुल्लाह खां

श्री भैरवलाल कालाबादल

श्री भंवरलाल

श्री बृजमोहनलाल शर्मा

श्री दलीपसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री देवा

श्री गनपतीलाल वर्मा

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री गोकुलचन्द

श्री गोपाललाल

श्री गोपीसहाय

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गुलाबसिंह
श्री ज्ञानचन्द
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव
श्री हरीकिशन
श्री हरिप्रसाद
श्री हरीशंकर सिद्धान्तशास्त्री
श्री हरीशचन्द्र
श्री हजारी
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जेठमल
श्री जुगलकिशोर
श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय
श्री किशनलाल
श्री किशनलाल शाह
श्री किशनसिंह
श्री लल्लूराम
श्री लक्ष्मण
श्री मांगीलाल
श्री मनोहर
श्री मूलचन्द
श्री नारायण लाल
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री परसराम
श्री पी. के. चौधरी
श्री पूनमचन्द
श्री पुरुषोत्तमलाल
श्री रामचन्द्र
श्री रामदान
श्री रामदेवसिंह
श्री रामकिशोर व्यास
श्री रामप्रसाद
श्री रावत
श्री रिखबचन्द
श्री सम्पतराज
श्री शंकरलाल
श्री शिवनाथसिंह
श्री श्री निवास
श्री सोहनलाल
श्री श्रीमानसिंह

२.४० म० प०

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात एवं कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस सदन में इस कानून के सिलसिले में उठाई गई, मैं उसके बारे में थोड़े से शब्दों में सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : On a point of order, sir, मैं प्रार्थना करूंगा कि क्लोज़र होने के बाद क्या मिनिस्टर जबाव दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Are you opposing, but under what rule ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मै ऑब्जेक्शन करता हूँ कि क्लोजर मुव करने के बाद और क्लोज़र पास होने के बाद.......

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please refer to Rule 230

Page No.68

(श्री उपाध्यक्ष)

and its provision, I have allowed the Hon'ble member-in-charge to give areply.

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बिल के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने बहस की उनकी बहस से मुझे ऐसा लगा कि इस बिल को समझने में थोड़ा बहुत उनको भ्रम है । इस कानून का जो मकसद है और जो क्लॉज़ेज़ इस बिल में रक्खे गये हैं उन सब का मतलब यह है कि राजस्थान के जो मन्त्री हैं वे कुछ सरकारी बंगलों में रहते हैं और कुछ अपने घरों के बंगलों में रहते हैं जैसा सभी माननीय सदस्यों को विदित है । हमारे जयपुर में सरकारी मकानों की भी कमी है और इसका सुबूत अभी भी सभी माननीय सदस्य देखते हैं किहमारे एक डिप्टी मिनिस्टर एकोमोडेशन की कमी के कारण गवर्नमेंट होस्टल के एक कमरे में रह रहे हैं । सरकारी मकानों की कमी है इसलिये, कुछ मंत्रीगणों के जिनके अपने मकान हैं और जो अपने ही मकानों में रहते हैं इससे सरकार को एक तरह की सुविधा मिलती है । अगर वे आज यह कहें कि हम सरकारी मकानों में रहना चाहते हैं, अपने घरों में नहीं तो सरकार उनको किसी प्रकार रिफ्यूज़ नहीं कर सकती । उनको मकान प्रोवाइड करना पड़ेगा और उनको मकान में रखना पड़ेगा । ऐसी सूरत में जो सब मंत्रियों को सुविधायें हैं, जो कानून इस सदन के द्वारा पास किया गया है और जिस पर समय समय पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जो स्वयं सरकार की इच्छा से लगाये गये हैं, वो यह है कि मंत्रियों को १ हजार की तनख्वाह मिलेगी, फ्री एकोमोडेशन एक बंगले की मिलेगी, एक गाड़ी सरकार से मिलेगी, उस गाड़ी पर पेट्रोल का कन्ज़म्शन ६० गैलन का होगा, ७५) रु० से ज़्यादा बिजली का कन्ज़म्शन है तो उसको स्वयं को भुगतना पड़ेगा, २५) से ज्यादा पानी का खर्चा हुआ है तो उनको भुगतना पड़ेगा । यह ७५) रु० का रेस्ट्रिक्शन, यह २५ रुपया का रेस्ट्रिक्शन और यह ६० गैलन का रेस्ट्रिक्शन इस सदन में स्वयं सरकार की इच्छा से, आपकी इच्छा से और इस सदन की इच्छा से लगाये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जहां खुद का अपना बंगला है वहां उनको किराया सरकार से कितना देना पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किराये के २५०) और कार के भी २५०) रुपये । अगर कोई मंत्री अपनी कार रखेगा तो उसको सरकार से २५०) प्रति माह दिया जायगा और खुद का मकान होगा तो २५०) मिल सकता है । यह प्रोविज़न जैसा आज का कानून है उसके मुताबिक है ।

यह बिल सदन में क्यों लाया गया है उसके लिए मुझे यह कहना है कि कुछ कानून के इन्टरप्रिटेशन में ए० जी की ओर से एतराज सरकार के नोटिस में आये कि कुछ बातें इसके अन्तर्गत कवर नहीं होती हैं । जो मंत्रीगण अपने खुद के मकान में रह रहे हैं, जो बिजली और वाटर कन्ज्यूम करते हैं और एक्चुअल कन्ज़म्प्शन के मुताबिक जो पानी और बिजली के बिल ड्रॉ किये हैं उनके पेमेन्ट के लिए वे पुराने कानून से कवर नहीं होते हैं और जो सरकारी बंगलों में मंत्री रहते हैं उनका बिजली का और पानी का खर्चा जो एक्चुअल होता है उतना ही ड्रॉ करते हैं । ७५) और २५) की जो सीलींग फिक्स की हुई है उसके नीचे खर्चा होता है, ४०) या ५०) तो वह ट्रेज़री से ड्रॉ होकर डिपार्टमेन्ट में

Page No.69

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जमा होते हैं। इसी तरह से जो मंत्री लोग प्राइवेट घरों पर रहते हैं, उनका जो एक्चुअली पानी और बिजली का खर्चा हुआ है उन्होंने एक्चुअली खर्चा पानी और बिजली का ट्रेजरी से ड्रॉ करके सरकारी महकमों में जमा कराये हैं और यदि सीलिंग से आगे एक भी पैसा अधिक खर्च हुआ है तो वह इस कानून के द्वारा कवर नहीं होता है, कई बंगलों में सीलींग से अधिक खर्चा हुआ है। यहां बाग बड़े हैं, मैंने खुद ने अपनी जेब से पे किया है, २५) ज्यादा हुआ तो पे किया है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री हुए तो एक महीना ही हुआ है पे कहां से किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पेमेन्ट किया है। पहले की बात कह रहा हूँ। सभी मकानों में कोई मंत्री नहीं रहते हैं। विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों के रिश्तेदार आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं और आकर हमारे यहां ठहरते हैं, हमारे सभी कमरे भरे रहते हैं, वे लोग कामकाज लेकर यहां ठहरते हैं, पंखा चलता है, बिजली का खर्चा होता है, हम उन्हें यह तो नहीं कह सकते कि पंखे न चलाओ। सभी आकर खाना खाते हैं। बंगलों में आकर नजारा देखो तो पता चल जाय कि एक घर में कितने खाना खाने वाले मिलेंगे। हमारे घर के ३-४ होंगे लेकिन बाहर से जो मेहमान आते हैं, वे २५-३० से कम रोज नहीं मिलेंगे। वे इसलिए सीलिंग से ऊपर अगर बिजली और पानी का खर्चा होता है तो जो पेमेन्ट होता है वह हमको करना पड़ता है। माननीय सदस्य एक प्रास्पेक्ट को लेकर चलते हैं कि कहीं मंत्री का नाम आया, चाहे बिल में या बजट में, उस सिलसिले में मांग आयी तो ऐसे चिपट पड़ते हैं जैसे गुड़ की भेली के चींटियां चिपक पड़ती हैं।

(हंसी)

मुझे यह बड़ा ताज्जुब है कि यह एक छोटा सा बिल है, जब इस छोटे से बिल पर कोई बात आती है कहीं २ समाजवाद आ जाता है, कहीं त्याग की बात सिखायी जाती है, कहीं महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाता है। मैं नम्र शब्दों में उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा और अपील करना चाहूँगा कि अगर मंत्री बने हैं तो आपके ही बल-बूते पर बने हैं, अगर काम चला रहे हैं तो आपके हित में और जनता के हित में चला रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी रखते हुए) उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं और उनको पूरा करना पड़ता है। कहते हैं, उनको बंगले मिले हैं, कार मिली है और खस के टट्टों का खर्चा होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ठंडी हवा में बैठते हैं, पंखे हैं वहां कोई एक मंत्री नहीं बैठता है, पचास रुपया पाने वाला क्लर्क भी खस के टट्टों में बैठता है इसलिए कि उसका दिमाग ठंडा रहे, ६ घंटे की कलम घिसाई होती है तो यह भी आशा करते हैं कि काम ठीक तरह से हो, काम करते हैं इसलिए कि ठीक तरह से काम हो, व्यवस्था हो। इस प्रकार के छोटे-मोटे खर्च किये गये हैं, वह काम ठीक करने के लिए किये गये हैं। उनको हमेशा इसी दृष्टिकोण से देखना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि सही चीज को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये। बिल में छोटी सी बात है, महत्व

Page No.70

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को देखें लेकिन लम्बे-चौड़े भाषण दे देते हैं, महात्मा गांधी का नाम जोड़ लेते हैं, त्याग का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। आपको सोचना है इस विषय पर।

श्री किशनाराम : माननीय सदस्य बैठ जाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर जो आलोचनायें की गई उनको सही दृष्टिकोण से देखा जाता तो आलोचना की आवश्यकता ही नहीं थी। आलोचना केवल आलोचना की दृष्टि से ही की गई है। मंत्रियों के नाम आते ही जो बातें किसी वक्त नहीं कही जा सकीं वे इस बिल के साथ जोड़कर कही गई हैं और कई माननीय सदस्यों ने इसको समझा नहीं है और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य इसको सही दृष्टिकोण से देखें। इस बिल के जनरल डिस्कशन पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the Bill be taken into consideration.

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it.

श्री भैरोंसिंह (१४) : Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Ayes have it.

श्री भैरोंसिंह : Noes have it, Sir,

श्री हरिदेव जोशी : Ayes have it,

श्री संपतराज जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप हिन्दी में ही बोलें तो अच्छा हो। ११६ सदस्य हिन्दी जानने वाले हैं।

(हियर, हियर की आवाज)

श्री मोहरसिंह : यह माननीय सदस्यों की शिकायत है कि हिन्दी में नहीं बोला जाता।

श्री किशनाराम : यह पता चल गया है कि अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय) अंग्रेजी अच्छी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : He will not cause any aspersions on the chair, I will request the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : वे नहीं समझे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अर्ज भी इसीलिये किया था कि वे न समझें खामखवाह !

(हंसी)

Is it a trial of the chair or what ?

मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी जो निर्णय लिया गया है। ५०.३० से तो उसी तरह का निर्णय फिर सम्भवतः हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : वह क्लोजर मूव करने के बारे में था। यह तो पैसा देने के बारे में है। का सवाल है, कुछ उधर के माननीय सदस्य ऐसे होंगे कि कम मिले और जो मिनिस्टरी के उम्मीदवार हैं और मिनिस्टरी में नहीं आने वाले हैं वे इस ओर वोट देंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह : यदि ऐसी बात करते हैं तो मैं मेरा अलाउन्स फोर्गो करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जैसे त्यागी आदमी कम हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, क्या डिविजन हो रहा है या कुछ वेट करना है आपके डिसीजन के लिए ? They have claimed Division.

श्री उपाध्यक्ष : डिसिज़न तो बहुत साफ है। Do you still insist on Division,

श्री भैरोंसिंह : अभी अभी तो आप (श्री नाथूराम मिर्धा की ओर इशारा करते हुए) गुड़ की भेली बने हो, अब देखिये ?

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बिल को सदन में विचारार्थ रखा जाय।

(स्वीकृति)

The motion is adopted.

(विराम)

Clause 2-Shri Bhairon Singh will move the amendment.

३ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I beg to move that the words, "and shall be deemed always to have been ommitted" will be deleted from Clause 2.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय यातायात मंत्री महोदय ने जो इस बिल पर वाद-विवाद हुआ उसका जो उतर दिया गया। उन बातों की ओर सदन का ध्यान बाद में आकर्षित करूंगा, पहले जो संशोधन पेश किया जा रहा है जिस पर मेरा संशोधन है उस विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल कानून है उस कानून की धारा ५ में मिनिस्टरों को क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसकी व्यवस्था दी गई है उसमें लिखा है :

"With effect from the date referred to in section 3, each Minister shall also be entitled, without payment of rent or other charge to the use, throughout his term of office of-

(a) a fully furnished house in Jaipur, and (b) a State car,

and no charge shall fall on the Minister personally in respect of the maintenance of such house or car.,

आगे लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, :

"Provided that the Minister shall be personally liable to pay—

(i) any sum in excess of seventy five rupees due on account of the consumption in any month of electricity at such house, and

(ii) any sum in excess of twenty five rupees likewise due on account of the consumption of water thereat.,

इसको डिलीट करने के बारे में यह संशोधन सरकारी पक्ष की ओर से इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और यह भी प्रार्थना की गई है कि इसको आज से ही लागू नहीं किया जाय बल्कि उस समय से किया जाय

Page No.72

(श्री भैरोंसिंह)

जब कि यह मूल एक्ट बना था। अभी अभी माननीय मंत्रीजी बड़े ठाट से कह रहे थे कि मिनिस्टरों को २०-२५ आदमियों को एक एक दिन में खाना खिलाना पड़ता है। मैं उनकी अतिथि सत्कार की भावना की कद्र करता हूं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि २०-२५ आदमियों को यदि दोनों टाइम खाना खिलाया जाय तो कम से कम ४० रुपये रोज खर्च होते हैं। अब यदि ४० रु० एक दिन में खर्च होते हैं तो एक महीने में १२०० रु० खर्च होते हैं और उनको तनख्वा मिलती है १००० रु० तो इस तरह से २०० रु० हर महीने में उनको घाटा रहता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां आपके खाने का स्टेन्डर्ड नहीं है। हम तो दाल-रोटी खिलाते हैं, जिसका खर्चा ४ आ० रोज पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : आप दाल-रोटी खिलाते हैं और गुड़ की भेली में से गुड़ भी देते हैं। यदि साधारण खाना भी खिलाया जाय तो भी मैं मानता हूँ कि मंत्रियों के यहां खाना बनता है तो अच्छा बनता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको शायद अनुभव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अब प्रश्न यह आता है कि उनके जिम्मे जो अधिक खर्च का भार पड़ता है उससे इन्हें किस तरह मुक्त किया जाय। उनकी आर्थिक स्थिति पर मुझे दया आती है और सदन को भी दया आनी चाहिये। लेकिन जब हम उनके बंगले देखते हैं और जब हम बिना बचत के उन्हें कंपनियों में शेयर्स खरीदते हुए देखते है, बिना बचत के मोटर ट्रान्सपोर्ट कंपनियों में हिस्सा खरीदते देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि बिना बचत के यह सब कैसे होता है ? तनख्वाह आती है उसमें बचत होती नहीं और फिर मकान बनाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उनके पास अलादीन का चिराग है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। दया का प्रश्न खाली उनके लिये ही नहीं है वरन् जो मंत्री बनते हैं उन पर भी दया आती है और जो मंत्री पद से हटते हैं उन पर भी दया आती है और जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं उन पर भी दया आती है। लेकिन यह दया सिर्फ उन्हीं पर नहीं आती बल्कि राजस्थान की गरीब जनता पर भी आती है जिनके पास से पैसा इकट्ठा करके खर्च करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी बड़े ठाट से कह रहे थे, शायद माननीय मंत्रीजी को मालूम नहीं था कि क्या संशोधन किया जा रहा है, यदि यह मालूम होता तो कहते कि बिजली पानी का जो अतिरिक्त खर्चा होता हैं, उसको मंत्री को बिअर करना पड़ेगा। जो पहले पाबन्दी लगाई गई थी उसको आप हटा रहे हैं, उसे हटाने के बावजूद भी इस तरह का ज़्यादा खर्चा मंत्री को स्वयं भुगतना पड़ेगा। आज तक जो कानून था, उसके अनुसार....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो क्लॉज़ इन्सर्ट कर रहे हैं, उसको समझ कर बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्लॉज़ तीन में संशोधन किया है, प्रोविज़ो हटाने का। प्रोविज़ो में यह बात है कि यदि ज्यादा खर्चा होगा तो मंत्री स्वयं भुगतेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें रखा है।

श्री भैरोंसिंह : वह दूसरी बात है, मैं

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

उसे आगे बताऊंगा। तो इस प्रोवीजो को हटाने के पीछे एक रहस्य है। मैं समझता हूं, शायद मंत्री महोदय को इस रहस्य की जानकारी नहीं होगी कि प्रोविजो हटाया है, उसके पीछे क्या रहस्य है ? अब प्रश्न यह आता है कि जिन मंत्रियों को २५० रु० किराये के मिलते हैं, जिन मंत्रियों को २५० रु० मोटर के मिलते हैं, और खर्चा करने को ६० गैलन पेट्रोल मिलता है, बिजली का खर्चा ७५ रु० मिलता है, जिन मंत्रियों को २५ रु० पानी के लिए मिलता है वह पर्याप्त है या नहीं ? मैं समझता हूं, इस सदन का कोई माननीय सदस्य इन्कार नहीं कर सकता कि यह धन काफी अपर्याप्त है, उनके सामने काफी दिक्कते हैं। उन्हें गुड़ की भेली समझ कर चींटी खाने को दौड़ती है। वे विवश हैं, कोई आलोचना करे, उनका खर्चा चलता नहीं क्योंकि गुड़ की भेली में चींटी चिपकी रहती है। लेकिन चींटी तो सजीव होती है और गुड़ की भेली निर्जीव होती है इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे निर्जीव व्यक्ति को इस प्रकार की निर्जीव चीज लेने का सौभाग्य उनको है। हमारा काम है, जिस प्रकार चींटी गुड़ की भेली से चिपटी रहती है उसी प्रकार यदि कहीं अन्याय हो रहा है, और जो अन्याय करता है, उसको रोकें, हम अन्याय करने से रोकते हैं और निर्जीव वस्तु को थोड़ा सजीव बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मुबारक हो उस गुड़ की भेली को जो राजस्थान की जनता को मिल गई किसी प्रकार से। अब प्रश्न यह आता है....

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले हंस लें, फिर कहिये।

श्री भैरोंसिंह : अब प्रश्न यह आता है, जैसा मैंने सदन में कहा था कि माननीय मंत्री महोदय उन व्यक्तियों को कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ ग्रेचुटी देना चाहते हैं, जो मंत्री नहीं बने, या अब नहीं रहे, उन्हें पेन्शन देना चाहते हैं, ग्रेचुटी देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से कानून बनायें। जिनके पास मकान थे, उनको बिजली और पानी खर्चा नहीं मिलता था, और जिन्होंने बिजली और पानी का खर्चा कानून के विपरीत ले लिया, जिन्हें नहीं मिला और जो अब मंत्री नहीं हैं उन्हें इनाम देना है, तो उन्हें आप निश्चित रूप से इनाम दें। ग्रेचुटी देने का कानून लायें, इनाम देने का कानून लायें, लेकिन अस्पष्ट रूप से इस प्रकार का कानून लाकर इस बात को प्रस्तुत करें, यह अन्याय है। आज जयपुर में कई मंत्रियों के बंगले हैं, वे म्युनिसिपल कमेटी को कितना टैक्स देते हैं, यह देखा जाय, तो जिन मंत्रियों को आप बिजली और पानी का खर्चा कानून के द्वारा दिलाना चाहते हैं, उनके हाउस टैक्स की क्या वेल्यु है, क्या रेन्टल वेल्यु है, जो रेंट केलकुलेट किया गया है, वह एक का ७४ रु० है, एक का ११४ रु० है और एक का १०७ रु० है। जो व्यक्ति १०७ रु०, ११४ रु० और ७४ रु० की रेन्टल वेल्यु के आधार पर हाउस टैक्स म्यूनिसिपेलिटी में जमा करता है, उस व्यक्ति को क्या अधिकार है कि सरकारी खजाने से वह २५० रु. १४४ के रेन्टल वेल्यू के आधार पर वसूल करे, २५० रु० १०७ रु० की रेन्टल वेल्यू के आधार पर वसूल करे। जब वे इतना पैसा लेते हैं और उसके बारे में कहते हैं तो वे यह कहते हैं कि ज्यादती हो रही है, उनके यहां २०-२५ महमान खाना खाते हैं, उसके घाटे की पूर्ति के लिए वे ७३ रु० की जगह

(श्री भैरोंसिंह)

२५० रुपया लेकर करते हैं। मैं समझता हूं यह न्याय की चीज नहीं है और मन्त्री जी स्वयम महसूस करते हैं कि यह न्याय नहीं है। अब जो वास्तविक प्रश्न है वह प्रश्न आता है, वह प्रश्न है ७५ रु० बिजली का खर्च और २५ रुपया पानी का खर्च। मैं यह मान कर चलता हूं कि मन्त्रियों का ज्यादा खर्चा होगा क्योंकि इनके मकान पर आने-जाने वाले कम नहीं हैं। जो इनके यहां आते हैं उनको पंखे की हवा भी खिलानी पड़ती है, बिजली की रोशनी के द्वारा चकाचौंध करने की भी आवश्यकता होती है। आज आप महमानों को चकाचौंध करने की जिम्मेदारी डाल देते हैं लेकिन हम कैसे अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, आज हमारे भी २०-२५ महमान आते हैं, क्योंकि हम भी विधान सभा के लिए चुने हुए हैं, हमने भी वोट लिये हैं, हमारे यहां भी व्यक्ति आ-जा सकते हैं। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती होगी, हमारे पास २०० रु० की आलोचना करते हैं, हम २०० रुपया में काम चलाते हैं, साढ़े बारह रुपये रोज जो मिलते हैं, उनमें काम चलाते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो कानून के रूप में लाकर पैसा बटोरना चाहते हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब इनकी तनख्वाह का प्रश्न आता है, साढ़े बारह रुपये का प्रश्न आता है तब कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूं कि विरोधी दल से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन विरोधी दल का प्रत्येक सदस्य इससे सहमत होगा कि यदि माननीय मन्त्री जी बिना तनख्वाह लिए काम करें और फिर कांग्रेस सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव लायें कि साढ़े बारह रुपये नहीं मिलेंगे, तो विरोधी दल का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात को सहर्ष स्वीकार करेगा और विरोध नहीं करेगा.......

(करतल-ध्वनि)

लेकिन यह प्रश्न नहीं आता है। आज तो, उपाध्यक्ष महोदय, लोबीज़ में दस्तखत कराये जा रहे हैं कि २०० रु० की जगह २५० रु० दिये जायं, साढ़े बारह रुपये की जगह १५ रुपये दिये जायं........

श्री जनार्दनराय नागर : आप भी व्यक्तिगत रूप से सहमत थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत तो क्या, यदि इस प्रकार का संशोधन लाया गया तो विरोध करूंगा।

३. १५ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

प्रश्न यह आता है, सभापति महोदय, तनख्वाह बढ़ाने का और मैं समझता हूं कि उधर बैठने वाले सदस्यों से, मावली से आने वाले सदस्य खास तौर से, इस बात के लिये यत्न कर रहे हैं, वे खास तौर से दस्तखत करा रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : बिल्कुल गलत है; मैंने न दस्तखत किये हैं, न कराता हूं।

श्री भैरोंसिंह : खुद ही ने किये थे, दूसरों से करा रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : यह सूचना

(श्री जनार्दनराय नागर)

गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : अब यह प्रश्न आता है, जब मन्त्रियों की तनख्वाह के अलावा सब चीजें मिलती हैं, उनकी उन्हें जरूरत नहीं है, तो हम प्रसन्नता के साथ स्वीकार करेंगे कि न हमें साढ़े बारह रुपये की जरूरत है और न ७०० रुपये की जरूरत है और हमारे सामने काम करने में दिक्कत आयेगी, लेकिन आप ७५ रु० बिजली के बर्दाश्त नहीं कर सकते, २५ रुपया पानी के बर्दाश्त नहीं कर सकते और पिछले मन्त्रियों ने जो कानून के खिलाफ वसूल कर लिया है, उसको वसूल करने की कानूनी व्यवस्था आप कर सकते हैं । हम त्याग कर सकते हैं लेकिन वे त्याग नहीं कर सकते । आज गांधी जी की बात को लेकर, सभापति जी, यहां कहा जाता है, आज मुझे एक रेस्पोन्सिबल व्यक्ति की जुबान से सुनने को मिला कि गांधी जी के हर सिद्धान्त को मानने के लिए हम बाध्य नहीं । आज गांधीजी जीवित नहीं, उनकी आत्मा स्वर्ग में है, लेकिन उनकी आत्मा दूर से देख रही है लेकिन उनकी आत्मा को पहचानते नहीं । गांधी जी का जीवित ढांचा आज सामने नहीं है, इसलिए हिम्मत करते हैं कहने की कि उनकी सारी बातें मानने के लिये तैयार नहीं हैं, इससे बापू की आत्मा पीड़ित होती है । आज लोगों के सामने गांधी जी के आदर्शों को रखा जाता है; लेकिन जहां उनके पेट का प्रश्न आगया, बजट पूरा करने का प्रश्न आगया, तो वे बापू को भूल गये । जो व्यक्ति बापू को भूलते हैं, वे बापू के मार्ग पर नहीं चल सकते । वे कहते कहते यह भी कह गये कि समाजवाद का जिक्र किया जाता है । मैं समझता हूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि समाजवादी व्यवस्था किस प्रकार की हो सकती है, उसका विवेचन किया है । उसके बाद जो दलील आई है, वह ना काफी है । यदि माननीय सदस्य केवल गांधीजी के नाम को लेकर समाजवाद की बात कर यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, उनको अलाउन्स मिल जायं, मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में वे घोषणा करें कि जिन व्यक्तियों के पास कम किराये का मकान है, जो किराये के मकान में रहते हैं और २५० रु० मकान किराया वसूल करते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाया जाय, सरकारी रकम का दुरुपयोग करने का मुकदमा बनाया जाय । मैं मावली से आने वाले सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि यदि ऐसा मुकदमा नहीं बने तो वे गांधी से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और इधर आकर बैठ जायं । मैं मानता हूं कि आपकी जबान बन्द है, छिप आपके आस-पास बैठा रहता है, डर है भविष्य बनाने का, क्योंकि विरोध करने वाले का भविष्य खराब होता है, चापलूसी करने वाले का भविष्य अच्छा होता है । लेकिन इधर भय नहीं । ऐसी सूरत में, सभापति महोदय, जो कानून प्रस्तुत किया जा रहा है, जो प्रोविज़ो डिलीट करने की बात कह रहे हैं, उसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके बारे में सम्भव है माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे । उनके कहने के बाद मैं कहूंगा, उससे उनकी गुड़ वाली बुद्धि का पता लग जायगा । उसके बाद ही मैं इस सम्बन्ध में दलील पेश करूंगा । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि सम्भव है कि इस संशोधन के द्वारा पिछली रकम दिलाना चाहते हों और आगे के लिए रखना चाहते हैं ।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रोविज़ो डिलीट न किया जाय और जो व्यवस्था पहले कानून में थी उस व्यवस्था को इस कानून में रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय अध्यक्ष (सभापति) महोदय, काफी देर से यह बिल हमारे सामने रखा हुआ है और इस पर काफी साथियों द्वारा, सदस्यों द्वारा चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में मैं भी दो-चार शब्द आपके सामने, जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह द्वारा हाउस के सामने रखा गया है, उसके समर्थन में कह देना चाहता हूं। मेरे ख्याल में हम लोग यहां बैठ कर इस मकान के नीचे, यहीं तक राजस्थान को महदूद कर लेते हैं। हमें यहां बोलते समय और विचार करते समय, इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि हमारी एक एक बात की जानकारी के लिए, एक एक बात के परीक्षण के लिये बाहर की जनता उत्सुक रहती है। जो कुछ आप यहां पास करते हैं, बिल्स पेश करते हैं उन पर बहस होती है, जो कानून वगैरह हम यहां पर पेश करते हैं और उन पर जो जो बहस होती है, उन सब पर जनता की टीका-टिप्पणी, आलोचना होती रहती है और जनता हमारे एक एक कदम को पहचानती है कि हम लोग उसके हित में चल रहे हैं या अहित में चल रहे हैं। यह बजट का अधिवेशन है, शुरू से आज तक बताया गया है कि बजट में घाटा है और उस घाटे को पूरा करने के लिये तरह तरह के टैक्सेज़ लगाने का सवाल हमारे सामने आया है, उन टैक्सेज़ का जोरों से विरोध भी किया गया और बहुमत के बल पर उन्हें पास भी किया गया। एन्टर्टेनमेंट टैक्स का बिल आया, उसका कड़ा विरोध किया गया किन्तु वह बहुमत के आधार पर पास किया गया। मोटर विहिकल्स टैक्सेशन बिल आया, उसमें कुछ बातें गरीबों को नुकसान पहुँचाने वाली थीं उनका विरोध किया गया कि इस तरह के टैक्स से गरीबों को नुकसान होगा, पर उसे भी बहुमत के आधार पर पास किया गया। यह सब इस लिये किया गया, हमें यह बताया गया कि हमारे बजट में घाटा है। इसके बावजूद मिनिस्टरों को, जिन्हें कि १००० रुपया तनख्वाह मिलती है, २५० रुपया मकान किराया मिलता है, २५० रुपया कार एलाउन्स मिलता है उन्हें अब ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के और दिये जाने के लिये बिल रखा गया है और उसमें यह रखा गया है कि पहले जो चले गये हैं उन पर भी सही की मोहर लगा दें। इसके विरोध में बोलना चाहते हैं तो क्या क्या प्रपंच रचे जाते हैं, जिनको कि हम देख रहे हैं। कहा जाता है कि समय की बचत की जाय। हम भी चाहते हैं कि समय की बचत की जाय और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की जितनी बचत की जा सकती है उतनी बचत की जाय, पर दूसरी तरफ बजट में घाटा होते हुए भी जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि मिनिस्टर्स को १००), १००) रुपये और दिये जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि दोनों तरफ आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं, बजट में घाटा और टैक्स, टैक्स भी उन गरीबों पर जिनका सारा हाल देखें तो मालूम होगा कि उनका क्या हाल है? तीन-चार बार इस बजट अधिवेशन के दौरान में पानी का सवाल आया कि बीकानेर के इलाके में जेठ के महीने में पांच-पांच, छः-छः कोस दूर से पानी लाना पड़ता है, इसी तरह जोधपुर और जैसलमेर के इलाके हैं जहां

(श्री मोहरसिंह)

पानी का यही हाल है, वहां पर पानी का प्रबन्ध करने के बारे में सवाल उठाया गया, बिल भी रखा गया पर वह पास नहीं किया गया, पर आज मिनिस्टरों को १०० रुपये पानी और बिजली के दिये जाने के लिए बिल रखा गया है; उन मिनिस्टरों को जिनको कि १००० रुपया तनख्वाह मिलती है, २५० रु० हाउसका किराया मिलता है, २५० रु० मोटर का अला-उन्स मिलता है, उनको १०० रुपया पानी और बिजली का देने के लिये बिल रखा गया है और उसमें यह रखा गया है कि पिछले रुपये नल बिजली के वसूल कर लिये हैं वे माफ कर दिये जावें। ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के मिनिस्टरों को दिये जायें। एक तरफ तो यह किया जा रहा है और दूसरी तरफ समाजवाद की दुहाई दे रहे हैं। इस तरह क्या आप दुनियां की आंखों में धूल नहीं डाल रहे हैं ? इसके लिये हम कहते हैं कि आपको कुछ त्याग करना चाहिये, दुनियां के सामने विचार धारा रखनी चाहिये, आदर्श रखना चाहिये। यों सौ-पचास रुपये का कोई सवाल नहीं, यह आदर्शों का सवाल है। सरकारी कर्मचारीगण के ५ रुपये बढ़ाये गये, अप्रेल सन् ५७ में बढ़ाये जाते हैं और शोर होता है ५६ के अक्टूबर से। अखबारों के कॉलम के कॉलम भरे रहते थे छः-छः महीने तक। ६ महीने तक रट लगाने के बाद ५ रुपया बढ़ाया जाता है। एक तरफ उनके पास खाने को नहीं है उनके लिये तो छः-छः महीनों तक। शोर मचाने के बाद बढ़ाया जाता है पांच रुपया और एक तरफ वे लोग हैं जो बिल्डिंग्स और मकानात का निर्माण करा रहे हैं उनके लिये हम यहां बिजली और पानी के लिये १०० रुपयों की व्यवस्था का कानून पास कर रहे हैं, क्या यही है हमारा समाजवाद ? हमारे देश के अन्दर थोड़ी तनख्वाह में जो मिनिस्टर गुजरान करना चाहते हैं, उनकी नजीर रखते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग अराष्ट्रीय हैं, दूसरों के पीछे चले जाते हैं, दूसरे देशों के पीछे चलने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की चीज भी अराष्ट्रीय हो सकती है कि देश के खर्चे के अन्दर कमी की जाकर पैसा बचाया जाय और उस पैसे को गरीबों के लिये लगाया जाय ? मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था चाहे हमें ४००० कोस से मिले, चाहे २००० कोस से मिले, किसी भी देश से मिले; तो हमें उस व्यवस्था को अपनाना चाहिये। दूसरे देशों की नजीर सामने रखते हैं तो उसको अराष्ट्रीय कह कर घृणा की नजर से देखते हैं और कहते हैं हम तो प्राचीनता को मानते हैं; तो आइये देखिये प्राचीन ग्रंथों में कितने आदर्श भरे हैं। गांधीजी की बात कही जाती है तो ठेकेदारी बताई जाती है कि हमारी ठेकेदारी है। महात्मा गांधी के कहे हुए बहुत से शब्द रख दूं, उनके महान् आदर्शों की बातें रखूं तो इसके लिये बहुत काफी समय चाहिये। अगर प्राचीनता को मानते हैं तो प्राचीनता की बातों को देखें, प्राचीनता की तरफ जाइये। उन आदर्शों को भी अपने जीवन में कार्य रूप में परिणत करिये। मनु ने और प्राचीन ऋषियों ने जो आदर्श बताया है उनकी एक एक बात को उदाहरण देकर रखूं,

"अयं निज परो वेति, गणना लघु चेतसाम्।
उदार चरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्।।"

महात्मा गांधी तो हमारे हैं, उनकी तो हमारी ठेकेदारी है, कम तनख्वाह लेकर गुजर करने वाले मिनिस्टरों की बात रखते हैं तो कहा जाता है कि वे तो अराष्ट्रीय हैं, हम तो प्राचीनता को मानते हैं। पुराने जमाने की बात करते हैं तो पुराने जमाने में भी एक तन्त्र की

Page No.78

(श्री मोहरसिंह)

व्यवस्था थी, उसमें भी चाणक्य और विक्रमादित्य के बारे में सब जानते हैं, वे कोई हज़ार, डेढ़ हजार की तनख्वाह नहीं लेते थे, कोई बड़े बंगलों में या मकानात में नहीं रहते थे, बल्कि झोपड़ियों मे रहते थे। पर चाणक्य ने जो आदर्श हमारे सामने रखा उसको हम नहीं मानते, विक्रमादित्य ने जो राज्य की व्यवस्था बताई उसको हम नहीं मानते, आज की नई दुनियां की रोशनी जो हमें व्यवस्था देती है उसे हम नहीं मानते क्योंकि वह अराष्ट्रीय है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर आप क्या मानते हैं ? उधर कहा जाता है समाजवाद हमारा है, हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और इधर एक तरफ कहा जाता है कि मिनिस्टरों को १०० रु. बिजली और पानी का देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे बजट में घाटा है इसलिए हम टैक्सेज़ लगायेंगे और गरीब मजदूरों पर टैक्स लगाया जाता है। अड़ियो-दड़ियो सब मब मजदूर के सिर पड़ियो।"

इन सारे शब्दों के साथ मैं बतला रहा हूँ कि इस मामले में इस वक्त जो हो रहा है वह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के मिनिस्टरों को देने का सवाल रखा गया है, यह नहीं रखना चाहिये। इन सारी बातों को विचार कर मैं कहता हूं कि यह किसी भी तरह से उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य द्वारा हमारे साढ़े बारह रुपया रोज और २०० रुपये माहवार का जिक्र किया गया। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टर लोग अपनी तनख्वाहों में कमी करते हैं तो हम लोग तैयार हैं, हम लोगों के तो सिर में धूल रहती है, पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस वर्ष से राजनैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, हम वह नजीर पेश करने को तैयार हैं, अगर मिनिस्टर साहबान कह दें कि हम तनख्वाह नहीं लेते तो हम भी यह नजीर पेश करने को तैयार हैं। आप लोगों को आदर्श जनता के सामने रखना चाहिए और इसी सदन से रखना चाहिये और यह जो ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के लेने की व्यवस्था रखी गई है, उसको त्याग कर आप एक आदर्श रखिये। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अभी जो प्रस्ताव श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा था उसका मैं समर्थन करता हूँ। उस दौरान में मन्त्री महोदय ने खड़े होकर बताया कि यदि वे कानून को पूरी तरह से पढ़ लेते तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं रहती लेकिन मैं उनसे कह देता हूँ कि यदि वे इस कानून को अच्छी तरह से पढ़ लेते तो इस बिल को ही रखने की आवश्यकता नहीं रहती। आज जो बातें कही जाती हैं इससे बिल्कुल विपरीत बातें रखी जा रही हैं। बिजली के ७५ रुपये तक का खर्चा सरकार देगी और इससे ज्यादा जो होगा वह मन्त्री देंगे। इस प्रोविज़ो के हटाने के बाद मन्त्री महोदय से और कानून विभाग से पूछना चाहता हूं कि वे किस कानून के माफिक इस राशि को कैसे वसूल करेंगे ? ५१ के एक्ट के माफिक क्लॉज है; उसमें यह बेदखल कर दिया जायगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया जायगा। एक प्रोविजो था कि ७५ रुपयों तक गवर्नमेंट बियर करेगी और जो ऊपर खर्चा होगा उसकी पर्सनल लाएबिलिटीज़ होंगी। इस प्रोविजो को हटाने

(श्री तनसिंह)

से सर्वथा मुक्त हैं। मकान दिया जा रहा है, नया क्लॉज़ एड किया जाने वाला है, जिसके हवाले में और वरदान दिया जा रहा है, ७५ और ज़्यादा मिलेंगे। डील करने का प्रोविज़ो हटा दिया और इस प्रोविजन को हटाने के कारण अब सरकार इस प्रकार उस मन्त्री से वापिस नहीं ले सकती चाहे वह बिजली पर खर्च हुआ हो, चाहे पानी पर। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझ सकता कि १९५१ के कानून में आज संशोधन करने की क्या आवश्यकता पैदा हुई और वह भी इतनी जल्दी में और क्लोजर मोशन को लाकर जो चीज आप करा रहे हैं उसको अगर आप खुद देखने का कष्ट करेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि जिस प्रोविजन को हटाया जा रहा है और उसके हटाने से जो वास्तव में आपकी मंशा है वह हल नहीं होती है।

इसके अलावा इसकी मंशा दूसरी है जो इस कानून के द्वारा दिखाई दे रही है। इससे यह होता है कि जो कुछ भी मिनिस्टरों को देना पड़ता था वह भी छूट होगी। इसके अलावा उनसे लेने की कोई बात नहीं, उल्टा उनको देने की बात पैदा होगी। जब सदन में इन बातों को कहा जाता है कि मिनिस्टरों के लिए यह एसेट हो गया बजाय लाएबिलिटीज़ के और यह महात्मा गांधी की मन्शा नहीं थी; जब महात्मा गाधी का नाम लेते हैं तो माननीय मन्त्री जी भुलावा देना चाहते हैं और कहते हैं कि फिजूल महात्मा गांधी को बीच में लाया जाता है और समाजवाद की बातें कही जाती हैं, यह किसी मतलब की नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे लोगों को कांटों में उलझाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। उन मिनिस्टरों को ७५) इस बात के लिए दिये जाते हैं कि अपने मकान में बिजली खर्च करते हैं और जो सरकारी मकान में रहते हैं उसमें जो क्लॉज़ एड करना है, इसका मतलब यह है कि अब सरकार मकान को लेने के कारण पहले उनकी लाएबिलीटी बिजली और पानी को देने की थी वह भी अब नहीं रहे। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार मकान को काम में लाने में १००) या ७५) रु० उन पर और खर्च करना चाहती है और निश्चित रूप से ये १००) या ७५) रु० सरकार पर निश्चित रूप से मढ़े हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पैदा होता है वह यह कि आगे वसूल नहीं कर सकते। आगे उनको ७५) रु० उल्टे दिये जावें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन का प्रस्ताव माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बिलकुल वाजिब है और उचित है और इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। अगर माननीय मन्त्री महोदय दिमाग लगा कर इसको देखेंगे और इसको ठीक तरह से दुरुस्त करके ठीक तरह से पास करेंगे तो उचित होगा, ऐसी मेरी धारणा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष (सभापति) महोदय, आज जो सबसे बड़ी बात हम यहां पर देखते हैं वह यह है कि हर एक व्यक्ति वा माननीय सदस्य गरीबों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करके कोई भी बात हमारे सामने रखते हैं। प्रश्न यह है कि गरीबों की तरफ ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन क्या हम यह चाहते हैं कि हम इतने गरीब मिनिस्टर पैदा कर दें; गरीब विचारों, गरीब भावनाओं से और गरीब मनोवृत्ति से। हम छोटी छोटी बातें सोचते हैं, मैं यह कहूंगा

(श्री मूलचन्द डागा)

कि आज मिनिस्टर से ज्यादा तनख्वाह एक पुलिस सुप्रिन्टेण्डेण्टको दी जाती है, एक चीफ जज की तनख्वाह मिनिस्टर से तिगुनी है, एक सेशन जज की तनख्वाह और सेक्रेट्रीज़ की तनख्वाह उनसे ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट और चीफ जज की योग्यता होती है। उनके मुकाबले की योग्यता उनमें नहीं होती। यदि उसी प्रकार की योग्यता रखते तो हम भी विचार करते।

श्री डागा : यदि आप इस प्रकार चाहते हैं कि आपके मिनिस्टर बहुत कम वेतन लें और गरीब.......

श्री भैरोंसिंह : योग्यता उनमें नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : योग्यता का ठेका आपने ही लिया है?

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि ठेकेदारी की बात को समाप्त किया जाए और कार्यवाही जारी रखी जाये।

श्री डागा : जिन मिनिस्टरों को १॥ करोड़ की जनता के लिए काम करना है उनको काफी वेतन मिलना चाहिये। मैं केवल काबिल मिनिस्टरों के लिए ही यहां बात कह रहा हूं, जो योग्य और ईमानदार हों। यदि इस दृष्टि से देखा जावे तो इस प्रकार की बातें करना और गांधीवाद की दुहाई देना, मेरी समझ में अच्छा नहीं लगता। यदि आप किसी मिनिस्टर को काबिल बनाना चाहते हो, यदि आप यह चाहते हैं कि वे अपने घर के कामों से बेफिक्र हो जायें और चिन्ताओं से मुक्त हो जाएं, १८ घण्टे काम करें और एसेम्बली के भवन में आकर ठीक तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर दें और राजस्थान की समस्याओं को अच्छी तरह से हल करें तो आपको उन्हें वेतन ज्यादा देना चाहिये। मगर आप उनको यह कहते हैं कि आपको ये १०००)क्यों मिलते हैं? मैंने सारी जोड़ तोड़ की तो मुझे मालूम हुआ कि १६००) माहवार खर्चा पड़ता है। एक डिप्टी सुप्रिन्टेण्डेण्ट की तनख्वाह के समान उनकी तनख्वाह है। मैं यह कहूँगा कि उनको एक पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट और आई० जी० पी० से कम तनख्वाह मिलती है। आई० जी० पी० की तनख्वाह आज आपके मिनिस्टर की तनख्वाह से ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि आप इस सम्बन्ध में चाहते क्या हैं? मिनिस्टरों से आपका मतलब क्या है? आप दो सौ रुपये लेते हैं। जिस क्षेत्र से आप आये हैं आप अपने दो सौ रुपये छोड़ दीजिये। आपका क्या होगा? आप एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिससे आकाश साया हो और बिछौना जमीन हो और इस तरह से आप एक बिल्कुल नया समाज का रूप पैदा करें। मगर मैं कहूंगा कि जो आदमी आखिर किसी प्रकार का विकास चाहता है, अपने आपको मजबूत बनाना चाहता है तो उसको कुछ न कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। यदि वह अपने दिमाग में नई किताबों को रखना चाहता है तो उसको नये खर्च करने होंगे। आप यह चाहते हैं कि आपके यहां के मिनिस्टर लोग साइकिलें लेकर बाजार में साग लेने के लिए आवें; आप चाहते हैं कि वे अपने घर की चिन्ताओं से घिरे रहें तो फिर वे देश के हित का क्या काम कर सकते हैं? मैंने चीफ जज की तनख्वाह देखी है और उनको काम करते देखा है। सेशन जज के पास कितना काम होता है, यह भी देखा है। एक सेक्रेट्रीके पास कितना

(श्री मूलचन्द डागा)

काम होता है और उनकी क्या तनख्वाह है ? मगर जो व्यक्ति आपके साथ बैठता और उठता है, जो हमारे साथ मिलता–जुलता रहता है उसकी तनख्वाह इतनी क्यों हो ! तनख्वाह का माप-दंड हम इसलिये कम करना चाहते हैं कि वे हमेशा हमसे मिलते-जुलते रहते हैं। इससे हमको उनको तनख्वाह का माप दंड नहीं नापना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई जिम्मेदार पोस्ट है तो मिनिस्टर की है और अगर वह मिनिस्टर इमानदारी से काम करे तो उसको बहुत काम करना पड़ता है। मैंने अभी तक मिनिस्टरों को मेगजीन अपने साथ लाते और ले जाते नहीं देखा है। मेरा उनसे कोई काम नहीं पड़ा है। मगर मैं यह कह सकता हूं कि पंडित नेहरू सुबह ८ बजे ऑफिस में चले आते हैं और १८ घन्टे बराबर काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति १८ घन्टे काम करता है उसके लिये किसी प्रकार की घरेलू चिन्ता नहीं रहनी चाहिये, उसको दूसरी सब चिन्ताओं से मुक्त रखना चाहिये। मगर यहां पर आप कहते हैं कि मिनिस्टरों की तनख्वाह कम होनी चाहिये, उनको गर्मी में बैठना चाहिये, उनको लाइट और पानी नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ तो आप यह कहते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि ईमानदार और काबिल मिनिस्टर हों जो देश के हित के लिये काम करें; उनकी तनख्वाह भी कम हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? आज ७५) रु० और ३५) रु० का सवाल पैदा होता है, आप दो सौ रुपये लेते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है ! आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति १० या १२ रुपयों में भी अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है, वह व्यक्ति अपनी चटनी-रोटी खाकर गुजारा कर सकता है मगर जो व्यक्ति आगे उन्नति करना चाहता है उसके लिए यह बहुत कम है। एक घोड़ा है। आप उस घोड़े को बिल्कुल सूखा घास दिये जाने के लिये हुक्म दे दें और उसी घोड़े को जंगे मैदान में ले जाइए तो वह क्या काम दे सकता है ? आप जिस घोड़े को जंगे मैदान में भेजना चाहते हैं आपको चाहिये कि उसको पूरी तरह से खुराक दें ताकि वह वहां पर आपकी मदद कर सके। यदि दुबला-पतला और कमजोर घोड़ा होगा तो वह क्या करेगा ?

आप एक व्यक्ति की ही बात को लेकर चलें, महात्मा गांधीजी की बात को ही लेकर क्यों चलते हैं ? जिन्दगी में एक बात ठीक लगती है वह यह कि बिल्कुल साधारण सा जीवन व्यतीत करना। मगर यह तो मिनिस्टरों की पोस्ट वाले व्यक्ति के लिये उचित नहीं। यह तो साधु सन्यासी लोगों के लिए उचित हो सकती है। आप २००) रु० से खुश हो सकते हैं मगर मैं कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार एम० एल० ए० जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है और अपने क्षेत्र में बराबर काम करता है तो उसके लिए मैं यह कहूंगा कि यह २००) कुछ नहीं हैं।

आप चाहते हैं, होस्टलों में रहना, ऐसे मकानों में रहना जिनमें कोई हवा न हो। उसमें आप रहना चाहते हैं, उसमें आप अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं, और मैंने देखा है कि कई एम० एल० एज० बीमार पड़ते हैं। लेकिन आपका एक ही सवाल है। दुनिया खुश होगी, अखबार वाले बड़े बड़े हेडिंग्ज में छापेंगे कि मिनिस्टरों की तनख्वाह कम हो। हम ऐसे आदमी पैदा करना चाहते हैं कि जो दुनिया के सामने मिसाल कायम करें, जो जीवन में कुछ ऊंचा काम कर सकें और ऐसे आदमियों के लिए हम

(श्री मूलचन्द डागा)

सत्तर, पचहत्तर रुपये आदि के लिए आलोचना करें, और टीका-टिप्पणी करें यह ठीक नहीं है। मैं तो बताता हूं कि अगर किसी आदमी को विकास करने का मौका दिया जाय और अच्छा काम करने का मौका दिया जाय तो उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि उसके पास पूरे साधन हों।

महात्मा गांधी के जीवन की बात आप करते हैं। मैं स्वयं सात दिन के करीब महात्मा जी के साथ रहा हूं। उस समय मुझे उनके भी खर्चे का अन्दाजा हुआ। मैं जानता हूं कि उनके लिए कितने कितने इन्तजाम किये जाते थे। उनके लिये कई गाड़ियों का इन्तजाम होता था, तीन तीन गाड़ियां चलती थीं। गांधी जी के लिए जिन चीजों का प्रबन्ध किया जाता था वहां पहले उनके सेक्रेट्रीज जाते थे। आखिर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि राजस्थान का मिनिस्टर ऐसा बन जाय कि मोटा धोता पहने और सागड़ा खाया करे। यह कैसे हो सकता है? उसको अपना घर संभालना होगा, अपना जीवन संभालना होगा और उसके लिये उनकी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें इन छोटी छोटी बातों पर आलोचना नहीं करनी होगी। हम किसी मनिस्टर के जीवन का मतलब यह समझते हैं कि वह लुटेरा है, नाकाबिल है, बैठा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि १।। करोड़ जनता का काम काबलियत से वे करें तो उसके लिये हमें ऐसा मिनिस्टर चाहिए जिसके लिये मेरे ख्याल से जो तनख्वाह उनको मिल रही है वह भी न्यून है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): यह जो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कोई महात्मा गांधी या समाजवाद की बात को कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं एक बात याद करता हूँ और शायद महात्मा गांधी ने यह भी कहा है कि अगर हम आज आवश्यकता से ज्यादा जो चीज रखते हैं तो वह चोरी है। अब जब यह बात सही है और शायद महात्मा जी के विचारकों ने भी इसे बार बार पढ़ा होगा तो इस बात के आधार पर ......

(श्री मोतीलाल चौधरी द्वारा श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, के निकट आकर बैठने पर)

श्री तनसिंह : ये नये मन्त्री कौन से आ गये हैं? ये कौन हैं, हम पहचानते नहीं है?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं एक सदस्य हूं और बात करने आया हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप हाउस के अन्दर बात नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीमानसिंह : आप हाउस के अन्दर बात नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीमानसिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि हाउस के मन्त्रीजी से क्या बात करने आये है?

श्री सभापति : Order! Order please !! No explanation is necessary.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति जी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर वह चोरी है तो वाकई में चोरी को करने के

Page No.83

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिए तैयार हैं क्या ? और यदि चोरी करने के लिये तैयार है और यह मानें की यह चोरी है तो सही माने में देखा जाय तो मंत्रियों का जितना भी वेतन है और जो कुछ भी पैसा बचाते हैं और जो कुछ वह ज्यादा लेते हैं और वह कम नहीं है, इसमें से बचाते हैं और उसके साथ ही साथ संग्रह करते हैं यह बुनियादी विचार-धाराओं के ऊपर यह बिल्कुल गलत है।

(श्री मोतीलाल चौधरी के अपने स्थान पर चले जाने पर विरोधी दल के सदस्यों द्वारा करतल-ध्वनि)

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बात कही और मैं भी मानता हूं कि वाकई वह महत्व की बात है और वह बात यह कही कि मंत्रियों को काबिल बनाने के लिए पानी और बिजली बहुत आवश्यक है और कहा गया कि अगर ये २५ रुपये पानी के और ७५ रुपये बिजली के नहीं दिये जायेंगे तो वे नाकाबिल हो जायेंगे और अगर काबिल नहीं रहे तो इतने बड़े राजस्थान का काम कैसे चलेगा ? इसलिए उनको काबिल बनने के लिए पानी और बिजली चाहिये............

श्री भैरोंसिंह : बिजली से दिमाग को सही किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया और बात ठीक है। परन्तु यह बात कह कर कि अगर उनको यह पैसा पानी और बिजली का नहीं मिला तो वे काबिल नहीं रह पायेंगे। मैं कहता हूं कि यह पैसा इनको दे भी दिया और पास हो भी गया तो ठीक है और अगर कहीं नामंजूर हो गया तो वाकई में इस हिसाब से तो मुश्किल ही हो जायगी और अगर सचमुच नाकाबिल हो गए तो इससे सारी १॥ करोड़ जनता का नुकसान हो सकता है, राष्ट्र का नुकसान हो जायगा और यह सब होगा इनको यह पैसा नामंजूर करने पर। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर २५ रुपये का पानी और ७५ रुपये की बिजली न मिलने पर मंत्री तो नाकाबिल हो सकते है और दूसरी ओर १॥ करोड़ जनता, जिसकी रक्षा के लिए उनको काबिल रखना बहुत आवश्यक है, अगर उसको रोटी नहीं मिलती है, पूरा खाने को भी नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है, रहने को नहीं मिलता है, कभी इनकी दशा का भी किसी ने कुछ ख्याल किया है, कभी किसी ने सोचा है ? मंत्री लोगों की काबलियत रखने के लिये तो उन्होंने स्वयं ने इस सदन के सामने इस प्रकार का बिलला उपस्थित कर दिया है। और अगर उनको इस प्रकार से पैसा नहीं मिलता है तो वह काबिल नहीं रह पाते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो १॥ करोड़ जनता का भाग्य फूट जायगा ! मैं यह पूछना चाहता हूं और साथ ही साथ यह कहना भी चाहता हूँ कि नहीं, इन बातों से काबलियत नहीं तोली जाती है। आज विनोबा जी जो गांव गांव घूमते हैं, जिनका सौ रुपया मासिक का खर्चा है और जिनके पेट में अलसर की बीमारी है, तो इतना कम खर्च करने पर भी क्या आज वे अपनी योग्यता में आप लोगों से कम हैं ? क्या आपकी तुलना में विनोबा जी कम हो सकते हैं। आगे इसी प्रकार से महात्मा गांधी की बात भी कही गई कि महात्मा गांधी का खर्चा

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत ज्यादा था। हो सकता है कि हमारे सम्माननीय सदस्य उनके साथ कुछ समय रहे हों लेकिन मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी गांधीजी के साथ सात साल तक रहा हूँ, मैंने भी महात्मा गांधीजी के जीवन को नजदीक से देखा है। मुझे मालूम है वहां, आश्रम में महात्मा गांधी किस प्रकार का खाते थे, किस प्रकार से चलते थे, किस प्रकार से गाड़ी के तीसरे दर्जे में हमेशा प्रवेश करते थे। यहां महात्मा गांधीजी के इतने ऊंचे आदर्शों को सिर्फ पच्चीस और तीस रुपये लेने के लिए इस प्रकार से कह दिया जाय कि उनका खर्चा भी बहुत ज्यादा था, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ पैसा लेने के लिए हम भी अपनी विचारधाराओं को इतने नीचे डाल देते हैं, इतने ऊंचे से ऊंचे आदमी पर छींटा कशी करने लग जाते हैं! ("शेम शेम" की आवाज विरोधी पक्ष की ओर से) यह सचमुच ही एक शर्म की बात है। आज पैसे का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज हम जिस बात को करने जा रहे हैं वह हमको शोभा नहीं देती। मैं आपको बताऊं कि मैं स्वयं स्वीडन में ५ महीने रहा हूं; वहां का प्राइम मिनिस्टर क्या तनख्वाह लेता है? वहां के प्राइम मिनिस्टर को ६०० क्राउन मिलते हैं। एक क्राउन १४ आने के बराबर होता है। उनको ६०० क्राउन मिलते हैं! वह समाजवादी देश है। वहां पर भंगिन जो काम करती है उसको ४०० क्राउन माहवार मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर और भंगिन के वेतन में इतना ही फर्क है। सच्चे रूप में समाजवाद वहां पर है। आप आंकड़े की बातें करते हैं, मैं आपको स्वीडन के आंकड़े देता हूँ। आप वहां जाकर पता लगा लीजिये, वहां पर एक भंगिन की तनख्वाह १२॥ क्राउन है मिनिस्टर और भगिन के वेतन में १२ और २० का अन्तर रखा गया है। एक मंत्री बीस क्राउन से ज्यादा ले नहीं सकता और कोई दूसरा आदमी भी नहीं ले सकता और दूसरे आदमी साढ़े बारह क्राउन से कम नहीं लेते। समाजवाद की बातें वहां पर हैं। आप बातें समाजवाद की कहते हैं, लेकिन समाजवाद को आपने अपनाया नहीं। आप कहते हैं कि समाजवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जायगा....

श्री मूलचन्द डागा: स्वीडन में तो फ्री लोजिंग और फूडिंग है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समाजवाद की चर्चा आप कर रहे हैं क्या वह आसमान से आने वाला समाजवाद है? बीस-पच्चीस रुपया लेने के लिये गांधी जी के विचारों को, समाजवादी विचारों को तिलान्जली देने के लिये तैयार हो जाते हैं! इतना ही नहीं पांच साल के अन्दर जो भी रुपया पानी बिजली के लिये खर्च किया गया उस पर भी आप सदन की मोहर लगवाना चाहते हैं। मंत्रीगण यह चाहते हैं कि पहले पांच सालों का जो रुपया इस तरह से मिल जाय वह भी वसूल कर लिया जाय। उनको यह तो सोचना चाहिये, इतना अगर वे नहीं लेते हैं तो क्या उनका काम अटक जायगा? पहले ही बहुत संग्रह कर लिया, आपकी आवश्यकतायें ज्यादा नहीं, फिर आप इन बीस पच्चीस रुपये के लिये इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं? जब इधर से लोग इतना कहते हैं तो आपको उसे मान्य कर लेना चाहिये, सही बात हो उसे मान्य कर लेना चाहिये। सही बात को गलत साबित करने के लिये उदाहरण दिये जाते हैं, गांधी जी का नाम लिया जाता है, गांधीवाद और समाजवाद की दुहाई दी जाती है। कम से कम आपको सदन में तो ऐसे तथ्यों का समर्थन

Page No.85

(श्री मुरलीधर व्यास)

करने के लिये इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। जो बातें समाजवाद के विरुद्ध हैं उनके समर्थन के लिये कम से कम आप ऐसा तो न करें।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो बातें आपके सामने रखी गईं उनके लिये मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग यह समझते हैं कि प्रतिशोध की भावना से या आपस में बहस की भावना से हम इन बातों को रख रहे हैं। मैं आपसे यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल सद्भावना के आदर्श को सामने रख कर ही ये सब बातें कह रहे हैं। आप चाहें तो उसे मानें या न मानें, यह तो आपके व्यक्तिगत मानने का सवाल है। कौन त्याग कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, यह तो जब ऐसा सवाल सामने हो उस समय कहा जा सकता है, यह तो व्यक्तिगत सवाल है। यद्यपि सदन के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं, उसके लिये कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, त्याग की भावना दूसरों के अन्दर भी हो इसके लिये बेक ग्राउन्ड की आवश्यकता है। वह इस प्रकार बनना चाहिये जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मंत्रियों के दिमाग को ठीक रखने के लिये इतना धन तो आवश्यक है। लेकिन इसका दूसरा रूप भी आप सामने रखिये। यहां विधान सभा में आये हुए १७६ सदस्य हैं, उनमें से जो गवर्नमेंट होस्टल में रहते हैं उनकी क्या हालत है उस ओर भी आपने कभी ध्यान दिया है? क्या उनके दिमाग को ठीक रखने के लिये भी आपने कभी सोचा है?. वहां किस प्रकार का खाना दिया जाता है, वहां के खाने की क्या हालत है, इस बात के ऊपर अगर कोई सोचता तो उनको पता होता कि किस प्रकार की परिस्थिति में ये विधान सभा के सदस्य वहां रहते हैं? ये सदस्य जो यहां आकर वाद-विवाद में भाग लेते हैं, कानून बनाते हैं और इस प्रकार के कानून बनाते हैं कि मिलावट किसी चीज में हो तो पकड़ा जाय किन्तु जिस होस्टल में ये रहते हैं वहां कितनी मिलावट है? शुद्ध देशी घी के नाम से डालडा खिलाया जाता है, इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, डालडा लोगों को दिया जाता है। क्या इस तरह का खाना खिलाकर आप इन लोगों का दिमाग ठीक रख सकते हैं? मेरे एक कांग्रेसी सदस्य वहां रहते हैं। जो पांच दिन से बीमार हैं। उनके लिये खिचड़ी तक बनाने के लिये कहा जाता है लेकिन वह नहीं बन पाती; आपने कभी उनके दिमाग की कल्पना की है। आपको इस बात में दिमाग का सवाल न रखकर सब से बड़ा सवाल जो इसमें निहित है वह है आदर्श का। आदर्श पचास या पचहत्तर रुपये में कम और ज्यादा नहीं होता। सवाल इस बात का है कि क्या हमने आम लोगों की सामान्य परिस्थिति का ध्यान रखा है? मैं नहीं समझ पाया उन माननीय मित्र की बात जिन्होंने यह कहा कि किसी मंत्री के दिमाग के खराब हो जाने से डेढ़ करोड़ जनता का नुकसान हो जायगा। ज्यादा अच्छा यह होता कि डेढ़ करोड़ जनता को आप बलिदान और त्याग करने की ओर प्रेरित करते। इससे राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता पर अच्छा असर होता। सही तरीका गांधीजी का और समाजवाद का यह है कि जो त्याग के लिये प्रस्ताव रखा गया है उसको आप मन्जूर करें। मैंने गान्धी जी की बात कही थी; त्याग के लिये कही थी। गांधीजी लंगोटी लगाते थे, मैं यह नहीं चाहता कि आप

Page No.86

(श्री मुरलीधर व्यास)

सब लंगोटी लगा कर आयें। अगर श्री सुखाड़ियाजी लंगोटी लगाकर आ सकते हैं तो मैं इसको ऊंचा आदर्श मान सकता हूं, लेकिन इस प्रकार के आदर्श को इस जमाने में कार्य रूप देना कठिन है। फिर भी कम से कम त्याग करना, सादगी से जीवनयापन करना, मेरे सम्माननीय सदस्य त्याग और सेवा की भावना को ध्यान में रखकर, मैंने जो बातें कही थीं वे उसको उसी रूप में लेंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप में त्याग और सेवा का माद्दा नहीं है। हो सकता है कम हो, लेकिन जब किसी सवाल को सब आदमी करते हैं तो उसको यह मान कर लेना चाहिये कि यह सद्भावना के रूप में रखा गया है। मैंने भी यह सवाल सद्भावना के रूप में रखा था, जिसको कई माननीय सदस्यों ने दुर्भावना के रूप में लिया। यह उनका दृष्टिकोण था। आशा है, आप मेरे इस सुझाव को सद्भावना के रूप में ही लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय,....

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : (श्री मिर्धा से) और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, इस छोटे से संशोधन पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, इस पर भी अभी और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ? पांच छः माननीय सदस्य तो बोल चुके हैं। इस बिल के लिए अध्यक्ष महोदय ने एक घण्टे का समय निर्धारित किया था। अगर हर आदमी एक एक घन्टा और पौन पौन घंटा बोलने का लेने लगेगा तो यह समाप्त होने वाला नहीं। यदि बहस होती है तो उस पर कुछ नियन्त्रण किया जाय तो उचित रहेगा।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बोलने पर ही नियंत्रण क्यों किया जाता है ? इस प्रकार के बिल ही न लाये जायं, इस पर ही नियत्रण क्यों नहीं कर दिया जाता है ?

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार की आपत्ति उठायी थी कि हम मिनिस्टर्स को गरीब बना देना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि मन्त्री महोदयों का विकास हो तो उनके लिये अच्छी सुविधायें प्रदान करें। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं, जहां भावों की उच्चता और विचारों की श्रेष्ठता का प्रश्न है इसका संबंध भावना से होता है, गरीबी से नहीं। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि मनुष्य सादा जीवन और उच्च विचार रखे। जहां सादा जीवन होगा वहां उच्च विचार होंगे, यह स्वाभाविक है। यदि हम ऐशो आराम में लग गये, उनके उपभोग के लिए अच्छे साधन जुटा दिये तो यह निश्चित मान्यता है कि उनके विचारों में उच्चता नहीं रह सकती। आज जो हम यह चाहते हैं उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे मन्त्रीगण सच्चा और सादगी पूर्ण जीवन बितायें। अगर हम इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने या तो इसको पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा भी तो समझने की चेष्टा नहीं की। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में

Page No.87

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिखा है, "During the last five or six years, Ministers have been actually drawing the benefit of the aforesaid concessions in view of the intention of the Government as specified above and it would be unjust and improper to deprive them of the same. Apart from this in view of the aforesaid interpretation, some of them may be liable to refund whatever they have received on that account."

प्रश्न यह है कि जिन लोगों को रुपया दिया जा चुका है अब उनसे लिया जाय या नहीं ? इस बात को अलग से न रख कर जो मूल बिल की पांचवीं धारा है उसको बिल्कुल ओमिट करना चाहते हैं और इस प्रकार रखना चाहते हैं, चाहे वे मन्त्रीगण अपने बंगले पर रहते हों या नहीं; उनको २५०रुपया माहवार दिया जाना चाहिये; इसके अलावा बिजली और पानी का प्रयोग करते हैं ७५ और २५ रु० दिया जाना चाहिये। यह एक विचारणीय प्रश्न है। जहां तक त्याग और आदर्श की बात है, आपने गांधीजी के त्याग और आदर्श को तो छोड़ दिया है, उसकी बात आपको कहना उचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक निज का प्रश्न है एक ओर हम देखते हैं हमारी जनता की हालत बहुत गिरी हुई है, भर पेट भोजन नहीं मिलता, आवास की व्यवस्था नहीं। जयपुर स्टेशन से आप चलेंगे तो आपको भिखमंगों की भीड़ नजर आयेगी। आप घूमने निकल जाइये, आपको पटरी पर सोने वाले लोग नजर आयेंगे। आज उनकी कैसी दयनीय अवस्था है, क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा है। दूसरी ओर आप के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उनका उपभोग करते हैं और जिनके पास बंगले नहीं और जो निज के मकान में रहते हैं उनको २५० रुपया महीना दिया जाय, यह कहां तक न्याय संगत बात है ? अगर माननीय मन्त्री महोदय चाहते हैं कि मैं सरकारी बंगले में न रहूँ और अपने बंगले पर रहूँ, यह तो उनके लिए आदर्श की बात हो सकती है। लेकिन जब वे अपने बंगले में रहते हैं तो फिर उनको उसका २५०) रुपया माहवार किस बात का दिया जाय ! यह कोई न्याय संगत बात नहीं। इसके अलावा एक और बात है पानी और बिजली की। एक मेरे माननीय मित्र ने बताया था, एक उप मन्त्री हैं गवर्नमेंट होस्टल के कमरे में रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बार मैं उपमन्त्री महोदय से मिलने गया था तो उन्होंने बताया कि उन्हें इतना बड़ा बंगला दे दिया गया है कि जिसमें उनको अकेलापन महसूस होता है और मैंने यह भी कहा कि दूसरे उपमन्त्री को इतने छोटे बंगले में रखा गया है कि वे उसे छोटा महसूस करते हैं। तो एक ओर एक मन्त्री यह कहें कि उनके लिये बंगला बड़ा है और दूसरे कहें कि छोटा है, तो इस प्रकार का वितरण आज हो रहा है ! एक को जरूरी नहीं है उसको इतना बड़ा दे दिया गया और दूसरे को छोटा दिया जावे। तो यह भी रख दिया आदर्श के नाम पर। आज वे कहते हैं उनके त्याग की प्रशंसा की जावे। आज उनमें से एक गवर्नमेंट होस्टल में रहते है, पर उनको भी दिया जावे २५०), यह कहां की उचित बात है? ये १७६ माननीय सदस्य भी गवर्नमेन्ट होस्टल में रहते हैं। उनको भी वही सुविधायें हैं। पर ये चूंकि मन्त्री बन गये हैं, इसलिये इनको २५०) दे दिया जावे। यह कहां तक विचारणीय बात है ? तो जहां वे एक ओर त्याग की बात करते हैं तो उनके त्याग को त्याग रहने देना

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चाहिये, उसके साथ यह २५०) रु० की गिरावट की बात जोड़ना उचित नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है ।

यह कहा गया कि बिजली पर खर्च का प्रतिबन्ध पहले से था । जब यह प्रतिबन्ध था तो फिर दुबारा लेने की क्या आवश्यकता है ? मैं तो कहता हूं, यह अनुचित है । तो इस वृद्धि को रोकने के लिये जो संशोधन श्री भैरोंसिंह जी ने रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूँ । पहले की धारा ५ काफी पर्याप्त है और जब यह प्रावधान पहले से इसमें है कि उन्हें बिजली-पानी का खर्चा मिल सकता है तो फिर इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी ? इसमें ऑडिट विभाग ने भूल निकाली होगी । अब पुराने पेमेन्ट को अगर लेने का प्रश्न हैं तो हम सोचते । पर यहां बात वह नहीं है । हमारे मित्र तो यह चाहते हैं कि उतना पैसा उनके यहां बिजली-पानी का खर्च हो या न हो, पर उनको तो इसके नाम से सौ रुपया लगातार दिया जावे । यह कहां का न्याय है ? अगर आपको रुपया ही लेना है तो अपनी तनख्वाह में बढ़वा लें, इससे कौन अपको रोकता है ?

आज यह भी कहा जावेगा कि हम सब उनका विरोध करने को तुले हुए हैं । क्यों न तुलें ? आज जब गांधीजी का नाम लिया जाता है तो उनके त्याग और सादगी का हमें नमूना बताना चाहिये । पर जब हम उनके त्याग और सादगी का अनुकरण करने के लिये कहते हैं तो वे उत्तर देते हैं कि उनकी हर बात को मानने की आवश्यकता नहीं । आज स्वयं उन लोगों ने समाजवाद का नारा लागाया है । तो क्या यह उस नारे की भावना से भी मेल खाता है ? एक तरफ वे लोग हैं जिन लोगों की जेब में पैसा नहीं है, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, शरीर ढकने के लिये पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता, चिकित्सा के लिए जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं, अर्थाभाव से अपने दो बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध नहीं कर सकते । जब उन लोगों की इस दशा की तरफ हम ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि उनके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये तो उत्तर दिया जाता है कि उनका बजट डेफिसिट है और दूसरी ओर जिनको हजारों की तनख्वाह मिलती है, और सारे साधन उपलब्ध हैं उनको भी बिजली पानी के लिये अनाप-शनाप पैसा लगातार दिलाये जाने की बात करते हैं । यह बात करते समय आपको डेफिसिट याद नहीं आता ? इसके लिये बजट डेफिसिट नहीं रहता । यह है हमारे समाजवादी नारा लगाने का नमूना । कहते हैं, महमान उनके बहुत आते हैं ? तो यह कोई दलील नहीं है । आपके पास जितने साधन हों उतने ही आप महमान की खातिरी करो, आपकी जितनी समर्थ्य है उतना ही करो । अपनी चादर जितनी लम्बी है उतने ही पैर फैलाओ । पर केवल कुछ लोगों पर ओब्लीगेशन रक्खें, उनको अपना नमक खिलायें तो यह कहां तक न्याय संगत हो सकता है ? तो २५-२५, ५०-५० आदमी एक टाइम भोजन करते हैं, यह कहना ठीक नहीं ।

प्रश्न आता है, चींटों की तरह से चिपटने का । पर मैं तो कहूंगा कि वे स्वयं सौ रुपयों की भेली बन गए हैं गुड़ की, जिस पर चींटों की तरह चिपटे रहना चाहते हैं । अगर यह बात नहीं होती तो इस एक सौ रुपये की छोटी सी रकम के लिए वे सदन के सामने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हाथ न फैलाते; वे कहते, यह बोझा हम उठा लेंगे। पर वे इस बोझे को भी उठाने में डरते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। एक ओर यह स्थिति है और दूसरी ओर सामान्य परिस्थिति वाले एक व्यक्ति से लेकर साधारण परिस्थिति वाले गरीब से गरीब लोगों पर आज विकास के नाम पर, उसकी आड़ में भारी से भारी टैक्स का बोझा लादने पर तुले हुए हैं। इनको उन पर कुछ रहम नही आता। उन पर दया करने का प्रश्न नहीं, ये तो अपने लिये दया की भिक्षा, अपने लिये एक सौ रुपये की स्वीकृति की भिक्षा इस सदन से मांग रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

मैं अपने उन साथी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि वे क्यों इसे नाजायज समझते हुए भी इन मन्त्रियों को दिलाने पर तुले हुए हैं? वे क्यों इस नाजायज चीज का समर्थन करते हैं? हो सकता है, स्वार्थ उनका इसके पीछे हो। लेकिन यह एक शर्म की बात है, दुख की बात है। राजस्थान का जब तक एक एक आदमी भी भूखा है, उसका तन ढकने का प्रबन्ध नहीं है, तब तक हमारा कर्त्तव्य है कि हम भी त्यागवृत्ति के साथ रहें, सादगी से रहें। यह हमारे लिये शर्म की बात होगी कि हम ऐशो आराम के साधनों के साथ रहें, बड़े बड़े बंगलों में रहें, बिजली के पंखों और खश के पर्दों में रहें, यह हमारे लिये एक बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उसकी आज की दयनीय अवस्था को उठाना चाहते हैं, रामराज्य ला देना चाहते हैं इस प्रकार के सपने देखने वाले हम लोग जब इस बात पर विचार करते हैं कि जनता पर तो बेरहम बन कर टैक्स लगाते जावें और अपने ऐशो आराम के साधनों के लिए यहां भीख मांगते रहें, तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है।

मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और मन्त्रियों से अपील करता हूं, साथी सदस्यों से अपील करता हूं, सदन से अपील करता हूँ कि वे सभी इसका समर्थन करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि एवं यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ २ के सिलसिले में रक्खा है उसे मैं मानने में कतई असमर्थ हूँ। उन्होंने, जो बहस जनरल डिबेट के सिलसिले में हुई थी उसका हवाला देते हुए कुछ चर्चा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक चर्चा को न बढ़ा कर मैं यही कहना उपयुक्त समझता हू कि मिनिस्टर एक राजनैतिक फिगर है और वह इस सदन के क्रिटिसिज़्म का विषय भी हमेशा बना है और आगे भी बन सकता है। मिनिस्टर का क्रिटिसिज़्म करने का जनता के हर आदमी को अख्त्यार है और अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं, कहने का उनका अधिकार है। पर एक बात मैंने अपील के तौर पर अपने भाषण में कही थी कि वे जो भी चीज रक्खें सदन के सामने, वह संयम से और जिम्मेदारी से रक्खें, सही दृष्टिकोण को देखते हुए रक्खें तो उचित होगा। फिर भी अगर कुछ कहें तो उनकी मरजी है। यह होता है कि जो जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देखता है तो उसे उस दृष्टिकोण से देखने का हक है और जो स्वयं जैसे होते हैं उसी दृष्टिकोण से अगले को देखा करते हैं और उसी दृष्टिकोण से आंका करते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं। तो जैसा उनका अपना दृष्टिकोण है और जिस नाप के वे स्वयं हैं उसी दृष्टिकोण से अपने राज्य के मन्त्रियों को वे देखते हैं और नापते हैं। इसी नाप से, इसी दृष्टिकोण से वे समय समय पर इस सदन में कुछ कहते रहे हैं, नापते रहे हैं; अब भी ऐसा ही करते हैं, वे अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से ऐसा कर सकते हैं।

बाडमेर से आने वाले सदस्य ने, मन्त्री होने के नाते मेरी बुद्धि को भी चुनौती दी और यह समझाने की कोशिश की कि यह अमेन्डमेन्ट जो हम रख रहे हैं उससे जो हम चाहते हैं वह नहीं होगा और यह रुपया जो बिजली और पानी का हम लेना चाहते हैं वह भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी समझ में ऐसा ही है तो यह तो आपकी मंशा की पूर्ति होती है। आप खामोख्वाह में क्यों विरोध करते हैं? आपकी बहस का पर्पज़ ही सर्व (Serve) होता है तो ठीक है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसे मामलों में थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ सोच कर बातें कहनी चाहिये।

अब अधिक समय जाया नहीं करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि यह एक साधारण सी बात है, बिलकुल छोटा सा मामला है, जो इसके ओब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैं जनरल डिबेट में कह चुका हूं कि यह बिजली-पानी का जो खर्चा हुआ है, जो उचित खर्चा हुआ है उसको रेगुलेराइज़ करने के बारे में बात है। इसलिये दफा ५ को ड्रॉप करने की बात कहते हैं और हमेशा से ड्रॉप करने की बात कहते हैं और आगे इसकी एवज में दफा ३ है जिसमें नया क्लॉज सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं ताकि अच्छी तरह से रेगुलराइज किया जा सके और जो इन्टरप्रिटेशन के सिलसिले में गलती हुई है उसको ठीक किया जा सके। इस छोटी सी बात को लेकर यह अमेन्डमेन्ट बिल रखा गया है। यह आर्ग्युमेन्ट्स का विषय नहीं है। मैं इस अमेन्डमेन्ट को, इस संशोधन को, जो भैंरोंसिंहजी ने रखा है, नामन्जूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री भैंरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब माननीय सदस्यों को जैसा कि विदित है आज कम से कम इस विधेयक को और एक-दो और विधेयक जो फोर्मल नेचर के हैं पास करके उठना होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बात में जरा सहयोग देकर, अब जो कार्यवाही रखी गई है सदन के सामने उसको जल्दी पास करने की कृपा करें। काफी बहस हो चुकी है और इस पर भाव भी माननीय सदस्यों ने काफी व्यक्त कर दिये हैं, ऐसी बात को ज्यादा खींचना श्रेयस्कर नहीं होगा और इस बात को ध्यान में रख कर बहस की जाय तो उचित होगा।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ २ को पास करना रह गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री तनसिंह : क्या वे क्लॉज़ ३ में अमेन्डमेन्ट पास नहीं कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ २ को पास करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ३

(विराम)

क्लाज ३ में भैरोंसिंहजी के तीन अमेन्डमेन्ट्स हैं और तनसिंहजी का कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आया है। आप पेश करेंगे अमेन्डमेन्ट्स?

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय पेश तो कर दूंगा, वैसे कायदे के माफिक नहीं आये हैं और मंत्री महोदय को शायद एतराज होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं श्री भैरोंसिंहजी से पूछ रहा था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव रखने से पहले एक बात की जानकारी चाहूंगा। क्या इस सदन की कार्यवाही आज ही समाप्त होगी या सदन कल भी बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज ही सदन की कार्यवाही समाप्त होगी।

(विराम)

आप जानकारी दें कि इसमें योग देंगे आप !

श्री भैरोंसिंह : मैं तो हमेशा ही योग देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरे ३ संशोधन हैं। एक है :

"Delete the words 'and shall be deemed always to have been inserted,'

दूसरा है :

"In the proposed clause 5 A part (a), substitute the words 'twenty five' for 'seventy five' occurring in the first line."

और तीसरा है :

"In the proposed clause 5 A part (b), substitute the word 'ten' for 'twenty five' occurring in the first line."

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपने तीन संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूँ सदन के सब माननीय सदस्य इन प्रस्तावों के भाव को समझ चुके होंगे। अतः अब प्रश्न यह आता है कि माननीय मंत्री मेरे इन प्रस्तावों के भाव को समझने के बाद भी इनको स्वीकार करने की स्थिति में या हैं नहीं? हालांकि वे गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे इसको स्वीकार करने की स्थिति में हैं लेकिन उनसे पीछे जिनके ऊपर भी शायद असर होनेवाला है, वे दूसरी ओर गर्दन हिला रहे हैं इससे ऐसा संकेत मिलता है कि वे शायद इसको मंजूर करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जो संशोधन प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किये हैं उनके लिए सूक्ष्म रूप में सदन को जानकारी दूं।

अभी हमने यह स्वीकार कर लिया था कि मूल क्लॉज़ की धारा ५ का जो प्रोविज़ो है उसको डिलीट किया जाय। अब जो नयी

Page No.92

(श्री भैरोंसिंह)

धारा जोड़ी जा रही है उसको स्वीकार करने का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक ७५) और २५) की तादाद फिक्स करना था और दूसरा आज तक ७५) और २५) का कन्सेशन गवर्नमेंन्ट हाउसेज़ में था और गवर्नमेन्ट हाउसेज़ में होने के कारण पिछले पांच वर्षों में गवर्नमेन्ट हाउसेज़ में न रह कर अन्य जगह किराये पर रह कर बिजली और पानी की रेटस हैं उनको सरकार से वसूल किया उसको रेगुलेराइज़ करना। मैं समझता हूं कि जहां कानून नहीं है और उस गलती के कारण स्वयं मंत्री प्रभावित हों और मंत्री स्वयं पैसा लेते हों, वहां एक न्याय और परम्परा के नाते यदि उस गलती का फायदा जनता उठाती है तो उठाये, लेकिन मंत्री स्वयं गलती करते हैं और उसका वे ही फायदा उठाते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि आयन्दा भी गलती की जाकर उसका फायदा उठाने का दूसरा तरीका निकाला जाकर गलती करने की प्रेरणा मिल सकती है। यदि पांच वर्ष में जो इस प्रकार की रकम है, मंत्री महोदय जिन्होंने खर्च किया और इर्रेगुलर पेमेन्ट जिनको हो गया है, यह पैसा उनको मिल गया है तो कोई सबक उनको नहीं मिलेगा और यदि सबक मिला तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भविष्य में कानून होगा तो गलती नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गलतियों को रोकने के लिए, हमारी सरकार जो हर कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती है उसको रोकने के लिए, जनता इसका खमियाजा न उठाये और यह खमियाजा कानून बनाने वाले ही उठायें।

दूसरा है ७५) रु० के बजाय २५) रु० और २५) रु० के बजाय १०) रु० करने के बारे में। माननीय अध्यक्ष, कुछ माननीय सदस्यों ने बिजली और पानी को योग्यता से लगा लिया। मैं समझता हूँ कि योग्यता से इसकी कोई तुलना नहीं। आइ. जी. पी और एस. पी का हवाला दे दिया। इन सारी बातों को छोड़ दें। मंत्री योग्य हैं, इस नाते मंत्री बनते हैं। जनता के चुने हुए हैं; उनके पीछे बहुमत है, चाहे वे योग्य हों या न हों, मंत्री बनते हैं। यह प्रश्न आता है कि मंत्रियों को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए अच्छी तनख्वाहें देनी चाहिये, बिजली में ७५) रु० का कन्सेशन मिलना, चाहिये, २५) रु० का कन्सेशन मिलना चाहिये या नहीं, यह अलग प्रश्न है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो तनख्वाहें मिलती हैं वे काफी हैं। मकान मिलता है। कन्सेशन जो हैं काफी हैं। इन कन्सेशन्स को योग्यता की दृष्टि से नहीं देखें। इनको उपयोग करने की दृष्टि से देखें। राजस्थान की जनता का जो आर्थिक माप-दंड है उसको इस दृष्टि से देखें तो अच्छी चीज़ होगी। उनका आर्थिक मापदंड क्या है, मंत्रियों की योग्यता का मापदंड क्या है? इर्रेगुलरटी को बचाने की जो कार्यवाही की जाती है, अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह गलत चीज़ है। एक माननीय सदस्य ने तो प्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी का हवाला दिया। उनकी योग्यता और तनख्वाह के प्रश्न को भी इस ढांचे में ले लिया। तुलना करने का जहां प्रश्न आता है तो मैं कहूंगा कि कहां तो उनकी योग्यता पर उनको तनख्वाह दी जा रही है और कहां जिनको १ हजार रुपया दे रहे हैं उनकी योग्यता! उनकी योग्यता और इनकी योग्यता में रात दिन का अन्तर है। उसको तो देखा नहीं गया और केवल योग्यता का माप-दंड मान लिया कि योग्यता के अनुसार दे रहे हैं। यदि योग्यता का माप-

Page No.93

(श्री भैरोंसिंह)

दंड पैसा देने की बात है तो यह बात करने को भी हो सकती है कि अगर इसको इस तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं और नेहरूजी का नाम घसीटते हैं तो उनकी योग्यता में भी शंका होती है। इसलिये योग्यता का मापदंड यदि लिया जाय तो उनको बीच में लाया नहीं जाय। राजस्थान के मन्त्रियों की योग्यता बाकी लोगों से कुछ भिन्न है। इस प्रकार की बात करके कानून बनाना है तो ज्यादा उचित है कि मैंने जो संशोधन रखा है कि ७५) रु. की बिजली के स्थान पर २५) रु० बिजली के रखे जायं और २५) रु० के पानी के बदले में १०) रु० कर दिये जायं। एक साधारण आदमी जितना खर्च करता है, एक मिडिल क्लास का आदमी जितना खर्चा बिजलीपानी पर कर सकता है उतना ही मंत्रियों को भी करना चाहिये। हमारे मंत्री केपिटेलिस्ट्स हों, ऐसी बात नहीं है। उनकी आदत भी साधारण नागरिकों की तरह ही है। जो अपने जीवन में आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं उन महानुभावों को चाहिये कि मितव्ययी बनें, कम खर्च करें और मोटे आदमियों की तरह नहीं बनें। दुनिया का माना हुआ उसूल है कि आदमी मितव्ययी बने और उसके लिये जरूरी है कि ७५) रु० की बिजली और २५) रु० का पानी खर्च न करें। उनके घर से यदि खर्च होगा तो इतना खर्चा नहीं करेंगे, बिजली के पंखे और हीटर नहीं चलेंगे। एक प्रश्न आया था, विकास का प्रश्न आया था कि मंत्रियों का विकास करना है। मंत्रियों की योग्यता का विकास करना है तो उनकी योग्यता का विकास नहीं होता लेकिन उनके शरीर का विकास होता है। जो पहले कमजोर थे और जिनके शरीर का वजन पहले हल्का था वह अब बहुत बढ़ गया है। उस बढ़ते हुए वजन को रोकना जरूरी है, नहीं तो मोटेपन के कारण उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी। मेरा संशोधन उनके शारीरिक विकास में बाधा पहुंचायेगा और उससे उनकी तन्दुरुस्ती बनी रहेगी। तो मैंने उनके फायदे के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं यातायात मंत्रीजी इसे निश्चित तौर से स्वीकार करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज् का जो पहले पास हुआ है और अब नया रखा है उसका विरोध करता हूं। मैंने पहले बहस करते समय बताया था कि इससे पेचीदगी पैदा होगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसे टालने की कोशिश की और भावनाओं में आकर कुछ कह गये। अब मैं स्थिति आपके सामने रखता हूं। क्लॉज् ५ संशोधित रूप से इस प्रकार है :

" With effect from the date referred to in clause 3, each Minister shall also be entited, without payment of rent or other charge, to the use, throughout the term of office, of a fully furnished house in Jaipur, and a State car."

आगे :

"and no charge shall fall on the Minister personally in respect of the maintenance of such house or car."

आगे प्रोविज़ो था उसे हटा दिया गया। इससे अभिप्राय होता है कि अब प्रत्येक मिनिस्टर को जयपुर में एक मकान और स्टेट कार मिलेगी और उस पर कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जायगा :

"and no charge shall fall on the

(श्री तनसिंह)

Minister personally in respect of the maintenance of such house or car."

इसका मतलब यह हुआ कि पहले इस क्लॉज़ के आगे जो प्रोविज़ो था उसके अनुसार पर्सनल लाएबिलिटी थी मिनिस्टर की वह ७५ रु. तक बिजली का खर्चा और २५ रु० तक पानी का खर्चा पे नहीं करेंगे और उससे ऊपर यदि खर्चा हुआ है तो पे करेंगे। लेकिन अब इस प्रोविज़ो को हटा लेने के कारण वह जो लाएबिलिटी पहले थी वह भी हट गई। अब स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि मिनिस्टरों को बंगले और कार मिलेंगे, उन पर चाहे जितना खर्चा आवे उनसे वसूल नहीं किया जावेगा। यह जो कानून बन रहा है और जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है उसमें से जो पहले बार था वह हटा दिया गया :–

"and no charge shall fall on the Minister personally in respect of the maintenance of such house or car."

इस हाउस के मेन्टेनेन्स में जो खर्च आता है उसे हटा दिया गया और अब जो नया क्लॉज़ बढ़ा रहे हैं उसके अनुसार :

"Every Minister shall, irrespective of whether or not he avails himself of the use of a fully furnished house in Jaipur to which he is entitled urder section 5, be further entitled to the concessions of payment by Government for him and on his behalf, throught his term of office, of a sum not exceeding seventy-five rupees"......etc.

तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो मकान और कार मिलती थी वह तो फ्री मिलेगी ही उसके अलावा मेन्टेनेन्स के सिलसिले में मिनिस्टर्स से चार्जेज़ नहीं लिये जायेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज़ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो नया क्लॉज़ लागू होगा उससे ७५ रु. बिजली के और २५रु. पानी के और दिये जायेंगे यदि ये खर्च होते हैं तो ऐसी अवस्था में जो लाएबिलिटी खर्चे की थी वह बिल्कुल हटा दी गई। अब नये क्लॉज़ में यदि इस प्रकार की बात होती कि वे मिनिस्टर जो जयपुर में निजी मकानों में रहते हैं उनके लिए ७५ रु० का भत्ता होता तब तो स्थिति स्पष्ट होती और मुझे कुछ कहने की गुन्जायश नहीं मिलती। वह स्थिति इस प्रकार की होती कि जो सरकारी मकानों में रहते हैं उनसे कुछ नहीं लिया जायगा लेकिन जो निजी मकानों में रहते हैं उनको ७५ रु. दिये जायेंगे। यदि यह बात होती तो क्लॉज़ में परिवर्तन होता। लेकिन जो पहला क्लॉज़ संशोधित रूप में पास हुआ उसके अनुसार स्थिति यह होती है कि मिनिस्टर जो सरकारी बंगलों में रहते हैं उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा चाहे बिजली के रूप में या पानी के रूप में बल्कि उनको ७५ रु. दिये जायेंगे। मैं तो कहता हूं कानून की मन्शा यह नहीं है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे मैं समझता हूं स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस पर विचार किया जाय। बाकी यह कहा गया कि विरोधी पक्ष वाले समय अधिक लेना चाहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार ये बातें आपके सामने रखी हैं। अब मन्त्री जी के ऊपर है, इस पर गम्भीरता से विचार करना न करना।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात एवं कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो ३ संशोधन श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य

Page No.95

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ने धारा ५ ए. के सिलसिले में रखे हैं उन सबको मैं नामन्जूर करता हूँ। इसका कारण यह है कि जिस दृष्टिकोण से चर्चा लगातार इस बिल के सिलसिले में चल ही है उसी के पर्सुएन्स में उन्होंने अपना संशोधन इस क्लॉज़ पर रखा है। वे ऐसा मानते हैं कि यहां जो सीलिंग है ७५ रु. का बिजली के लिए और २५ रु. पानी के लिए उसके बजाय २५ रु. बिजली के लिए करने चाहिये और पानी के लिए १० करने चाहिये, इस इरादे से उन्होंने यह संशोधन रखा है और अपना संशोधन इस प्रकार पेश करते हुए बात तो उनको कुछ कहनी चाहिये थी, पर कह कुछ और ही दी। मिनिस्टरों के शरीर के विकास और रहन-सहन के तौर तरीके की बातें करते हैं। जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ यह पद और कुर्सी इन्हीं बातों को सुनने की बहुत दिनों से आदी है और उनको इस तरह से कहने का हक भी है। जिस जगह वह बैठते हैं और उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिये यह भी वे समझते हैं। फिर भी यह जानते हुए उनको कहने का हक रहेगा, कहते जांय और हमको सुनना है और जो कुछ हमें करना है हम करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिये मैं इन संशोधनों में कुछ तथ्य नहीं समझता।

इसके अलावा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को क्या डिफीकल्टी हुई, यह समझ में नहीं आया। वे बड़े काबिल हैं, एम. ए., एल. एल. बी. हैं, वकालत का पेशा भी कुछ कर चुके हैं। लेकिन जब से उन्होंने दाढ़ी उगाई है तब से समझ में नहीं आया····

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member should confine himself to his arguments instead of his beard.

श्री तनसिंह : मेरी दाढ़ी घटती-बढ़ती है या आप कटाते हैं हमेशा, इससे कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरे रहन-सहन और दाढ़ी पर आक्षेप किया गया है। मैं समझता हूं इस प्रकार का आक्षेप नहीं होना चाहिये। मैं भी बहुत सी बातें इसके बारे में कह सकता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आक्षेप कुछ नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : दाढ़ी और तोंद के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिये।

श्री तनसिंह : दाढ़ी से सम्बन्ध दिमाग का लगाया जाता है, तो मैं भी इनके दिमाग से किसी का सम्बन्ध लगा सकता हूं आसानी से।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी ऐसी भावना नहीं थी दाढ़ी और दिमाग के सम्बन्ध से। अगर उसको आपने महसूस किया है तो I am sorry for it.

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मिनिस्टर साहब को हंस लेने दीजिये।

श्री तनसिंह : यह हाउस की इन्सल्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा है, उसे नामन्जूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंहजी का लीगल क्वेश्चन है, उसको समझ लेना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं काफी देर से

Page No.96

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके लीगल इन्टरप्रिटेशन में कोई कॉम्प्लीकेशन्स नहीं हैं, राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट ने इस को अच्छी तरह से एक्ज़ामिन कर लिया है। वे कह रहे हैं उसको भी एग्ज़ामिन कर लिया है।

श्री तनसिंह : मैं दाढ़ी कटवाने के लिए तैयार हूं अगर वे साबित कर दें तो।

श्री जनार्दनराय नागर : आप ऐसा मत कीजिये, आपकी दाढ़ी से हमें प्यार है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा था कि इस क्लॉज़ को पास किया जाय और जो इस क्लॉज़ पर अमेंडमेंट है उसको नामन्जूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ तीन में रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान स्पष्ट न होने के कारण पुनः)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ तीन में है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा : (यातायात एवं कृषि मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह कानून जो हमारे सामने पास होने के लिए प्रस्तुत हुआ है, मुझे खेद है कि शायद मैं अच्छी तरह समझ नहीं सका, या मेरे एक्सप्रेशन में कमी हो। जो दाढ़ी के सिलसिले में दिमाग की बात कही गई, मेरे ख्याल में उसी प्रकार की कमजोरी के कारण यह समझा नहीं जा सका। वे लॉ डिपार्टमेंट की बात कहते हैं, जैसे वह हमारे ऊपर हउवा हो गया हो। लॉ डिपार्टमेंट हमारा मालिक है या हम लॉ डिपार्टमेंट के मालिक हैं। कोई साधारण सी बात कही, तथ्य की बात कही, उसको समझने की चेष्टा नहीं करते हैं और कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ने कह दिया है। इसलिए हम गलत कह रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट कह देगा कि मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मिनिस्टर साहब कहेंगे कि तनसिंह नहीं

(श्री तनसिंह)

कोई दूसरा बोल रहा है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस सिद्धान्त के ऊपर बिल पेश किया गया है, जो सिद्धान्त हमारे सामने रखा जा रहा है वह यह है कि आज लीगल इन्टरप्रिटेशन के कारण कुछ मन्त्री जो निजी बंगले में जयपुर में रहते हैं, उन्होंने कुछ पैसा उठा लिया, लेकिन लीगल इन्टरप्रिटेशन के कारण रेगुलराइज़ नहीं हो सका, उनको इस कानून के द्वारा २५ रु० और ७५ रुपया देना है। उसूलन इस बात को मान कर चलता हूँ, ठीक है; इसलिए नहीं कि पहले नहीं माना। मैं मान कर चलता हूँ, उनके कहने के अनुसार कि यह प्रिन्सिपल ठीक है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो मन्शा पहले की कानून की थी वह यह थी एक हाउस और एक कार मिनिस्टर को दी जायगी और उनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद सेक्शन ५ है, उसका प्रॉवीज़ो है उस प्रॉवीज़ो में था कि उन पर पर्सनल लाइबेलिटीज़ इतनी होगी; ७५ रु० बिजली और २५ रुपया पानी तक उनकी पर्सनल लाइबलिटीज़ होंगी। यह चीज प्रॉवीजो में दी हुई थी। आज उस प्रॉवीजो को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पर्सनल लाइबलिटीज़ थी, वे सीज़ हो गई। यह अब जो क्लॉज़ है, वह मानता है आप नहीं मानते हैं। आप चाह रहे हैं पर्सनल लाएबलिटीज़ हैं। लेकिन जो कानून हमारे सामने है वह कानून इस बात को नहीं बता रहा है, इस कानून का सेक्शन ५ यह कह रहा है "and no charge shall fall on the Minister personally in respect of the maintenance os such house or car" आप मनमें अपनेचाहे जो समझ लीजिये मन से कोई धारणा बना लीजिये, उसके ऊपर मन्जूरी लगेगी, लेकिन जो कानून है, जो शब्द रखे गये हैं, उससे यह तात्पर्य निकलता नहीं है। कानून में जो शब्द हैं, उसके मुताबिक स्थिति यह है कि आज मिनिस्टर को एक कार और मकान मिलेगा और आगे कोई चार्जेज़ मिनिस्टर पर नहीं लगेंगे, चार्ज लगाने का जो प्रॉवीज़ो था, वह प्रॉवीज़ो हटा हटा दिया है और उस प्रॉवीज़ो को हटाने के कारण मैं मान लेता हूं, उन्हें फ्री बंगला दिया जाय, ७५ रु० बिजली के लगाये जायं और २५ रु० पानी के लिए दिये जायं। लेकिन आपने क्लॉज़ इन्सर्ट किया है, ५ ए क्लॉज़, वह स्थिति अब दूसरी बन जाती है। यानि ७५ रु० व २५ रु०, जो बिजली और पानी के लिये दे रहे हैं, वह ज्यादा होगा तो उनसे वसूल किया जायगा। यानि जो पर्सनल लाइबलिटीज़ थीं, क्लॉज़ तीन के मुताबिक, वे अब हटा दी गई हैं। अब इस संशोधित कानून के अनुसार पर्सनल लाएबलिटीज़ नहीं रहेंगी। जो क्लॉज़ ५ ए रखा गया है, उससे स्थिति विचित्र बन जाती है। अब इसमें यहां तक है कि जो मिनिस्टर जयपुर में रहते हैं, अपने निजी मकान में, उनको ७५ रु० बिजली के और २५ रुपया पानी के दिये जायेंगे :

"Irrespective of whether or not he avails himself of a fully furnished house at Jaipur..."

इसका मतलब यह हुआ कि जो मिनिस्टर हैं वह चाहे निजी मकान में रहें, उनको ७५ रुपये तक बिजली का खर्चा दिया जायेगा और २५ रुपये पानी का खर्चा दिया जायगा। जहां तक देने का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सरकार ने देने का निश्चय कर लिया है तो देगी, क्योंकि ७५ रु० बिजली के और २५ रु० पानी के देने की जो पर्सनल

(श्री तनसिंह)

लाएबलिटीज़ थीं सेक्शन पांच में और जो सेक्शन पांच में प्रोवीज़ो था, वह हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस नये क्लॉज़ के अनुसार, जो पांच ए क्लॉज़ जोड़ा है, उससे स्थिति कुछ इस प्रकार की बनती है कि जयपुर में निजी मकान में रहने वाले हैं, २५ रु० पानी और ७५ रु० बिजली के मिलेंगे और जो सरकारी मकान में रहेंगे उनका जितना खर्चा हो वे ले सकते हैं। मैंने तो फिर स्थिति साफ तरह से रख दी है, आपने प्रोवीज़ो को हटा कर जो दूसरा क्लॉज़ रखा है उससे दूसरी बात हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : There is certainly some point in what the Hon'ble member says. Under section 5 certain concessions or certain provisions are given to the Ministers which are limited by the proviso. Now the proviso is being removed and instead a clause is being inserted which says:

'Every Minister shall be further entitled to the concessions.'

श्री तनसिंह : अब मन्त्री महोदय को दाढ़ी की आवश्यकता और महत्ता मालूम हो गई होगी और मैं समझता हूँ वे भी दाढ़ी रखना शुरू कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मजाक में यों ही कह दिया था मैंने, कोई सीरियसली थोड़े ही कहा था।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री): माननीय श्री तनसिंह जी ने अपने भाषण में जो एक कानूनी मसले की तरफ इशारा किया है और उन्होंने इशारा यह किया है कि अब तक जो कानून था उसमें ७५ रु० से ऊपर की लाएबिलिटीज़ मिनिस्टर्स पर रहती थीं और अब जो कानून बनाया है उसमें मिनिस्टर्स पर ७५) रु० तक भी लाएबिलिटी नहीं रहेगी मिनिस्टर्स पर, बिल्कुल लाएबिलिटी नहीं रहेगी, यह नहीं है।

थोड़ी फेक्च्युअल पोजिशन मैं आपके सामने रख दूं। आज की जो मिनिस्टर्स की सेलेरीज़ के बारे में स्थिति है उसके तीन हिस्से हैं। पहला १००० सेलेरी, दूसरा २५० रु० मकान का और तीसरा २५० रुपया कार का एवं ७५ रुपये तक बिजली के और २५ रु० तक पानी के। आज तक यह निश्चित इमोल्युमेंट्स थे। १००० रु० तनख्वाह के मिलते हैं, इसके बाद मिनिस्टर चाहे तो सरकारी बंगले मे रहे और चाहे तो अपने घर के मकान में रहे। सरकारी बंगले में रहते हैं तो २५० रु० किराये में गिन लिये जाते हैं और घर के मकान में रहें तो २५० रुपये उसे मकान किराये के रूप में मिल जाते हैं, वह चाहे कितने ही किराये का मकान हो, वह एन्टाइटिल्ड है २५० रुपये किराये के पाने का। ऐसा नियम है, इसी के अनुसार चलते हैं। इसकी जरूरत यों आती है कि बंगले हैं कम और मिनिस्टर्स हैं ज्यादा, इसलिये मिनिस्टर्स को प्राइवेट मकान लेने पड़ते हैं। आज भी यह स्थिति है कि गवर्नमेंट पूरे मकान प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिये मिनिस्टर्स को प्राइवेट मकान लेने पड़ते हैं, उनके लिये २५० रुपया फिक्सड है और रूल्स में एन्टाइटल्ड हैं। दूसरा सवाल कार का है इसमें कोई खास बात नहीं है। अब जो पोइन्ट डिस्प्यूट का है वह है नल-बिजली का। राजस्थान में जब से मिनिस्टरी बनी है तभी से ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के मिलते रहे हैं। ७५ तक का बिजली का खर्चा होता है तो मिनिस्टर्स से

(श्री रामकिशोर व्यास)

चार्ज नहीं होता और २५) रु० तक का पानी का खर्चा होता है तो मिनिस्टर्स से चार्ज नहीं होता; इससे ज्यादा हो तो मिनिस्टर्स से चार्ज होता है। बिजली के अगर ७६) रुपये आ गये तो ७५) रु० गवर्नमेंट देगी और १ रुपया मिनिस्टर से चार्ज किया जायगा। इसी तरह पानी का बिल २५ के बजाय २६ का या इससे ज्यादा का आ गया तो २५ से ऊपर जितना भी होगा वह मिनिस्टर को देना होगा। कम हुआ तो मिनिस्टर ट्रेज़री से ड्रॉ नहीं करेगा। अगर पानी के ५० रु० खर्च हुए तो भी २५ रु० उन्हें मिलेंगे और २५) रु० तक खर्च हुए हैं तो भी २५) रु० ही मिलेंगे; तो पे करने का या ड्रॉ करने का कोई सवाल नही। यदि ७५ और २५ के ऊपर का कन्जम्पशन होता है तो वह मिनिस्टर से चार्ज किया जाता है।

इस कानून को लाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि मौजूदा रूल्स हैं उनका इन्टरप्रिटेशन यह चलता है कि मौजूदा कन्सेशन है ७५) और २५) का, गवर्नमेंट बँगलोज़ में रहते हैं वे तो इसके एन्टाइटिल्ड हैं और जो घर के मकान में रहते हैं वे इस कन्सेशन के एन्टाइटिल्ड नहीं हैं। तो जो गवर्नमेंट बँगलोज़ में रहते हैं वे तो एन्टाइटिल्ड हैं ही, उनके लिये सदन से एप्रूवल नहीं ली जा रही है पर जो घर के मकानों में रहते हैं उनके लिये यह एप्रूवल ले रहे हैं। सन् ५० से मिनिस्ट्री फार्म हुई है तब से इसी तरह ड्रॉ कर रहे हैं, पर अब इसका इन्टरप्रिटेशन इस प्रकार चला है, इस डाउट को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। इसमें यह रखा है कि जो मिनिस्टर्स प्राइवेट मकानों में रहें वे भी ७५ रुपये बिजली के और २५ रुपये पानी के पाने के एन्टाइटिल्ड हैं, यही इस बिल का अभिप्राय है।

श्री भीमसिंह : This is not the point.

श्री अध्यक्ष : यह तो वे स्वीकार करते हैं, but the question is about the legal phraseology.

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये मैं अर्ज करता हूँ, मैं इसे पढ़ देता हूं :

"Every Minister shall, irrespective of whether or not he avails himself of the use of a fully furnished house in Jaipur to which he is entitled under section 5, be further entitled to the concessions of payment by Government for him and on his behalf, thr oughout his term of office, of--

(a) a sum not exceeding seventy-five rupees due from him on on account of the consumption in any month of electrcity at his residence,"

७५) से ज्यादा की बिजली के एन्टाइटल्ड नहीं होंगे, सीलिंग ७५) की रखी गई है, इसी तरह पानी का है।

'(b) A sum not exceeding twenty-five rupees due from him on account of the consumption in any month of water at such residence."

श्री अध्यक्ष :This is one way of putting this. You Could have retained the provision and added that the Ministers who have residential houses in Jaipur shall be paid a monthly allo wance of Rs. 75/-

(श्री अध्यक्ष)

for electricity and Rs.25/for water consumption. Along with this you can give this concession that in case he does not avail the house he would be entitled to Rs. 75/-- and Rs. 25/-- for electricity and water consumption respectively. If you remove the proviso what is the effect of clause 5 ?

श्री रामकिशोर व्यास : कैश पेमेन्ट तो होता नहीं, इसलिए लिखा है कि ७५) और २५) के एन्टाइटल्ड हैं। वह तो सीलिंग फिक्स की है, कोई डिफिकल्टी आती नहीं, कैश पेमेंट तो होता नहीं।

श्री तनसिंह : साहब, जो भी उन्होंने कहा मेरे पोइन्ट के सिलसिले में तो कुछ नहीं कहा। मेरा पोइन्ट है कि सेक्शन ५ है उसके प्रोविज़ो को हटाने के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके लिए क्या होगा, इस पर तो कुछ नहीं फरमाया। जैसे मोन्टेमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह बताया वह तो हम समझे। पर आपकी पर्सनल लाए-बिलिटीज़ थीं वे इस प्राविज़ो को हटाने के कारण नहीं रहीं।

श्री अध्यक्ष : Any way the Hon'-ble member has done his duty and so have 9 and the final choice rests with the Government.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not been able to understand as to what is the legal difficulty.

श्री अध्यक्ष : We cannot state as to what is the difficulty at this stage ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या लीगल डिफिकल्टी है आपके सामने ?

श्री अध्यक्ष : क्लाज ५ में जो कन्सेशन्स है उनको प्रोविजो द्वारा लिमिट किया गया है, इस प्रोविजो को हटाने के बाद वह लाइबिलिटीज हट जाती हैं। इधर आप लाते हैं :

"Every Minister shall...be further entitled to the concession." 'Further' then what ?

श्री तनसिंह : Further then, the fully furnished house.

श्री अध्यक्ष : Along with the furnished house you(Government) say "no charge shall fall on the Minister personally in respect of the maintenance of such house or car" That remains without any proviso, without any limitation.

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे सरकारी मकानों में मिनिस्टर रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट मेन्टेन करेगी, over and above that sum of Rs. 75/-;वे Rs. 25/- के entitled हैं।

श्री अध्यक्ष : Any way, now I put the question.

श्री तनसिंह : यह तो जबरदस्ती है साहब इनकी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

४.४६ म० प०

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

मैं इस मोशन के साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, दो शब्द माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन कर रहा हूँ ताकि आगे हम ज्यादा बहस न करें तो ठीक होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यह बिल सिर्फ इस इरादे से सदन में प्रस्तुत किया गया है कि हमारे स्टेट के जिस तरह से मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको कुछ इमोल्युमेंट प्राप्त हैं कानून को तहत में, उसी तरह हमारे यहां धारा सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी कुछ सुविधायें और एमोल्युमेंटस प्राप्त हैं। उसमें भी इसी तरह की कठिनाई पैदा होगी। वही बिजली और नल के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय को सुविधायें प्राप्त हैं जो मिनिस्टरों को प्राप्त हैं और उपाध्यक्ष महोदय को भी वे सुविधायें प्राप्त हैं जो उपमन्त्रियों को प्राप्त हैं और इसी तरह का बिल सदन में माननीय अध्यक्ष, पारित किया गया है। इसलिए यह सारा बिल उसी ७५ रु० की बिजली और पानी की व्यवस्था करने के लिए, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरकारी बंगलों में नहीं रहते थे और रहते हैं, उनकी सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए यह छोटा सा बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि सदन के सारे सदस्य उसको बिना विरोध के पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ...

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे निवेदन करना कुछ भी बाकी नहीं रहा क्योंकि जितना पहले परिश्रम किया उतना नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी हैरान हो गया हूँ। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जैसा कि सेक्शन ६ में एड किया जा रहा है उसमें ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई ऐसी बात हो या सूरत हो जो पहले वाले एक्ट में है तो उसको अब भी मौका है, उसको ठीक कर ले आए।

श्री बी. एन. जोशी : सुधर गया है।

श्री तनसिंह : इसलिए मैं तो आपका ध्यान और आपके मार्फत मिनिस्टरों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी वैसी गलती हो तो उसको इस समय ठीक किया जा सकता है। यह तो ठीक है कि मिनिस्टर या दूसरे ऑफिसर्स कभी ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, मगर कानून में ऐसी छूट नहीं है। ऐसा न हो कि उसके लिए आपको कानून में दूसरा अमेन्डमेन्ट लाना पड़े।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल ठीक है। जो बातें आपने कही हैं उन पर पहले से गौर किया है और जो डिफिकल्टीज़ थीं उनको हल करने के लिए यह लाया गया है और इससे डिफिकल्टीज़ हल हो जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पारित किया जावे ?

(विराम)

विधेयक पारित किया जाता है ।

४.५३ म० प०

मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स (रिपील) बिल, १६५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स (रिपील) बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाए ।

इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स को इन्वेलिड करार दे दिया है इसलिए इसकी आवश्यकता हुई है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५५ बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।]

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, २६ मई, १६५७)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर क्षेत्र में किसानों पर आबियाना आन्दोलन करने पर जुर्माना ।

"राजस्थान पंचायत विभाग की विज्ञप्तियां एवं आदेश" पुस्तिका ।

बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम में चमड़ा साफ करने के जरियों के बाड़े ।

क्षय रोग ग्रसित कर्मचारियों के उपचार हेतु व्यवस्था ।

ग्राम जानवी (त० सांचोर) में आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य व्यवस्था ।

धौलपुर में श्रमिकों के कल्याणार्थ सन् १६५४ से किये गये कार्य ।

किशनगढ़ से बाघोड़ा (जि० जालोर) की सड़क का सर्वेक्षण ।

न्यू कोलोनी (जयपुर) में महिला स्थान घर ।

जयपुर जिला बोर्ड की गत तीन वर्षों में श्रमदान में व्यय हुई धन-राशि ।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् राजाओं में बिजली व पानी के मदों में बकाया ।

अल्प आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु दी जाने वाली धन-राशि ग्रामीणों को भी ।

आयुर्वेद विभाग के सी. श्रेणी के कम्पाउण्डर्स एवं वैद्य ।

बनास नदी को राजमहल व जहाजपुर के बीच में बांधने की योजना ।

रूपनगढ़ अस्पताल में डॉक्टर का प्रबन्ध ।

इस वर्ष तिलवाड़ा पशु-मेला में कर व किराये से शासकीय आय ।

लाडनूं में २ अप्रेल से लगा ऑपरेशन कैम्प ।

कालख बंध (जयपुर डिवीजन) से इस वर्ष सप्लाइ कट बंध छापड़वाड़ा से पिलाई ।

कस्बा नौहर के अस्पताल में दवाइयों का प्रबन्ध ।

पहाड़ी (जि० भरतपुर) ५ इन्डोर बेड्स वार्ड के निर्माण सम्बन्धी योजना ।

भूतपूर्व सीकर ठिकाने द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों को आर्थिक सहायता ।

कामा से गुर्चरा तक की मेटल्ड सड़क निर्माण-कार्य ।

महाराव भीमसिंह अस्पताल (कोटा) के भवन का सन् १६५० से निर्माण ।

सिकराय में डिस्पेंसरी भवन

बनाने सम्बन्धी ।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् भारतीय कृषि कि रिसर्च संस्था में भेजे गये व्यक्ति ।

राज्य में अनाज की महगाई एवं बाहर अनाज भेजने पर रोक।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री नारायण सिंह मसूदा को २६ मई, १६५७ से सत्रावसान तक अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई ।

स्थगन प्रस्ताव

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर के कर्मचारियों को वहां के व्यवस्थापकों द्वारा नौकरी से अलग किये जाने से सम्बन्धित श्री पी० के० चौधरी द्वारा जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी उसको प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई ।

श्री अध्यक्ष को श्री तनसिंह द्वारा प्रेषित पत्र सम्बन्धी

श्री तनसिंह द्वारा विरोधी दलों को मान्यता दिये जाने के विषय में निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष की सेवा में भेजे गये पत्र को सदन में पढ़कर सुनाया गया तथा उन आपत्तिजनक शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जो असंसदीय एवं शिष्टाचार व प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थे। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने विचार प्रकट किया कि ये मामला विशेषाधिकार का और ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध गंभीर तथा कठोर कार्यवाही की जा सकती है, विशेषतया जब कि ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी इनके सम्बन्धमें उठा था किन्तु क्योंकि तुरन्त बाद में अपनी भूल महसूस करके श्री तनसिंह ने दूसरा पत्र खेद प्रकट करते हुये प्रस्तुत कर दिया है, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आशा प्रकट की कि भविष्य में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और खास तौर से श्री तनसिंह अधिक सावध्यान रहेंगे ।

जन लेखा एवं प्राक्कालन समितियों के सभापति

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन लेखा समिति १६५७-५८ के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कालन समिति १६५७-५८ के लिये श्री मोतीलाल चौधरी सभापति पद पर नियुक्ति किये जाकर सदन को सूचित किया गया।

श्री भैरोंसिंह के विशेषाधिकार प्रस्ताव सम्बन्धी

दैनिक पत्र 'लोकवाणी' के मान्यता प्राप्त पत्र सम्बन्धी विषय श्री भैरोंसिंह ने उठाया। इस सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा यह

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, दिनांक २६ मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४६२	४	मगलवार, २६ मई, १९५७	बुधवार, २६ मई, १९५७
४४६५	अन्तिम से ९वीं	म्युनिसिपेलिटी के पास	म्युनिसिपेलिटी के पास
४४६६	६--७	यह म्युनिसिपेलिटी के फरायज़	यह म्युनिसिपेलिटी फरायज़
४४७१	१६	बिजली पानी के मदों में	बिजली व पानी की मदों में
४४७३	अन्तिम से ६टीं	को नहीं रखत	को नहीं रखते
४४७८	१४	डिवीज नम्बर के थे	डिवीजन नम्बर के थे
४५०५	३	इस मले को और	इस मामले को और
,,	अन्तिम से १० वीं	एव प्राक्कथन समितियों	एवं प्राक्कलन समितियों
४५०६	१	स्थगन प्रस्ताव संशोधन	स्थगन प्रस्ताव
४५०७	१	सम्बन्धी विज्ञप्ति	संशोधन सम्बन्धी विज्ञप्ति
४५०९	११	क्लॉज़ पर बहस	क्लॉज़ २ पर बहस
,,	२०	दें कि किसी बिल	दें कि किस बिल
४५१०-४५३३	१	राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेण्ट विधेयक, १९५७	राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्‍ शन (अमेण्डमेण्ट) बिल, १
४५३२	२	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
४५३४	२३	मुंह में पानी था	मुँह में पान, था
४५३५	८	मिनिस्टर्स सेलेरीज संशोधन	मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (संशोधन
	१	राजस्थान मिनिस्टर्श सेलेरीज़	राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़
४५४२-४६६१		संशोधन विधेयक, १९५७	(संशोधन) विधेयक, १९५७
४५५७	१३	No intrruption please	No interruption ple
४५६२	२	thank you Sir,	Thank you, Sir,
,,	११-१२	you (shri (Nagar)	yoy (shri Nagar)
४५७६	अन्तिम से चतुर्थ व तृतीय	जो नृशंसत अपराध	जो नृशंसतम अपराध
४५८२	२६	discussions, Please	discussions, please
४५८६	८	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४५९२	१३	[विभाजन सूची]	[विभाजन सूची
४५९५	१५	श्री श्रीमानसिंह	श्री श्रीमानसिंह]
४६०७	३०	में जमा करता है	में जमा कराता है

१	२	३	४
४६२३	अन्तिम से पंचम्	बड़े बड़े हेडिंग्ज़ में छापगे	बड़े बड़े हेडिंग्ज़ में छापेंगे
४६२५	१८	ये नये मंत्री	ये नये मंत्री
४६२६	१०	विचाराधाराओं के ऊपर यह बिल्कुल गलत है	विचार-धाराओं के बिल्कुल गलत बात है
४६२७	२१	बिल ला उपस्थि कर दिया है ।	बिल ला उपस्थित कर दिया है
”	अन्तिम से तृतीय	तुल । में विनोबा जी कम	तुलना में विनोबा जी कम
४६२८	२८	मिनिस्टर को ६०० ाउन	मिनिस्टर को ६०० क उन
४६३२	२६	(श्री मिर्ध से)	(श्री मिर्धा से)
४६४८	३१	entitled urder section	entitled under section
४६७१	१	--	संक्षिप्त-विवरण